भारतीय संसद

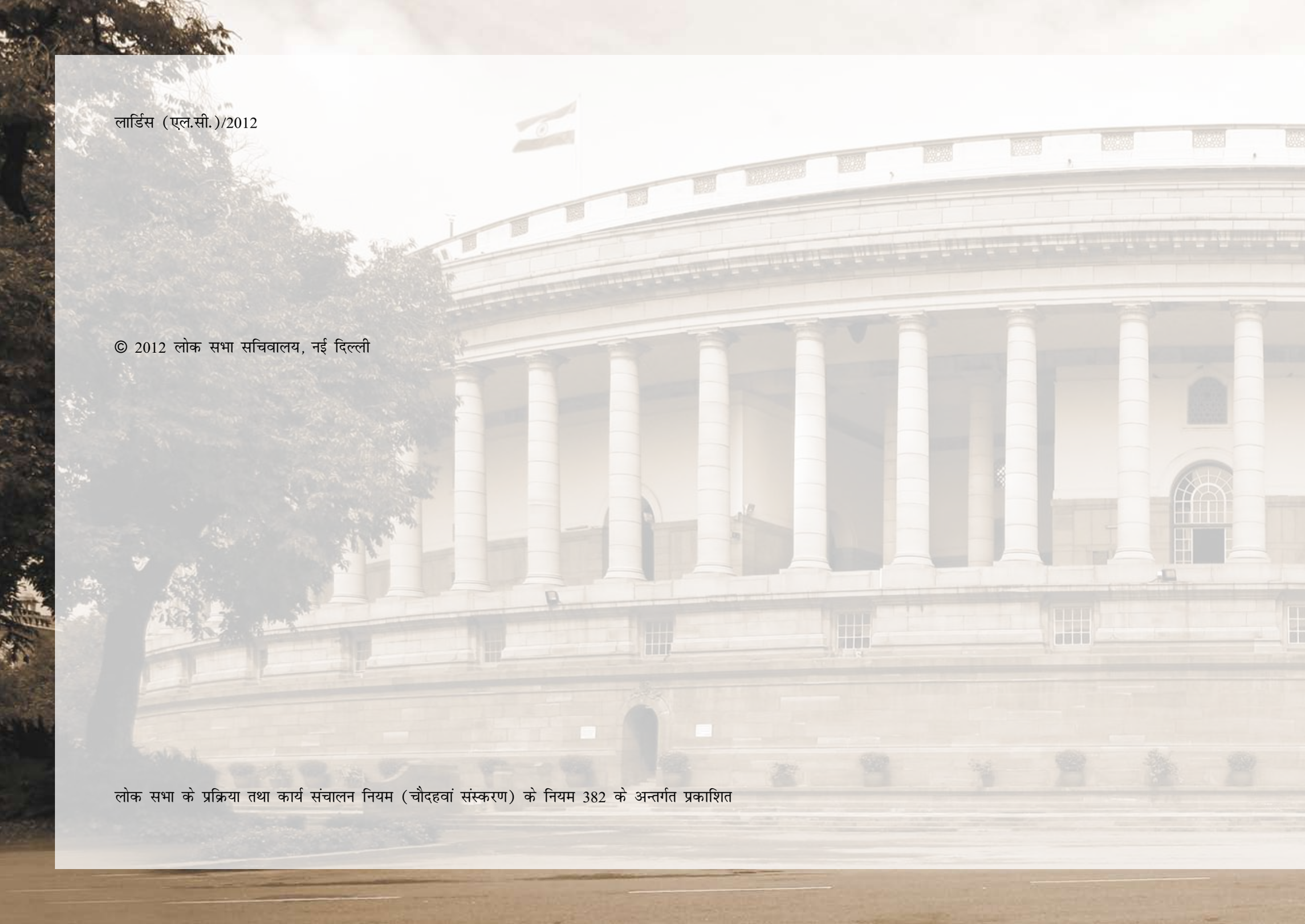

लार्डिस (एल.सी.)/2012

© 2012 लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (चौदहवां संस्करण) के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित

भारतीय संसद

संपादक
टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

प्राक्कथन

हमारी संसद ने अपने परम लक्ष्यों की पूर्ति के छह से भी अधिक दशकों के दौरान भारत को सामंती व्यवस्था द्वारा संचालित उपनिवेश से एक उदार लोकतंत्र के रूप में परिणत होते हुए देखा है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक विविधतापूर्ण लोकतंत्र बन गया है। संसद न केवल देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है, बल्कि इसने यह भी सुनिश्चित किया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार अनुल्लंघनीय रहें।

अपने सुदृढ़ भवन की भांति, हमारी संसद संविधान प्रदत्त शक्तियां भी समेटे हुए है। संसद जनता की उच्चतम आकांक्षाओं का, उनके बेहतर जीवनयापन, गरिमा एवं सामाजिक समता प्राप्ति की उनकी प्रबल इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है ताकि उन्हें एक ऐसे राष्ट्र, ऐसी सभ्यता का अंग होने में गौरव का अनुभव हो जिसने युद्ध और आक्रमण की तुलना में सदैव चर्चा और विचार-विमर्श को महत्व दिया है। मेरे विचार से लोकतंत्र को नैतिक बल अहिंसा के सिद्धान्त से मिलता है। इस लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या नि:शक्त, पुरुष हो या महिला, अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है।

हम जानते हैं कि संसद शीर्ष विधि निर्माण निकाय है। बजट नियंत्रण भी पूरी तरह इसके हाथ में है क्योंकि व्यय का अनुमोदन और निगरानी यही करती है। कार्यपालिका को वैधानिकता संसद से ही मिलती है और उसी के प्रति वह उत्तरदायी होती है।

भारत की संसद का एक अल्पज्ञात किन्तु नि:संदेह अति महत्वपूर्ण कार्य इसकी वह असाधारण क्षमता रही है जिसके द्वारा यह रूढ़ियों से विभाजित समाज में परिवर्तन ला सकी है। इसी भवन से भारत ने स्वयं को एक आधुनिक और प्रगतिशील समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संसद ने ऐसे कानून बनाए जिन्होंने यहां लम्बे समय से प्रचलित कुप्रथाओं पर कड़ा प्रहार किया है।

यह पुस्तक भारत की लोकतंत्र में आस्था के प्रति एक श्रद्धांजलि है। यह उस संस्था के प्रति भी समर्पित है, जो जन-सामान्य की इच्छा को प्रतिध्वनित करती है। इस पुस्तक में सम्मिलित चित्रों में भारतीय विधानमंडल के विभिन्न पहलुओं, इसकी भव्य वास्तुकला की आभा और सौन्दर्य तथा इसके भीतर रची-बसी जीवन शक्ति को प्रदर्शित किया गया है। इसमें विभिन्न प्रक्रियात्मक उपायों और संस्थागत प्रक्रियाओं का उल्लेख है जो इस जीवंत संस्था के कार्यकरण को विनियमित करते हैं।

मैं लोक सभा के महासचिव, श्री तिरुनेलवेली कमलासामी विश्वानाथन तथा उनकी टीम को 'भारतीय संसद' के सातवें संस्करण के प्रकाशन हेतु बधाई देती हूं। मुझे आशा है कि यह प्रकाशन शिक्षाविदों, राजनीति विज्ञान के छात्रों और नागरिकों के लिए रुचिकर होगा।

मीरा कुमार

मीरा कुमार (श्रीमती)
अध्यक्ष, लोक सभा

नई दिल्ली
सितम्बर 2012

आमुख

भारत की संसद विश्व के सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र का उच्चतम विमर्शी निकाय और सर्वोच्च प्रातिनिधिक संस्था है। इसी के सदनों में एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले इस राष्ट्र का भाग्य निर्धारित होता है, लोगों के सरोकारों और समस्याओं का निदान होता है तथा उनकी अपेक्षाएं और सपने पूरे होते हैं। इसी लोकतंत्र के मन्दिर में संसद के दोनों सदनों के सदस्य कार्यपालिका को सदैव जवाबदेह बनाए रखते हैं तथा राष्ट्र कल्याण की नीतियों और कार्यक्रमों पर निकट से निगरानी रखते हैं।

यह संसद रूपी संस्था भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही बदलते समय के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए तथा जनाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हुए, निरन्तर विकासशील है। कहने की आवश्यकता नहीं कि संसद के कार्य-निष्पादन, उसकी संचालन प्रणाली और विविध क्रियाकलापों की जानकारी जनता तक अवश्य पहुंचायी जानी चाहिए ताकि एक उत्कृष्ट लोक संस्था के रूप में इसकी क्षमता में लोगों की आस्था और विश्वास कायम रहे।

इस प्रकाशन में हमारी संसदीय विरासत, संसद का कामकाज तथा यहां अपनाई जाने वाली संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों तथा संसद सदस्यों को दी जाने वाली सहायक सेवाओं, इत्यादि के बारे में बुनियादी और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकाशन में बड़ी संख्या में संसद भवन और इसके सदनों, संसदीय सौध, संसदीय ज्ञानपीठ तथा संसद के दोनों सदनों से संबंधित गण्यमान्य व्यक्तियों के फोटो-चित्र शामिल किये गये हैं।

हम लोक सभा की माननीय अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार के हार्दिक आभारी हैं जिन्होंने इस प्रकाशन के लिए ज्ञानप्रद प्राक्कथन लिखने की कृपा की है। इस पुस्तक के प्रकाशन में हमें माननीय अध्यक्ष से अत्यधिक प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और इसके लिए हम उनके अत्यंत ऋणी हैं।

हमें आशा है कि यह प्रकाशन सभी पाठकों के लिए उपयोगी और ज्ञानप्रद सिद्ध होगा।

नई दिल्ली
सितम्बर, 2012

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

विषय-सूची

		पृष्ठ
एक.	**आधुनिक संसद की स्थापना की ओर**	1
	• हमारी लोकतांत्रिक विरासत	1
	• संसदीय संस्थाओं का विकास	1
	• संविधान सभा	2
	• संविधान	3
	• निर्वाचन-प्रणाली	4
दो.	**संसद**	5
	• राष्ट्रपति	5
	• राज्य सभा	6
	• लोक सभा	9
	• संवैधानिक योजना	9
	• सापेक्षिक भूमिकाएं	10
तीन.	**संसदीय लोकतंत्र की कार्य-शैली**	11
	• प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्	11
	• सरकार और विपक्ष	14
	• संसद सदस्य	14
	• राजनीतिक दल	15
	• गठबंधन सरकार	15
चार.	**संसद—भूमिका और कृत्य**	17
	• सत्र और संसदीय कार्य	17
	• राष्ट्रपति का अभिभाषण	18
	• प्रक्रियात्मक उपाय	19
	प्रश्न	19
	आधे घंटे की चर्चा	19
	ध्यानाकर्षण	20
	नियम 377 के अधीन मामले/विशेष उल्लेख	20
	अल्पकालिक चर्चा	20

पृष्ठ

'शून्य काल' 20
स्थगन प्रस्ताव 20
अविश्वास प्रस्ताव 21
विश्वास प्रस्ताव 21
संकल्प 21
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 21
सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र 21
- विधायी प्रक्रिया 22

प्रथम वाचन 22
विधेयक स्थायी समिति को भेजना 22
द्वितीय वाचन 22
तृतीय वाचन 23
दूसरी सभा में विधेयक 23
धन विधेयक 23
संविधान संशोधन विधेयक 24
संयुक्त बैठक 24
- राष्ट्रपति द्वारा अनुमति 24
- वित्तीय जवाबदेही 24

बजट 25
बजट पर सामान्य चर्चा 25
विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार 25
अनुदानों की मांगों पर चर्चा 25
गिलोटिन 26
लेखानुदान 26
विनियोग विधेयक 26
वित्त विधेयक 26
अनुपूरक/अतिरिक्त अनुदान 27
- सभा का विनिश्चय 27
- मत-विभाजन 27

पांच. संसदीय वाद-विवाद 29

छह. संसदीय समितियां 31
- स्थायी समितियां 31

वित्तीय समितियां 31
विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां 32
अन्य स्थायी समितियां 33
- तदर्थ समितियां 34

सात. संसदीय मंच 37

पृष्ठ

आठ. अंतर-संसदीय संबंध 41
भारतीय संसदीय ग्रुप 41
संसदीय मैत्री ग्रुप 42

नौ. संसद के कार्य निर्वाहक 43
- राज्य सभा का सभापति 43
- लोक सभा का अध्यक्ष 43
- सदन का नेता 46
- विपक्ष का नेता 49
- राज्य सभा का उपसभापति 51
- लोक सभा का उपाध्यक्ष 52
- सभापति तालिका 52
- सचेतक 52
- महासचिव 54

दस. सचिवालय 57

ग्यारह. संवादशील संसद 59
- संसदीय कार्यवाही का टेलीप्रसारण—लोक सभा टेलीविजन चैनल 59
- संसद की वेबसाइट 60
- संसद ग्रंथालय 62
- बाल कक्ष 63
- प्रेस तथा जनसंपर्क 64
- सूचना का अधिकार 64

बारह. संसदीय संग्रहालय 65

तेरह. संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो 67

चौदह. संसद परिसर 69
- संसद भवन 69

केन्द्रीय कक्ष 73
केन्द्रीय कक्ष में चित्र 73
राज्य सभा चैम्बर 74
लोक सभा चैम्बर 75
लॉबियां और दीर्घाएं 76
संसद भवन परिसर में प्रतिमाएं और आवक्ष प्रतिमाएं 77
चित्रकारी 78
भित्तिलेख 84

- संसदीय सौध 87
- संसदीय ज्ञानपीठ 89
- *संसदीय सौध का विस्तार* 89

महात्मा गांधी
(2 अक्तूबर 1869 — 30 जनवरी 1948)

संसद भवन के द्वार सं.-1 के ठीक सामने महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा
श्री राम वी. सुतार द्वारा बनाई गई इस प्रतिमा का अनावरण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा द्वारा 2 अक्तूबर 1993 को किया गया था।

आधुनिक संसद की स्थापना की ओर

हमारी लोकतांत्रिक विरासत

भारत में सहवर्ती संस्थागत ढांचे में एक पूर्ण विकसित संसदीय प्रणाली की सरकार वर्ष 1950 के गणतांत्रिक संविधान की देन है। तथापि, प्रातिनिधिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक परंपराएं भारत की समृद्ध विरासत का अभिन्न अंग रही हैं। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उद्भव वैदिक काल में लगभग 3000 ई.पू. में हो गया था जब लोकसम्मत सभाओं तथा निर्वाचित राजतंत्र का प्रचलन था। देश के विभिन्न भागों में 1000 ई.पू. से लेकर 600 ईसवी तक लगभग सोलह शताब्दियों तक गणतांत्रिक परम्परा अबाध रूप से चलती रही। जन प्रतिनिधियों वाली सभा अर्थात् *समिति* और चुनिंदा ज्येष्ठ जनों वाला छोटा निकाय अर्थात् *सभा* जैसी लोकसम्मत सभायें परामर्श, चर्चा और वाद-विवाद के माध्यम से सार्वजनिक कार्य करती थीं। निचले स्तर पर लोकतंत्र *पंचायतों* और *ग्राम सभाओं* के रूप में पनपा तथा यह परम्परा प्राचीन काल और मध्य काल से लेकर अंग्रेजी शासन आने तक एवं इसके बाद भी किसी-न-किसी रूप में फलती-फूलती रही।

मूल सुलेखित प्रति में अंकित भारत के संविधान की उद्देशिका

संसदीय संस्थाओं का विकास

भारत में आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास विदेशी शासन के खिलाफ हमारे संघर्ष तथा लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित करने की हमारी लगन के फलस्वरूप हुआ। हमारे यहां अनेक सहस्राब्दि पूर्व पड़ चुकी लोकतंत्र की नींव, इन शताब्दियों में विकसित लोकतांत्रिक मानदण्डों एवं लोकनीतियों और इन सबसे बढ़कर, लोकतांत्रिक कार्य-प्रणाली में जनता की स्वाभाविक आस्था के कारण उत्तरोत्तर प्रक्रिया के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र को अपनाने में बड़ी सहायता मिली। पहली बार 1833 के चार्टर अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर-जनरल का शासन भारत शासन के नाम से और उसकी परिषद् भारतीय परिषद् के नाम से जानी जाए, साथ ही विधायी क्षेत्र में केन्द्रीकरण की शुरुआत की गई। वर्ष 1853 तक कार्यपालिका से पृथक् किसी विधायी संस्था का अस्तित्व नहीं था। वर्ष 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार बारह-सदस्यीय विधान परिषद् के रूप में एक पृथक् विधानमंडल की व्यवस्था की गई जिसमें गवर्नर-जनरल, कार्यकारी परिषद् के चार सदस्य, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य व्यक्ति शामिल थे।

वर्ष 1857 में हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि इसने सदियों पुरानी अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी थीं तथा अंग्रेजों को विधायी सुधार लाने एवं जनता के साथ निकट संबंध बनाने के लिए बाध्य कर दिया था। फलस्वरूप, भारत शासन अधिनियम, 1858 बना जो भारत पर ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अन्तर्गत भारत के शासन की दिशा में शायद पहला कानून था। वर्ष 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा विधायी विकेन्द्रीकरण की योजना चलाई गई और 1892 के इंडियन

काउंसिल एक्ट द्वारा पहली बार चुनाव के माध्यम से लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ सीटें भरे जाने का प्रावधान किया गया। वर्ष 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा विधायी परिषद् (लेजिस्लेटिव काउंसिल) का विस्तार एवं उनकी शक्तियों में वृद्धि का प्रावधान किया गया और इसके द्वारा मार्ले-मिन्टो सुधार लागू किया गया।

भारत शासन अधिनियम, 1919, जिसके द्वारा मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया गया, भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसी के द्वारा केन्द्र में द्विसदनीय विधानमंडल तथा प्रांतों में जिम्मेदार सरकार के कुछ तत्व शामिल किये गये । केन्द्रीय विधानमंडल में गवर्नर-जनरल और दो सदन–लेजिस्लेटिव असेम्बली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते थे। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत गठित पहली लेजिस्लेटिव असेम्बली केन्द्र में 1921 में बनी। भारत शासन अधिनियम, 1935, जिसके द्वारा इस प्रणाली में संघीय विशेषताएं तथा प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई और केन्द्र एवं प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया गया, के अधिनियमन के बाद भी भारत में केन्द्रीय सरकार का संविधान कुल मिलाकर वही रहा, जो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत था क्योंकि 1935 के अधिनियम का संघीय भाग कभी भी लागू नहीं किया गया। केन्द्रीय विधानमंडल 1921 से 1947 तक 25 वर्षों तक कार्य करता रहा।

संविधान सभा

भारत की जनता का पहला प्रातिनिधिक निकाय–संविधान सभा, जिसे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण निकाय के रूप में कार्य करने का कार्य सौंपा गया था, ने 9 दिसम्बर 1946 को यह महत्वपूर्ण कार्य आरम्भ किया। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना गया था। ब्रिटेन की संसद द्वारा अधिनियमित 1947 के भारतीय स्वाधीनता अधिनियम में यह घोषणा की गई कि संविधान सभा पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न निकाय है और केन्द्रीय विधान सभा तथा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का 14 अगस्त 1947 से अस्तित्व नहीं रहेगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आजादी मिलते ही संविधान सभा को पूर्ण शक्ति प्राप्त हो गई और इसने स्वतंत्र भारत की विधान सभा के रूप में कार्य करना शुरू किया। संविधान सभा के दो कृत्यों अर्थात् संविधान निर्माण तथा विधि निर्माण को स्पष्ट तौर पर एक-दूसरे से अलग किया गया तथा संविधान सभा (विधायी) ने अपना कार्य 17 नवम्बर 1947 से आरंभ किया।

संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के सभापति के रूप में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने 2 वर्ष, 11 माह तथा 17 दिन तक चले 11 सत्रों में

दीर्घा से केन्द्रीय कक्ष का एक दृश्य

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में गहन विचार-विमर्श किया और उभरते भारत के लिए संविधान की एक उत्कृष्ट पांडुलिपि तैयार की। 26 नवम्बर 1949 को *हम, भारत के लोगों* द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया तथा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए इस संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का गौरव प्राप्त हुआ। संविधान लागू होने के ठीक पहले संविधान सभा भारत की अस्थायी संसद बन गई तथा इसी रूप में इसने वयस्क मताधिकार के आधार पर 1952 में हुए पहले आम चुनाव तक काम किया। इस प्रकार गठित संसद नये संविधान के उपबंधों के अनुरूप थी। तब से, संविधान में विहित उत्कृष्ट आदर्श राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहे हैं तथा यह सबसे बड़े और उत्कृष्ट गणराज्यों के संविधानों में से एक है।

संविधान

भारत 28 राज्यों और 7 संघ राज्यक्षेत्रों वाला एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य संघ है तथा यह देश के सर्वोच्च कानून–संविधान द्वारा शासित है। संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की संकल्पना की गई है जिसमें संसद के दोनों सदनों से कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन किया जाता है और वह जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। भारत के संविधान का स्वरूप संघीय है पर इसकी प्रकृति एकात्मक है। वस्तुत: यह एक सुस्पष्ट एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय संविधान है।

हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के तीन महत्वपूर्ण अंग–विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका–हैं। संविधान उनकी शक्तियों को परिभाषित करता है, उनके कार्यक्षेत्रों का परिसीमन करता है, उनकी जवाबदेही सीमांकित करता है और उनके बीच पारस्परिक एवं जनता के साथ संबंध को विनियमित करता है। संविधान में राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्तियों के विभाजन की संकल्पना की गई है तथा प्रत्येक अंग अपनी सीमाओं के भीतर कार्य करता है। इन तीनों अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध की संकल्पना की गई है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच अत्यंत घनिष्ठ संबंध हैं तथा इनकी संकल्पना सरकार के कामकाज में अभिन्न सहभागी के रूप में की गई है। दूसरी तरफ, न्यायपालिका स्वतंत्र प्राधिकरण है जिसे संविधान द्वारा कार्यपालिका के आदेशों तथा विधायिका द्वारा बनाये गये कानूनों की वैधता तथा संवैधानिकता पर विचार करने की शक्ति प्रदान की गई है।

केन्द्रीय कक्ष में मंच के निकट का एक दृश्य

भारतीय संविधान को इसमें अन्तर्निहित संशोधन प्रक्रिया के कारण ठीक ही आंशिक रूप से लचीला तथा आंशिक रूप से कठोर कहा जाता है जिसमें साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और असाधारण मामलों में राज्य विधानमंडलों की कम से कम आधी संख्या के अनुसमर्थन सहित विशेष बहुमत का उपबंध है। संविधान में 95 बार संशोधन किया जा चुका है जिसके कारण एक समतावादी समाज का निर्माण करते हुए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हुए हैं।

निर्वाचन प्रणाली

भारत में संसदीय शासन प्रणाली युक्त संविधान सम्मत लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र चुनावी तंत्र है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना है।

संसद समय-समय पर, विधि द्वारा लोक सभा और विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध करती है जिनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार कराना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और सभाओं का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय शामिल हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में विशेषकर निर्वाचकों को निरर्ह करने के व्यापक उपबंध हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कतिपय निश्चित आधारों पर चुने हुए प्रतिनिधियों की निरर्हता के उपबंध और प्रक्रिया सहित चुनाव के संचालन के बारे में है।

वयस्क मताधिकार पर आधारित 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' की निर्वाचन पद्धति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पांच वर्ष पर कराये जाने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन वास्तव में स्वरूप और सार–दोनों ही दृष्टि से भागीदारीपूर्ण हैं। लोक सभा चुनावों के लिए देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है और निर्वाचक (18 वर्ष तथा उससे अधिक की आयु वाले) अपनी पसंद के उम्मीदवार को अपना मत देते हैं।

आम चुनावों में मतदान हेतु प्रतीक्षारत मतदाता

वृद्ध महिला को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग बतलाते हुए

संसद

भारत की संसद एक द्विसदनीय विधानमंडल है जो राष्ट्रपति और दो सदनों–राज्य सभा (काउंसिल ऑफ स्टेट्स) और लोक सभा (हाउस ऑफ द पीपुल) से मिलकर बनी है। यद्यपि, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तथापि, वह संसद का अभिन्न अंग होता है और इसकी कार्यवाहियों से संबंधित कतिपय कार्यों का निष्पादन करता है।

राष्ट्रपति

गणराज्य का राष्ट्रपति, एक निर्वाचक मंडल, जिसमें संसद की दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है और वह उस पद पर पुनः निर्वाचित होने का पात्र होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है और अपने समस्त कृत्यों के निर्वहन में वह प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद्, जो कि 'हाउस ऑफ द पीपुल' अर्थात्, लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, की सलाह पर कार्य करता है।

यद्यपि, राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, किन्तु वह दोनों सदनों में से किसी में भी बहस के दौरान न तो उपस्थित होता है और न ही उसमें भाग लेता है। संसद से संबंधित संवैधानिक कार्यों के रूप में वह समय-समय पर संसद के दोनों सदनों की बैठकें आहूत करता है और उनका सत्रावसान करता है और लोक सभा का विघटन करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है। लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ के समय और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के आरंभ पर राष्ट्रपति, संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में एक साथ समवेत दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष अभिभाषण देता है।

राष्ट्रपति में, अन्य बातों के अतिरिक्त, संसद में लंबित किसी विधेयक या किसी अन्य विषय पर प्रत्येक सदन को संदेश भेजने की शक्ति निहित है। कतिपय विधेयकों को तब तक पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता और उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि इस निमित्त राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त न कर ली जाए। इतना ही नहीं, जब संसद की दोनों सभाओं का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि उस समय विद्यमान परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक है, तो वह संसद द्वारा पारित कानूनों के समतुल्य शक्ति और प्रभाव वाले अध्यादेश प्रख्यापित करता है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है।

संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद से संबंधित कुछ अन्य कृत्यों का निष्पादन भी करता है। राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर लोक सभा के *अस्थायी* अध्यक्ष और राज्य सभा के कार्यवाहक सभापति की भी नियुक्ति करता है। यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सभाएं सहमत नहीं होती हैं

तो राष्ट्रपति दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष सरकार का बजट भी पेश करवाता है। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग की राय लेने के बाद राष्ट्रपति को विधिवत् निर्वाचित किसी सदस्य को संविधान में निर्धारित निरर्हताओं के अनुसार निरर्ह करने का विनिर्णय करने का अधिकार है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है।

राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उप-राष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए संविधान के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। भारत का उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति भी होता है।

राज्य सभा

राज्य सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सभा है जिसमें 250 से अनधिक सदस्य होते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव के लिए नामनिर्देशित किया जाता है। प्रत्येक राज्य से राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तथापि प्रत्येक राज्य से कम से कम एक सदस्य उसका प्रतिनिधित्व करता है। राज्य सभा के लिए संघ राज्यक्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव ऐसी रीति से किया जाता है जैसाकि संसद विधि द्वारा विनिर्धारित करे। राज्य सभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 नामनिर्देशित सदस्य होते हैं। राज्य सभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम अर्हक आयु 30 वर्ष है।

राज्य सभा एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं होता है किन्तु इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के बाद बारी-बारी से सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनका स्थान नवनिर्वाचित सदस्य ग्रहण कर लेते हैं। राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष होता है।

राज्य सभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और सभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी।

भारत के राष्ट्रपति

श्री प्रणब मुखर्जी
(25 जुलाई 2012 से पदासीन)

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
(25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012)

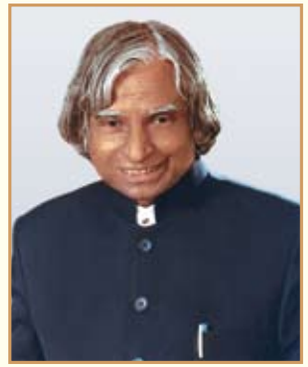

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
(25 जुलाई 2002 — 25 जुलाई 2007)

श्री के.आर. नारायणन
(25 जुलाई 1997 — 25 जुलाई 2002)

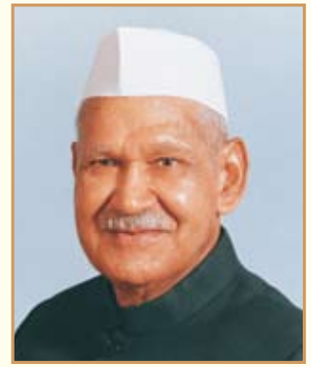

डॉ. शंकर दयाल शर्मा
(25 जुलाई 1992 — 25 जुलाई 1997)

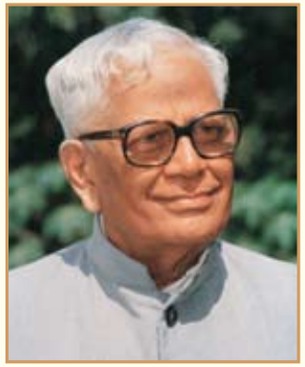

श्री आर. वेंकटरमन
(25 जुलाई 1987 — 25 जुलाई 1992)

ज्ञानी जैल सिंह
(25 जुलाई 1982 — 25 जुलाई 1987)

डॉ. नीलम संजीवा रेड्डी
(25 जुलाई 1977 — 25 जुलाई 1982)

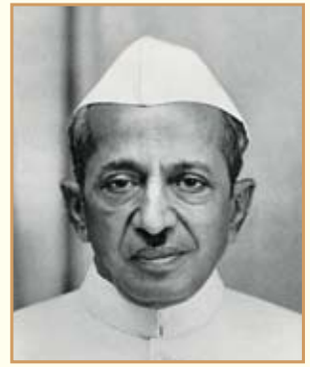

श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती
(11 फरवरी 1977 — 25 जुलाई 1977) (कार्यवाहक)

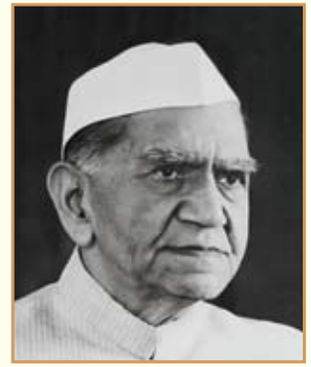

श्री फखरुद्दीन अली अहमद
(24 अगस्त 1974 — 11 फरवरी 1977)

श्री एम. हिदायतुल्लाह
(20 जुलाई 1969 — 24 अगस्त 1969) (कार्यवाहक)

श्री वाराहगिरि वेंकट गिरि
(24 अगस्त 1969 — 24 अगस्त 1974,
3 मई 1969 — 20 जुलाई 1969) (कार्यवाहक)

डॉ. जाकिर हुसैन
(13 मई 1967 —3 मई 1969)

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
(13 मई 1962 — 13 मई 1967)

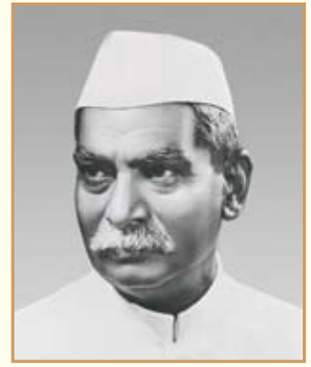

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(26 जनवरी 1950 — 13 मई 1962)

भारत के उप-राष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति

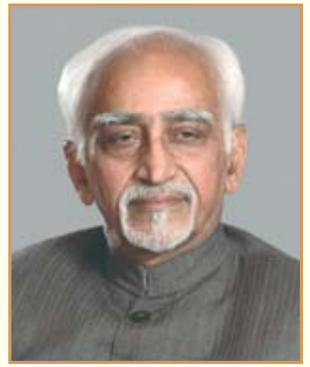

मोहम्मद हामिद अन्सारी
(11 अगस्त 2007 से पदासीन)

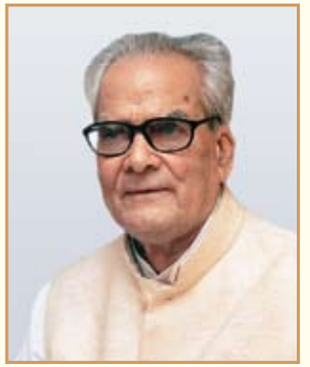

श्री भैरों सिंह शेखावत
(19 अगस्त 2002 — 21 जुलाई 2007)

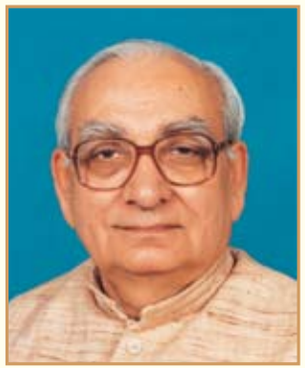

श्री कृष्णकांत
(21 अगस्त 1997 — 27 जुलाई 2002)

श्री के.आर. नारायणन
(21 अगस्त 1992 — 24 जुलाई 1997)

डॉ. शंकर दयाल शर्मा
(3 सितम्बर 1987 — 24 जुलाई 1992)

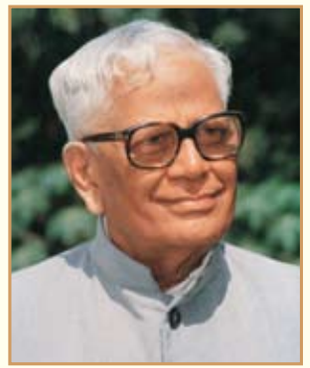

श्री आर. वेंकटरमन
(31 अगस्त 1984 — 24 जुलाई 1987)

श्री एम. हिदायतुल्लाह
(31 अगस्त 1979 — 30 अगस्त 1984)

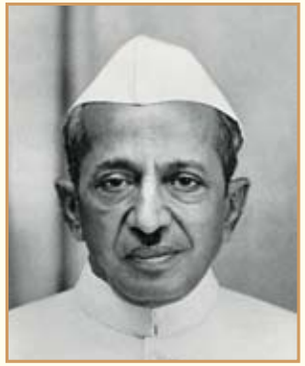

श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती
(31 अगस्त 1974 — 30 अगस्त 1979)

श्री गोपाल स्वरूप पाठक
(31 अगस्त 1969 — 30 अगस्त 1974)

श्री वाराहगिरि वेंकट गिरि
(13 मई 1967 — 3 मई 1969)

डॉ. जाकिर हुसैन
(13 मई 1962 — 12 मई 1967)

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
(13 मई 1952 — 12 मई 1962)

लोक सभा

लोक सभा, जैसाकि नाम से स्पष्ट है, जनप्रतिनिधियों की सभा है। इसके सदस्यों का प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। संविधान के अनुसार लोक सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय से, यदि राष्ट्रपति की राय में इस समुदाय को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, नामनिर्देशित किये जाते हैं।

स्थानों के आबंटन के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को आबंटित स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। संविधान वर्ष 2026 तक लोक सभा में स्थानों की संख्या में किसी प्रकार की वृद्धि को विशेष रूप से निर्बंधित करता है। वर्तमान में लोक सभा में दो नामनिर्देशित सदस्यों सहित 545 सदस्य हैं।

लोक सभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम अर्हक आयु 25 वर्ष है। भारत का प्रत्येक नागरिक, पुरुष अथवा महिला, जिसकी आयु 18 वर्ष है, लोक सभा के चुनावों में मतदान करने का पात्र है जब तक कि वह संविधान द्वारा अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है।

लोक सभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहती है। परंतु, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, तब संसद विधि द्वारा एक बार में एक वर्ष से अनधिक, किन्तु किसी भी स्थिति में उद्घोषणा का प्रवर्तन समाप्त हो जाने के बाद छह माह से अधिक समय तक इस अवधि को नहीं बढ़ा सकती है।

पहली लोक सभा का गठन 17 अप्रैल, 1952 को हुआ था और सभा की पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी; अब तक पन्द्रह लोक सभाओं का गठन हो चुका है।

संवैधानिक योजना

अन्य संसदीय लोकतंत्रों की भांति भारतीय संसद के महत्वपूर्ण कार्य विधान बनाना, प्रशासन पर निगरानी रखना, बजट पारित करना तथा जन-साधारण की कठिनाइयों की अभिव्यक्ति करना, राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करना, आदि हैं।

संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि उससे विधायी क्षेत्र में संसद को कई प्रकार से प्रभुत्व हासिल हो। संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद को दिये गये विविध विषयों के अतिरिक्त, संसद सामान्य स्थिति में भी, कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत, केवल राज्यों के लिए आरक्षित विषयों पर भी कानून बना सकती है।

इसके अतिरिक्त, गम्भीर आपात स्थिति में जब युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो और राष्ट्रपति ने आपात की उद्घोषणा कर दी हो, तब संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों में से किसी भी विषय पर सम्पूर्ण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। इसी प्रकार किसी राज्य में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अंतर्गत किया जाएगा।

विभिन्न विषयों पर कानून बनाने की शक्ति के अतिरिक्त, संविधान के अनुसार संविधान संबंधी अथवा संविधान में संशोधन करने संबंधी शक्ति संसद में निहित है।

संविधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद वित्त पर नियंत्रण रखकर कार्यपालिका पर प्रभावी तरीके से अपना नियंत्रण रखती है। इसके अतिरिक्त, भारत में संसदीय प्रक्रिया मंत्रियों द्वारा दायित्वों को पूरा कराने के, सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करने और उन्हें प्रभावित करने के तथा जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराती है। प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न पूछने की गुंजाइश तथा अपूर्ण अथवा असंतोषप्रद उत्तर प्राप्त होने पर, आधे घंटे की चर्चाओं, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, अल्पावधि चर्चाओं, नियम 377 के अधीन मामलों आदि की प्रक्रिया से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है और सरकारी कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, बजट तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अनुदानों की मांगों और व्यय को पूरा करने के लिए धन जुटाने के प्रस्तावों पर चर्चा के समय प्रशासन के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा अन्य मूल प्रस्तावों के माध्यम से विशिष्ट मामलों पर चर्चा की जा सकती है। अत्यन्त गंभीर मामलों में सरकार की निन्दा की जा सकती है अथवा मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही, वृहद संसदीय समिति प्रणाली के माध्यम से सरकार के कार्यों पर कड़ा एवं सतत नियंत्रण रखा जाता है।

सापेक्षिक भूमिकाएं

वित्तीय मामलों में दोनों सभाओं में से लोक सभा सर्वोपरि है। दोनों सभाओं के सदस्यों में से बनायी गयी मंत्रिपरिषद् भी सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

दूसरी ओर, यदि राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक हो तो संसद को राज्य-सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम बनाने में राज्य सभा की विशेष भूमिका है। केन्द्र तथा राज्य, दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने के विषय में भी राज्य सभा की समान भूमिका है। अन्य मामलों में संविधान द्वारा दोनों सभाओं को समान स्तर प्रदान करने के सिद्धान्त का पालन किया गया है।

किसी विधेयक पर संशोधनों के बारे में दोनों सभाओं का मतभेद दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक से ही निपटाया जा सकता है, जिसमें उन विषयों पर बहुमत से निर्णय किया जाता है।

संसदीय लोकतंत्र की कार्य-शैली

हमारे यहां प्रातिनिधिक संसदीय लोकतंत्र है जिसमें लोग अपनी संप्रभु इच्छा का प्रयोग आवधिक चुनावों के जरिए करते हैं तथा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि एक ऐसी सरकार का चयन करते हैं जो हर समय संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इस प्रणाली में, प्रशासन चलाने वाली राजनीतिक कार्यपालिका के पास जनादेश होता है और नागरिकों के प्रति उसकी जवाबदेही संसद के जरिए ही सुनिश्चित होती है।

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्

भारत में कार्यकारी शक्तियां राज्याध्यक्ष, अर्थात् राष्ट्रपति में निहित हैं। संविधान में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद्, जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा, की सहायता और सलाह से कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

प्रधानमंत्री, शासनाध्यक्ष होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो चुनावों के बाद सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेता हो और उस दल का लोक सभा में बहुमत हो। मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है; तथापि, यह तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि उसे लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। विपक्ष लोक सभा में विश्वास के अभाव की अभिव्यक्ति स्वरूप मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव ला सकता है और यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो इसके परिणामस्वरूप सरकार गिर जाती है। सत्तारूढ़ सरकार विश्वास प्रस्ताव पेश करके तथा लोक सभा का विश्वास जीतकर सभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकती है।

सामूहिक उत्तरदायित्व भारतीय संसदीय लोकतंत्र का मूल तत्व है। कार्यपालिका के उत्तरदायित्व के दो पहलू हैं: मंत्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है तथा मंत्री अपने प्रभार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों के कामकाज के लिए संसद के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। मंत्रिपदीय उत्तरदायित्व के अंतर्गत, मंत्री अपने अधीन आने वाले विभागों से जुड़े सभी मामलों और कार्य-निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। मंत्रिपरिषद् की जवाबदेही के अंतर्गत सरकार पर संसद का सतत नियंत्रण शामिल है क्योंकि नियंत्रण और जवाबदेही साथ-साथ चलते हैं।

प्रातिनिधिक लोकतंत्र का एक मूलभूत उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन का संचालन लोगों की इच्छाओं के अनुसार हो और यह उनकी आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के संवर्धन के लिए प्रयासरत रहे। सरकार पर संसदीय नियंत्रण का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकार जनहित के लिए भरसक प्रयास करे और बेहतर परिणाम दे। संसदीय निगरानी इस दृष्टि से भी अनिवार्य है कि कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग अथवा गलत इस्तेमाल न हो। इसके साथ ही, यह कुशासन के विरुद्ध भी एक गारंटी के तौर पर कार्य करती है।

संसद भवन के प्रथम तल पर स्तम्भावली का एक दृश्य

भारत के प्रधानमंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह
(22 मई 2004 से पदासीन)

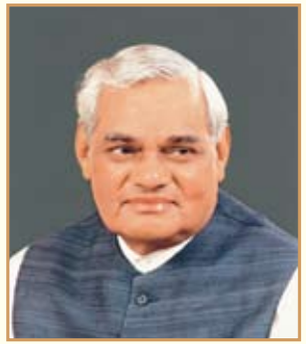

श्री अटल बिहारी वाजपेयी
(19 मार्च 1998 — 22 मई 2004,
16 मई 1996 — 1 जून 1996)

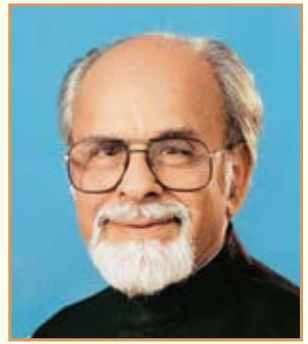

श्री आई.के. गुजराल
(21 अप्रैल 1997 — 18 मार्च 1998)

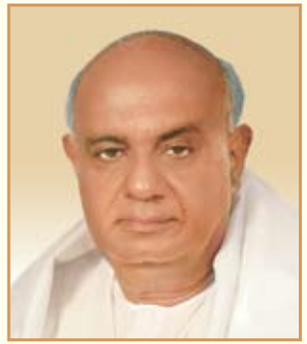

श्री एच.डी. देवगौड़ा
(1 जून 1996 — 21 अप्रैल 1997)

श्री पी.वी. नरसिंह राव
(21 जून 1991 — 16 मई 1996)

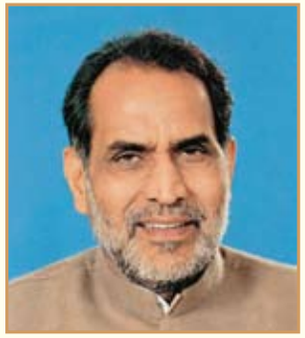

श्री चन्द्रशेखर
(10 नवम्बर 1990 — 21 जून 1991)

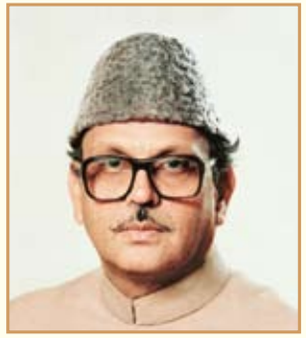

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
(2 दिसम्बर 1989 — 10 नवम्बर 1990)

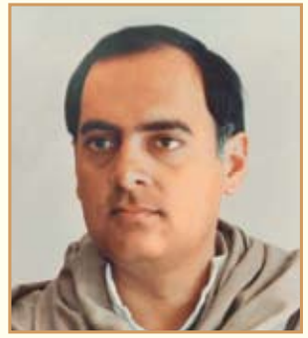

श्री राजीव गांधी
(31 अक्तूबर 1984 — 1 दिसम्बर 1989)

श्रीमती इन्दिरा गांधी
(14 जनवरी 1980 — 31 अक्तूबर 1984,
24 जनवरी 1966 — 24 मार्च 1977)

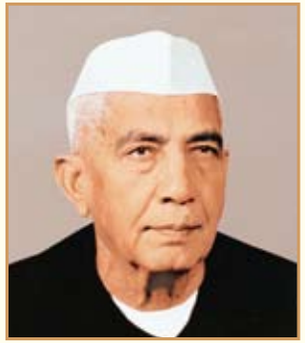

चौधरी चरण सिंह
(28 जुलाई 1979 — 14 जनवरी 1980)

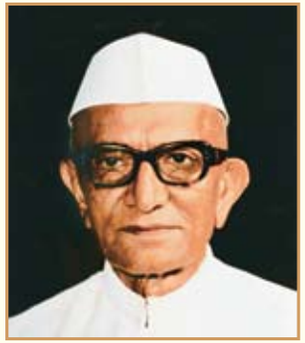

श्री मोरारजी देसाई
(24 मार्च 1977 — 28 जुलाई 1979)

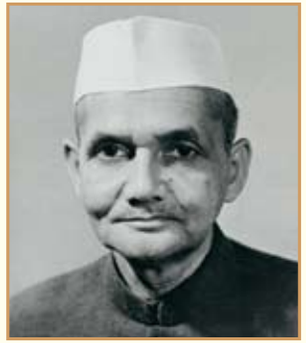

श्री लाल बहादुर शास्त्री
(9 जून 1964 — 11 जनवरी 1966)

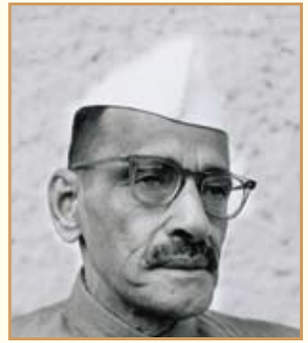

श्री गुलजारी लाल नंदा
(11 जनवरी 1966 — 24 जनवरी 1966 (कार्यवाहक),
27 मई 1964 — 9 जून 1964)

पंडित जवाहर लाल नेहरू
(15 अगस्त 1947 — 27 मई 1964)

इस प्रकार कार्यपालिका की नीतियां और कार्यक्रम निरंतर संसदीय संवीक्षा के अधीन रहते हैं।

सरकार और विपक्ष

भारतीय लोकतंत्र अनेक विकल्पों अर्थात् वैकल्पिक दलों, वैकल्पिक नीतियों, सिद्धांतों, दृष्टिकोणों और वैकल्पिक नेताओं की प्रणाली है। इस प्रणाली में आज का विपक्षी दल कल का सत्तारूढ़ दल और इसी प्रकार आज का सत्तारूढ़ दल कल का विपक्षी दल हो सकता है। अतएव, संसदीय प्रणाली में एक सजग और कार्यशील विपक्ष की सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका है। वस्तुतः, विपक्ष का अस्तित्व और प्रभावकारिता सरकार को वृहत्तर वैधानिकता और शक्ति प्रदान करती है। विपक्ष सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना करता है और सरकार की किसी भी भूल-चूक को उजागर करके सत्तापक्ष पर निरंतर निगरानी बनाए रखता है। इस प्रकार, लोकतंत्र की सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि सरकार कैसा कार्य कर रही है बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितना सचेत है। सरकार और विपक्ष दोनों को इस बात की जानकारी होती है कि उनकी सत्ता निर्वाचकों के समर्थन पर निर्भर है; इस प्रकार, सरकारी नीतियों की आलोचना करते समय विपक्ष सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाता है और उन नीतियों को, जो राष्ट्रीय हित में हों और विशेषतया जिनमें निरंतरता बरती जा रही हो, अपनाने में रचनात्मक सहयोग देता है।

भारतीय संसद अपने सभी सदस्यों को अनेक प्रक्रियात्मक उपायों के माध्यम से सरकार पर स्थायी और लगातार निगरानी रखने के लिए मंच उपलब्ध कराती है। विपक्ष के सदस्य ऐसे संसदीय उपायों के माध्यम से सरकार को अपनी गलतियों, यदि कोई हों, को स्वीकार करने और समुचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए बाध्य करते हैं। बजट और अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा विपक्ष को सरकारी कार्य-निष्पादन के विवेचनात्मक मूल्यांकन का एक और अवसर प्रदान करती है। विपक्ष के पास एक अन्य महत्वपूर्ण हथियार 'अविश्वास प्रस्ताव' भी मौजूद है।

संसद सदस्य

संसद के प्रत्येक सदस्य को सभा में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले संविधान में यथाविहित विधि से शपथ लेनी होती है अथवा प्रतिज्ञान करना होता है।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते संसद सदस्य को दुर्वह उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। वह एक ही समय में लोगों का प्रतिनिधि और नेता, दोनों है। एक प्रतिनिधि के रूप में वह सभा में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करता है और साथ ही जनता तक सरकार का संदेश पहुंचाता है। नेता के रूप में, यह सुनिश्चित करना उसका परम कर्तव्य है कि जनता की आवाज सुनी जाए, उसकी आकांक्षाएं पूरी हों, उसकी शिकायतें दूर हों और सरकार उसकी भावनाओं को समझे। वह सरकार और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इस प्रकार एक संसद सदस्य सभा के अन्दर और बाहर, कई प्रकार की भूमिकाएं निभाता है और कई कृत्य करता है। वह निःसंदेह, निर्वाचित सदस्य के रूप में सभा के भीतर अपनी विहित भूमिकाएं निभाता है। निर्वाचन क्षेत्र की अपनी भूमिका में, वह सुरक्षा वाल्व का कार्य करता है और नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने के ऐसे अवसर प्रदान करता है जो अन्यथा उन्हें प्राप्त नहीं होते। वह उन लोगों के लिए सूचना प्रदाता है जो उसके पास परामर्श अथवा जानकारी लेने के लिए आते हैं। संसद सदस्य एक प्रमुख स्थानीय/क्षेत्रीय प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होता है। वह स्थानीय एवं प्रादेशिक हित के लिए एक सक्रिय अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है। एक अन्य भूमिका में, सदस्य जरूरतमंद लोगों को कुछ लाभ दिलाने की दिशा में एक हितकारी व्यक्ति के रूप में कार्य करता है। साथ ही वह अपने निर्वाचकों का एक सशक्त एवं प्रभावशाली मित्र होता है। इन सबसे बढ़कर, वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों का संवर्द्धक होता है। कोई सांसद कितना सफल है, यह अन्ततः इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस कौशल से प्राथमिकताएं तय करता है और सभी संबंधित व्यक्तियों की संतुष्टि हेतु अपने कृत्यों का निर्वहन करता है।

राजनीतिक दल

राजनीतिक दल आधुनिक लोकतंत्र के अविभाज्य अंग हैं तथा चुनावों का संचालन अधिकांशत: उनके व्यवहार पर निर्भर होता है। यद्यपि बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार निर्दलीय होते हैं तथापि राजनीतिक दल उम्मीदवारों को संगठनात्मक सहायता और व्यापक चुनाव प्रचार की पेशकश करते हैं ताकि मतदाताओं को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने में सहायता मिल सके।

भारत में राजनीतिक बहुलवाद है तथा यह सरकार और विपक्ष—दोनों स्तरों में व्याप्त है। विगत वर्षों में देश में दलीय प्रणाली में विकासात्मक परिवर्तन हुए हैं। जहां 1950 के दशक तथा 1960 के आरम्भिक वर्षों में एक दल का प्रभुत्व था वहीं आज बहुलवादी और गठबंधन की राजनीति विद्यमान है। छोटे व क्षेत्रीय दलों सहित बहुदलीय प्रणाली होने से लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में बड़ी संख्या में राजनीतिक दल हिस्सा लेने लगे हैं। स्थानीय, राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में हिस्सा लेने के इच्छुक राजनीतिक दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत होना आवश्यक है।

545 सदस्यों वाली पंद्रहवीं लोक सभा में 38 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (207), भारतीय जनता पार्टी (115), समाजवादी पार्टी (22), बहुजन समाज पार्टी (21), जनता दल (यूनाइटेड) (20), अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (19), द्रविड़ मुनेत्र कषगम (18), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (16), बीजू जनता दल (14) और शिव सेना (11) सदन में प्रमुख राजनीतिक दल हैं।

गठबंधन सरकार

विगत लगभग बीस वर्षों में भारत में राजनीतिक स्थिति नाटकीय ढंग से बदली है जिसके कारण पूर्णत: एक नया परिदृश्य उभरा है। संसद और राज्य विधानमंडलों की बदलती राजनैतिक संरचना के कारण गठबंधन सरकारें अस्तित्व में आईं। देश में केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों ने या दलों के गठबंधन ने सरकार बनाई है जबकि प्रमुख राजनीतिक दलों को विपक्ष में बैठना पड़ा है। ऐसे भी अनेक दल हैं जो गठबंधन में शामिल नहीं हैं परन्तु विशिष्ट मुद्दों के आधार पर सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं।

तेरहवीं लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (रा.ज.ग.) केंद्र में सत्तासीन था। चौदहवीं लोक सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (सं.प्र.ग.) की सरकार केंद्र में रही। पंद्रहवीं लोक सभा में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सत्ता में आया है।

संसद भवन में राज्य सभा के सभापति द्वार के बाहर स्थित लॉनों का दृश्य

संसद–भूमिका और कृत्य

भारत की संसद, देश की सर्वोच्च विधायी एवं विमर्शी संस्था है और यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण व केन्द्रीय स्थान रखती है। भारत की जनता की संप्रभु इच्छा इसी पावन संस्था के सदनों के भीतर पूरी सार्थकता से मुखरित होती है। देश के करोड़ों नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और सरोकारों को पूरा करने के लिए यह विभिन्न प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है। अन्य देशों की संसदों की तरह हमारी संसद मात्र एक विधि-निर्मात्री संस्था नहीं है बल्कि इसने विगत दशकों के दौरान अनेक प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए स्वयं को अधिकतर एक बहुकृत्यकारी संस्था के रूप में स्थापित किया है। यह देश के राजनैतिक स्पंदन का मुख्य केन्द्र, हमारे समाज का एक ऐसा दर्पण है जो बदलते समय की अपेक्षाओं को आत्मसात करते हुए अपने दायित्व के निर्वहन और हमारी संसदीय राज्यव्यवस्था के संचालन में निरत है।

जहां तक संसद की नेतृत्वकारी भूमिका का संबंध है, उसने हमेशा शांति व समृद्धि के पथ पर देश को अग्रसर करने हेतु राष्ट्रीय नेतृत्व को एक उपयुक्त मंच प्रदान किया है तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए वह एक प्रशिक्षण-स्थली रही है। एक अन्य स्तर पर हमारी संसद–राष्ट्र की विविधता व बहुलता की प्रतीक है – वह जहां राजनीति तथा समाज के भीतर उठने वाले विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों का समाधान करती है वहीं राष्ट्रीय एकता व अखण्डता को मजबूत भी बनाती है। इस प्रकार संसद विवादों का समाधान एवं राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने वाली भूमिकाओं द्वारा सराहनीय योगदान करती आई है।

संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासन और कार्यपालिका इस सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के प्रति जवाबदेह हों। प्रशासन की निगरानी विभिन्न प्रक्रियात्मक उपायों द्वारा सुनिश्चित की जाती है ताकि सदस्य किसी भूल-चूक के बारे में कार्यपालिका से स्पष्टीकरण मांग सके।

सत्र और संसदीय कार्य

एक वर्ष में संसद के तीन सत्र होते हैं: (एक) बजट सत्र–फरवरी-मई; (दो) मानसून सत्र–जुलाई-सितम्बर; और (तीन) शीतकालीन सत्र–नवम्बर-दिसम्बर।

सत्र की बैठक का सामान्य समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे और अपराह्न 2 बजे से सायं 6 बजे तक होता है। तथापि कुछ अवसरों पर सभा कार्य की मात्रा और महत्व के आधार पर अपनी बैठक देर तक करने का निर्णय भी लेती है। सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सभा की कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग होती है।

संसदीय कार्य को व्यापक तौर पर सरकारी कार्य और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में विभाजित किया जाता है। सरकारी कार्य को आगे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है: (एक) विधायी एवं वित्तीय कार्य सहित सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्य मदें; और (दो) गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रवर्तित कार्य मदें जो सरकारी समय में विचारार्थ ली गईं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

राष्ट्रपति लोक सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् संसद के पहले सत्र के आरंभ में और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में संसद के एक साथ समवेत दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष अभिभाषण देता है और संसद को उसका आह्वान किए जाने के कारण बताता है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण एक समारोहपूर्ण अवसर होता है। राष्ट्रपति का, संसद भवन पहुंचने पर दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों और महासचिवों द्वारा द्वार पर स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के साथ औपचारिक शोभायात्रा में संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष तक लाया जाता है। शोभायात्रा जैसे ही कक्ष में प्रवेश करती है, मार्शल राष्ट्रपति के आगमन की घोषणा करता है और सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर उठ खड़े होते हैं। राष्ट्रपति के मंच पर अपने आसन तक पहुंचने पर केन्द्रीय कक्ष की लॉबी में राष्ट्रपति के दाएं खड़ा बैंड राष्ट्रगान की धुन बजाना प्रारंभ करता है। तत्पश्चात्, राष्ट्रपति द्वारा आसन ग्रहण करते ही पीठासीन अधिकारी और सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा सभा को सम्बोधित किया जाता है। अभिभाषण समाप्त होने के पश्चात्, जब राष्ट्रगान की धुन पुन: बजायी जाती है तब राष्ट्रपति और फिर सदस्यगण खड़े हो जाते हैं। तत्पश्चात्, राष्ट्रपति की शोभायात्रा कक्ष से प्रस्थान करती है। इस पूरे समारोह की विशेषता इस अवसर के लिए उपयुक्त शिष्टाचार और गरिमा होती है।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील 21 फरवरी 2011 को संसद सदस्यों को संबोधित करने के लिए शोभा यात्रा में आती हुई

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अन्य बातों के साथ-साथ उन नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना निहित होती है जिन्हें सरकार लागू करना चाहती है। सरकारी नीतियों पर चर्चा और संसद द्वारा प्रशासन की समीक्षा का महत्वपूर्ण अवसर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्राप्त होता है।

प्रक्रियात्मक उपाय

भारतीय संसदीय प्रणाली में सदस्यों को संसदीय कार्यवाहियों में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने में सहायता देने तथा संसद के प्रति कार्यपालिका की महत्तर जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कई पद्धतियां और प्रक्रियाएं विकसित हुई हैं। समय के साथ, बदलती परिस्थितियों की मांग पूरी करने के लिए एवं संसद को अपने कृत्यों को और प्रभावी तथा सोद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए नयी प्रक्रियाएं और सुधार अपरिहार्य हो गए हैं। उत्तरोत्तर लोक सभाओं ने ऐसे कई नए उपाय अपनाएं जो महत्वपूर्ण साबित हुए हैं और जिनकी वजह से सदस्य जनता की शिकायतें व्यक्त करने, महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने, कार्यपालिका से सूचना प्राप्त करने और कार्य को त्वरित गति से करने में सक्षम हो सके हैं।

प्रश्न

दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के पहले घंटे का समय सामान्यत: प्रश्नों के लिए नियत होता है जो सदस्यों का सबसे प्रभावशाली साधन है। प्रश्न प्राथमिक तौर पर प्रशासन संबंधी मामलों में जनता की शिकायतों को जानने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिए पूछे जाते हैं।

प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसका सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहते हैं और ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के बाद मुख्य प्रश्न से संबंधित तथा मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाले अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न के मामले में संबद्ध मंत्री द्वारा सभा पटल पर लिखित उत्तर रख दिया जाता है। दोनों सभाओं में मौखिक उत्तर हेतु 20 प्रश्न कार्य-सूची में शामिल किये जाते हैं। तथापि, सत्र के दौरान प्रत्येक दिन लोक सभा में लिखित उत्तरों के लिए 230 प्रश्न सूचीबद्ध किये जाते हैं जबकि राज्य सभा के लिए ऐसे 155 प्रश्न सूचीबद्ध किये जाते हैं।

लोक सभा की माननीय अध्यक्ष, श्रीमती मीरा कुमार ने प्रश्न काल को और अधिक सुचारु बनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं संशोधित प्रावधानों के अनुसार: (एक) प्रश्नों की सूचनाएं देने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि क्रमश: 10 और 21 दिनों के स्थान पर समान रूप से 15 दिन कर दी गयी है; (दो) अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह सदन में किसी सदस्य, जब उसका नाम पुकारा गया हो, के अनुपस्थित होने पर उसके द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर के संबंध में निर्देश दे सकता है; (तीन) अब पहले दिए गए किसी उत्तर के संबंध में संशोधित उत्तर देने के लिए मंत्री को सदन में वक्तव्य देना होगा चाहे दिया गया उत्तर तारांकित प्रश्न के लिए हो अथवा अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न इत्यादि के लिए; और (चार) अब एक सदस्य मौखिक और लिखित दोनों उत्तरों के लिए केवल 10 प्रश्नों की सूचनाएं ही दे सकेगा।

अल्प सूचना प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के मामले से संबंधित होता है और यह प्रश्नों के लिए सामान्यतया निर्धारित अवधि से कम अवधि की सूचना पर पूछा जा सकता है। अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर प्रश्न काल के बाद दिया जाता है और मौखिक उत्तर दिये जाने वाले प्रश्न की भांति ही इस प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

आधे घंटे की चर्चा

आधे घंटे की चर्चा का प्रावधान प्रश्न काल से निकट रूप से जुड़ा है। जब किसी सदस्य को यह महसूस होता है कि हाल के किसी प्रश्न का दिया गया मौखिक अथवा लिखित उत्तर पूर्ण नहीं है और इससे वांछित सूचना नहीं मिली है या इसे और स्पष्ट करने की आवश्यकता है तो वह मंत्री से और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस मामले को आधे घंटे की चर्चा के अंतर्गत उठा सकता है।

ध्यानाकर्षण

ध्यानाकर्षण एक अभिनव भारतीय प्रक्रिया है। इसके माध्यम से सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले की ओर मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर सकता है जिस पर मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य देता है। मंत्री द्वारा वक्तव्य देने के समय कोई वाद-विवाद नहीं होता है लेकिन संबद्ध सदस्य मंत्री से स्पष्टीकरण देने और व्याख्या किये जाने हेतु मुद्दे उठा सकता है। यद्यपि इस प्रक्रिया में सरकार की कोई निंदा निहित नहीं है क्योंकि इस पर चर्चा या मतदान नहीं होता तथापि इससे किसी मामले से निबटने में सरकार की कार्रवाइयों में किसी खामी को बताने में सदस्यों को सहायता मिलती है।

नियम 377 के अधीन मामले/विशेष उल्लेख

लोक शिकायतों को उठाने का एक और उपाय लोक सभा में 'नियम 377 के अधीन मामले' अथवा राज्य सभा में 'विशेष उल्लेख' के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रियात्मक साधन के अनुसार, कोई सदस्य, जो सभा के ध्यान में कोई ऐसा मामला लाना चाहे जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, ऐसा कर सकता है यदि उसने महासचिव को इसकी लिखित सूचना दी हो और अध्यक्ष ने उसे सभा में ऐसा मामला उठाने की अनुमति प्रदान की हो। सभा में प्रतिदिन सामान्यत: 20 सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति दी जाती है; सदस्यों को मामले का पाठ पढ़ने, जो सामान्यत: 150 शब्दों से अनधिक होना चाहिए, की अनुमति दी जाती है। नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों से संबंधित संगत कार्यवाहियों को मामला उठाने वाले सदस्य को सीधे उत्तर देने हेतु संबद्ध मंत्री के पास भेजा जाता है।

अल्पकालिक चर्चा

अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदस्यों द्वारा चर्चा करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1953 में एक परिपाटी बनी जिसके तहत सदस्य औपचारिक प्रस्ताव या मतविभाजन के बिना किसी मामले को अल्पकालिक चर्चा हेतु उठा सकते हैं। अल्पकालिक चर्चा, जो बाद में नियमों का अंग बन गयी, के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने का इच्छुक कोई सदस्य, उठाए जाने वाले इच्छित मामले के लिखित, स्पष्ट और संक्षिप्त उल्लेख वाली सूचना दे सकता है। सूचना के साथ चर्चा करने के कारणों के उल्लेख वाला व्याख्यात्मक टिप्पण, जो कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर से समर्थित हो, दिया जाना चाहिए। यह चर्चा संबद्ध मंत्री द्वारा उत्तर देने के साथ समाप्त हो जाती है।

'शून्य काल'

प्रश्न काल की समाप्ति के पश्चात् और कार्य-सूची में दर्ज नियमित कार्य किये जाने के ठीक पहले की अवधि को 'शून्य काल' कहा जाता है। इस अवधि के दौरान सदस्यगण सभा का ध्यान जनहित संबंधी हालिया घटनाओं पर केन्द्रित करने की कोशिश करते हैं। यद्यपि यह 'शून्य काल' *प्रक्रिया नियमों* में उल्लिखित नहीं है, तथापि व्यावहारिक रूप से यह एक लोकप्रिय प्रथा बन चुका है। यह देखते हुए कि दलगत भावना से ऊपर उठकर सदस्यों ने इस प्रथा को उपयोगी पाया है, 'शून्य काल' को हाल में सरल और कारगर बनाया गया है और इसे दो चरणों में उठाया जाता है। पहले चरण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोक महत्व के लगभग पांच अविलंबनीय मामलों को प्रश्न काल के बाद उठाया जाता है और दूसरे चरण में उस दिन के शेष मामलों को सभा के सभी सूचीबद्ध कार्य को समाप्त होने के पश्चात् उठाया जाता है। तथापि, सरकार 'शून्य काल' के दौरान उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए बाध्य नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव

स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सभा का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी ऐसे तात्कालिक मुद्दे की ओर आकर्षित करना है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हों तथा जिसके संबंध में समुचित सूचना सहित कोई प्रस्ताव अथवा संकल्प प्रस्तुत करना विलंबकारी हो सकता हो। स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है। इसके गृहीत होने की दशा में, सभा का सामान्य कार्य अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति देते समय इन बातों का ध्यान रखता है कि उठाया जाने वाला मामला तात्कालिक, निश्चित, अविलंबनीय तथा पर्याप्त लोक महत्व का हो जिसके लिए सभा का सामान्य कार्य स्थगित करना जरूरी हो। व्यक्तिगत मामले या स्थानीय शिकायतों से संबंधित मामले स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाये जा सकते। इसके अलावा, *न्यायाधीन* मामले अथवा ऐसे मामले, जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार का न हो, इसके जरिये नहीं उठाये जा सकते। विशेषाधिकार से संबद्ध किसी प्रश्न को भी स्थगन प्रस्ताव के जरिये उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

स्थगन प्रस्ताव में सरकार की निन्दा का भाव निहित होता है। स्थगन प्रस्ताव के स्वीकृत होने की दशा में, सभा स्वत: ही स्थगित हो जाती है।

अविश्वास प्रस्ताव

मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना संसदीय लोकतंत्र की विशेषता है। मंत्रिमंडल को सत्ता में बने रहने के लिए सदैव सभा के विश्वास की आवश्यकता रहती है। लोक सभा में विपक्षी दल सभा के विश्वास के अभाव की अभिव्यक्तिस्वरूप मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं और यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो सरकार का पतन हो जाता है।

विश्वास प्रस्ताव

विगत लगभग दो दशकों के दौरान उभरी खंडित जनादेश की स्थितियों के परिणामस्वरूप बनी त्रिशंकु संसद, अल्पमत सरकार इत्यादि के मद्देनजर, विश्वास प्रस्ताव के रूप में एक नया प्रक्रियागत उपाय सामने आया है। हाल के वर्षों में, अत्यंत कम अंतर से बहुमत हासिल करने वाली सरकारों से राष्ट्रपति द्वारा सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा गया है। कभी-कभी, सत्तासीन सरकार अपना बहुमत सिद्ध करने के प्रयोजन से स्वत: ही विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने और सभा का विश्वास हासिल करने का प्रयास करती है। यदि विश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत होता है तो सरकार का पतन हो जाता है।

संकल्प

सभा में कोई सदस्य या मंत्री सामान्य लोकहित के मामले के संबंध में संकल्प प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा अपने अभिमत की घोषणा करके या फिर संस्तुति के माध्यम से किया जा सकता है; अथवा यह ऐसे किसी स्वरूप में हो सकता है जिससे सरकार के किसी कृत्य या नीति का सभा द्वारा अनुमोदन या निरनुमोदन हो या कोई संदेश संप्रेषित किया जाए; अथवा किसी कार्रवाई की सिफारिश, आग्रह या अनुरोध किया जाए, या फिर किसी विषय या स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर विचार का अनुरोध किया जाए। संकल्प सामान्य जनहित के किसी मामले पर हो सकता है और केवल वही मामले, जिनकी जिम्मेदारी मुख्यतया भारत सरकार की होती है, इसका विषय हो सकते हैं। मोटे तौर पर संकल्प तीन श्रेणियों में विभक्त हैं: (एक) सरकारी संकल्प; (दो) सांविधिक संकल्प; (तीन) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

सभा को लोक महत्व के मामलों से विज्ञ रखने के लिए या किसी सामयिक राष्ट्रीय हित के मामले के संबंध में सरकार की नीति बताने के लिए, मंत्रिगण, समय-समय पर सभा में वक्तव्य देते हैं।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

संसद के प्रत्येक सभा पटल पर पत्रों को या तो संविधान में अंतर्विष्ट विशिष्ट प्रावधानों (बजट और अन्य दस्तावेज; राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश तथा जारी की गई उद्घोषणाएं; और संविधान के अंतर्गत गठित विभिन्न प्राधिकरणों के प्रतिवेदन); विभिन्न संघीय संविधियों (विधायन संबंधी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यकारी प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए नियम, उप-नियम, विनियम, उप-विधियां, सरकारी उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, संसद की विशिष्ट विधियों के अंतर्गत गठित सांविधिक निकायों के प्रतिवेदन) और प्रक्रिया नियमों (विधेयकों संबंधी प्रवर या संयुक्त समितियां, संसदीय स्थायी समितियों के प्रतिवेदन, याचिकाएं, राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक, इत्यादि) या पीठासीन अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसरण में या संसदीय समितियों की सिफारिशों के अनुसरण में रखा जाता है। इन दस्तावेजों से सभा में विभिन्न मामलों के बारे में चर्चा के लिए आधार तैयार करने में प्रामाणिक तथ्य और जानकारियां मिलती हैं।

विधायी प्रक्रिया

विधायन संसद का सबसे मुख्य कार्य है। सभी विधायी प्रस्तावों की शुरुआत संसद में विधेयकों के रूप में होती है। विधेयक विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद अधिनियम बनता है। विधेयकों को (एक) साधारण विधेयक; (दो) संविधान संशोधन विधेयक; और (तीन) धन विधेयक के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

राष्ट्रपति को उसकी अनुमति के लिए भेजे जाने से पूर्व विधेयक प्रत्येक सदन में निम्नलिखित तीन वाचनों से गुजरता है:

प्रथम वाचन

विधायी प्रक्रिया संसद की किसी सभा—लोक सभा या राज्य सभा में, विधेयक के पुर:स्थापन के साथ प्रारम्भ होती है। विधेयक या तो किसी मंत्री द्वारा या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुर:स्थापित किया जा सकता है। मंत्री द्वारा पुर:स्थापित किये जाने की स्थिति में उसे सरकारी विधेयक और गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पुर:स्थापित किये जाने पर उसे गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक कहा जाता है।

किसी भी विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए विधेयक के प्रभारी सदस्य को सभा से अनुमति लेनी पड़ती है। यदि सभा द्वारा अनुमति दे दी जाती है तो विधेयक को पुर:स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रम को विधेयक का प्रथम वाचन कहते हैं। यदि किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का किसी सदस्य द्वारा विरोध किया जाये तो पीठासीन अधिकारी, स्वविवेक से, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले प्रभारी सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुमति दे सकता है। जब विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का इस कारण से विरोध किया गया हो कि विधेयक एक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायी क्षमता के बाहर है, तो पीठासीन अधिकारी उस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है। तत्पश्चात् वह प्रश्न सभा के मतदान के लिए रखा जाता है।

विधेयक स्थायी समिति को भेजना

जब कोई विधेयक पुर:स्थापित हो जाता है, तो पीठासीन अधिकारी उसे संबंधित स्थायी समिति के पास जांच करने तथा प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भेज सकता है।

यदि विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाता है तो समिति भेजे गए विधेयक के सारतत्व तथा खण्डों पर विचार करती है तथा उस पर अपना प्रतिवेदन तैयार करती है। समिति इसके लिए विशेषज्ञों का मत अथवा इसमें रुचि लेने वाली आम जनता की राय भी ले सकती है।

द्वितीय वाचन

द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार होता है, जिसे दो प्रक्रमों में विभक्त किया जा सकता है:

प्रथम प्रक्रम: प्रथम प्रक्रम में संपूर्ण विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है और इस समय विधेयक के सिद्धांतों पर चर्चा होती है। इस प्रक्रम पर सभा को अधिकार होता है कि वह विधेयक सभा की प्रवर समिति को, या दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप दे या उस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित करे या सीधे उस पर विचार करे।

यदि विधेयक प्रवर/संयुक्त समिति को सौंप दिया गया है तो समिति विधेयक पर खंड-वार विचार ठीक उसी तरह करती है जैसे सभा करती है। समिति के सदस्य विभिन्न खंडों में संशोधन पेश कर सकते हैं। समिति उन संस्थाओं, सार्वजनिक निकायों या विशेषज्ञों का साक्ष्य भी ले सकती है जो विधान में दिलचस्पी रखते हों। समिति अपना प्रतिवेदन सभा के समक्ष प्रस्तुत करती है जो समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर पुन: विचार करती है।

यदि किसी विधेयक को, जनता की राय जानने के लिए, परिचालित किया जाता है तो इस प्रकार की राय राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों की मार्फत प्राप्त की जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई राय को सभा पटल पर रख दिया जाता है और अगला प्रस्ताव उस विधेयक को प्रवर/संयुक्त समिति को सौंपने के लिए ही होना चाहिए। इस अवस्था में सामान्यतया विधेयक पर विचार आरम्भ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

द्वितीय प्रक्रम: द्वितीय वाचन के दूसरे प्रक्रम में विधेयक पर पुर:स्थापित रूप में अथवा प्रवर/संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड-वार विचार किया जाता है। इस प्रक्रम के समय विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा होती है और खंडों में संशोधन पेश किये जा सकते हैं। संबद्ध खंड का सभा द्वारा निपटान किये जाने के पूर्व उसके ऐसे संशोधनों, जिन्हें पेश कर दिया गया हो तथा वापस नहीं लिया गया हो, को सभा में मतदान के लिए रखा जाता है। यदि संशोधन उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं तो वे विधेयक के अंग बन जाते हैं। सभा द्वारा खंड, अनुसूचियां, यदि कोई हों, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम स्वीकार कर लिए जाने के बाद द्वितीय वाचन को समाप्त समझा जाता है।

तृतीय वाचन

तत्पश्चात् प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को पारित किया जाये। इस प्रक्रम को विधेयक का तृतीय वाचन कहा जाता है। इस प्रक्रम में, विधेयक की बारीकियों का नितान्त आवश्यकता से अधिक उल्लेख न करते हुए, वाद-विवाद को विधेयक के समर्थन या अस्वीकृति के तर्कों तक ही सीमित रखा जाता है। इस प्रक्रम में केवल औपचारिक, मौखिक अथवा आनुषंगिक संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

किसी सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक होता है।

दूसरी सभा में विधेयक

जब विधेयक एक सभा द्वारा पारित हो जाता है तो उसे उक्त आशय के संदेश के साथ दूसरी सभा में सहमति के लिए भेजा जाता है और उसे वहां भी पुर:स्थापन के प्रक्रम को छोड़कर वाचन के उपरोक्त प्रक्रमों से होकर गुजरना होता है।

धन विधेयक

ऐसे विधेयक, जिनमें कर लगाने और उनके उत्सादन और संचित निधि से धन के विनियोग आदि के लिए विशेष उपबन्ध अंतर्विष्ट हों, को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयकों को केवल लोक सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है। लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा को भेजे गये किसी धन विधेयक में राज्य सभा कोई संशोधन नहीं कर सकती। तथापि यह किसी धन विधेयक में संशोधनों की सिफारिश कर सकती है किन्तु उसे सभी धन विधेयकों को प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर ही लोक सभा को वापस भेजना होता है। धन विधेयक के संबंध में लोक सभा को यह अधिकार है कि वह राज्य सभा की किसी एक अथवा सभी सिफारिशों को स्वीकार करे अथवा न करे। यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक, राज्य सभा द्वारा संस्तुत और लोक सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है और यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा संस्तुत किसी भी संशोधन के बिना लोक सभा द्वारा पारित रूप में दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है। यदि लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है और इसे चौदह दिन की उक्त अवधि में लोक सभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् उसे उसी रूप में, जिसमें लोक सभा द्वारा पारित किया गया था, दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है।

संविधान संशोधन विधेयक

संविधान द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। संविधान संशोधन विधेयक किसी मंत्री अथवा गैर-सरकारी सदस्य द्वारा संसद की किसी भी सभा में पुर:स्थापित किया जा सकता है।

यद्यपि संविधान संशोधन विधेयक की पुर:स्थापना का प्रस्ताव साधारण बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तथापि प्रभावी खण्डों तथा प्रस्तावों को स्वीकार करने तथा इन विधेयकों पर विचार करने एवं उन्हें पारित किये जाने के लिए सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून सदस्य संख्या के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कतिपय मामलों में जहां संविधान संशोधन से संविधान के महत्वपूर्ण उपबंधों पर प्रभाव पड़ता हो वहां ऐसे संविधान संशोधन को संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये जाने के पश्चात् उसकी संपुष्टि आधे से अन्यून राज्य विधानमण्डलों द्वारा भी की जानी होती है।

संयुक्त बैठक

जब एक सभा द्वारा पारित विधेयक: (एक) दूसरी सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है; या (दो) विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सभाएं अंतिम रूप से असहमत होती हैं; अथवा (तीन) दूसरी सभा में विधेयक प्राप्त होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाती है और उस सभा द्वारा विधेयक पारित नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रपति गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सभाओं की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करता/करती है। विधेयक संशोधनों सहित, यदि कोई हों तो, दोनों सभाओं के उपस्थित और मतदान करने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से, पारित हो जाता है तो विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया माना जाता है।

धन विधेयक अथवा संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है।

राष्ट्रपति द्वारा अनुमति

जब कोई विधेयक दोनों सभाओं द्वारा पारित हो जाता है, तब उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है।

राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति दे सकता/सकती है अथवा अनुमति रोक सकता/सकती है। वह विधेयक को (यदि वह धन विधेयक नहीं है) पुनर्विचार करने की सिफारिशों के साथ सभाओं को वापस भेज सकता/सकती है। यदि दोनों सभाएं संशोधनों सहित अथवा बिना संशोधनों के विधेयक को पुन:पारित कर देती हैं तब राष्ट्रपति को विधेयक पर अनुमति देनी ही पड़ती है। यदि संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, और जहां आवश्यक हो, राज्य विधान मंडलों की अपेक्षित संख्या द्वारा उसकी संपुष्टि हो जाती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है।

कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब इसे राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी हो और वह भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हो गया हो।

वित्तीय जवाबदेही

सरकार के व्यय पर संसद का नियंत्रण एक जिम्मेदार और जवाबदेह शासन की अनिवार्य विशेषता है। यह आवश्यक है कि सरकारी निधियों से व्यय मितव्ययितापूर्वक किया जाये तथा संसाधनों की बर्बादी कतई न हो। यद्यपि अनुदानों की सभी मांगें तथा कराधान संबंधी प्रस्ताव कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं, परन्तु व्यय की मंजूरी संसद द्वारा ही प्रदान की जाती है। अत: संविधान ने व्यय संबंधी नियंत्रण जनप्रतिनिधियों के हाथों में सौंपा हुआ है और इस प्रकार ''प्रतिनिधित्व नहीं तो कराधान नहीं'' के पुनीत सिद्धान्त का समर्थन किया है।

करदाताओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा हेतु हमारे संविधान में तीन मौलिक उपबंध किये गये हैं, अर्थात् (क) विधि के प्राधिकार को छोड़कर किसी अन्य कर का उद्ग्रहण अथवा संग्रहण नहीं किया जा सकता; (ख) संविधान में प्रदत्त विधि और विधिसम्मत तरीके को छोड़कर अर्थात् जब तक संसद की मंजूरी न प्राप्त हुई हो तब तक सरकारी निधियों से कोई व्यय नहीं किया जा सकता; और (ग) कार्यपालिका संसद द्वारा यथास्वीकृत विधि से ही पैसा व्यय करने के लिए बाध्य है।

बजट

बजट के संबंध में संसद को अपनी शक्तियां एवं कृत्य संविधान तथा समय के साथ विकसित अनेक प्रक्रियागत उपायों से प्राप्त होती हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संसद की दोनों सभाओं के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे सरकार का 'बजट' भी कहा जाता है, पेश कराया जाता है। विवरण में वित्तीय वर्ष जिसका भारत में आरम्भ प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से होता है, के लिए सरकार की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाया जाता है।

बजट लोक सभा में दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है: सामान्य बजट और रेल बजट। सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा सामान्यत: फरवरी में अंतिम कार्य दिवस अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से लगभग एक महीना पूर्व लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। रेल बजट रेल मंत्री द्वारा फरवरी के तीसरे सप्ताह में किसी दिन सामान्यत: प्रश्न काल के पश्चात्, लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसी समय बजट की एक प्रति राज्य सभा के पटल पर रखी जाती है।

जिस दिन सभा में बजट पेश किया जाता है, उस दिन उस पर चर्चा नहीं होती। बजट पर दो प्रक्रमों में चर्चा होती है, अर्थात् पहले उस पर सामान्य चर्चा होती है और उसके पश्चात् अनुदानों की मांगों पर विस्तृत चर्चा तथा मतदान होता है।

बजट पर सामान्य चर्चा

सामान्य चर्चा के दौरान जिसमें लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं; सभा को इस बात की पूरी छूट होती है कि वह चाहे तो समूचे बजट पर चर्चा करे अथवा उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्त के किसी प्रश्न पर चर्चा करे, परन्तु कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। चर्चा बजट की सामान्य योजना और संरचना की जांच, व्यय की मदें बढ़ाने/घटाने के सवाल, बजट में और वित्त मंत्री के भाषण में उल्लिखित कराधान नीति तक ही सीमित होती हैं। चर्चा के अन्त में वित्त मंत्री अथवा रेल मंत्री को यथास्थिति, उत्तर देने का अधिकार होता है।

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार

1993 में विभागों से संबद्ध स्थायी संसदीय समितियों के गठन के बाद से सभी मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर इन समितियों द्वारा विचार किया जाता है। बजट पर सामान्य चर्चा पूरी हो जाने के पश्चात् दोनों सभाएं एक निश्चित अवधि तक के लिए स्थगित हो जाती हैं। इस अवधि के दौरान इन समितियों द्वारा मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाता है। इन समितियों को एक निश्चित अवधि के भीतर, और अधिक समय की मांग किये बिना सभा को अपने प्रतिवेदन देने होते हैं और प्रत्येक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर पृथक प्रतिवेदन देना होता है।

अनुदानों की मांगों पर चर्चा

अनुदानों की मांगें लोक सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ पेश की जाती हैं। ये सामान्यतया सभा में संबंधित मंत्री द्वारा पेश नहीं की जाती हैं। ये मांगें पेश की गई मानी जाती हैं तथा सभा का समय बचाने के लिए अध्यक्षपीठ द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं। स्थायी समितियों द्वारा सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, सभा अनुदानों की मांगों पर मंत्रालय-वार चर्चा करती है और उन पर मतदान किया जाता है।

चूंकि अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान तथा विनियोग एवं वित्त विधेयकों को पारित करने की समूची प्रक्रिया एक निश्चित समय में पूरी की जाती है इसके परिणामस्वरूप सभी मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर प्राय: चर्चा नहीं की जा सकती और कुछ मंत्रालयों की मांगें चर्चा के बिना ही स्वीकृत की जाती हैं।

इस प्रक्रम में चर्चा का क्षेत्र ऐसे मामले तक, जो मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होता है और उस मांग के प्रत्येक शीर्षक तक, जो सभा में मतदान के लिए रखी जाती हैं, सीमित रहता है।

सदस्यों को इस बात की छूट होती है कि वे किसी मंत्रालय विशेष द्वारा अपनाई जाने वाली नीति का निरनुमोदन करें अथवा उस मंत्रालय के प्रशासन में मितव्ययिता लाने हेतु उपाय सुझाएं अथवा मंत्रालय का ध्यान विशिष्ट स्थानीय शिकायतों की ओर आकृष्ट करें। इस प्रक्रम में अनुदानों की किसी मांग में कमी करने हेतु कटौती प्रस्ताव पेश किये जा सकते हैं परन्तु किसी मांग में कमी करने के उद्देश्य से पेश किये गये किसी प्रस्ताव में संशोधन की अनुमति नहीं होती है।

गिलोटिन

अनुदानों की मागों पर चर्चा और मतदान के लिए नियत दिनों के अंतिम दिन निश्चित समय पर अध्यक्ष अनुदानों की मांगों से संबंधित सभी शेष मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक प्रत्येक प्रश्न सभा के समक्ष रखता है। इसे गिलोटिन कहते हैं। इसके साथ ही अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हो जाती है।

लेखानुदान

बजट पर चर्चा उसके प्रस्तुत किये जाने के कुछ दिन बाद आरम्भ होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सरकार संसद को बजट संबंधी उपबन्धों तथा कराधान के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करने का पूरा-पूरा अवसर देना चाहती है। चूंकि संसद नये वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व संपूर्ण बजट को स्वीकार नहीं कर पाती, अत: यह आवश्यक है कि सरकार के पास पर्याप्त धन रहे जिससे कि वह देश का प्रशासन चला सके। अत: इसके लिए एक विशेष उपबन्ध किया गया है जिसे ''लेखानुदान'' कहते हैं, जिससे सरकार कुछ इकट्ठी राशि के लिए संसद की स्वीकृति ले लेती है जो कि वर्ष के एक भाग में विभिन्न मदों पर व्यय करने के लिए पर्याप्त होती है। बजट (सामान्य और रेल) पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के पश्चात् और अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व लोक सभा द्वारा लेखानुदान स्वीकृत किया जाता है।

सामान्यत: लेखानुदान केवल दो महीनों के लिए लिया जाता है। लेकिन चुनाव वाले वर्ष के दौरान अथवा जब यह आभास हो जाता है कि मुख्य मांगों और विनियोग विधेयक में दो महीनों से अधिक समय लगेगा तो लेखानुदान दो महीनों से अधिक अवधि के लिए लिया जा सकता है। प्रथा यह है कि लेखानुदान को औपचारिक मामला माना जाता है और इसे लोक सभा किसी चर्चा के बिना ही स्वीकार करती है।

विनियोग विधेयक

बजट संबंधी प्रस्तावों पर सामान्य चर्चा और अनुदानों की मांगों पर मतदान हो जाने पर सरकार विनियोग विधेयक पेश करती है जो इसे भारत की संचित निधि में से व्यय करने का अधिकार देता है। इस विधेयक को पारित करने की विधि अन्य धन विधेयकों जैसी ही होती है। इस विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने का विरोध नहीं किया जा सकता। इस विधेयक पर चर्चा विधेयक में शामिल लोक महत्व के विषयों पर या अनुदानों में निहित प्रशासनिक नीति तथा ऐसे मामलों तक, जो अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय पहले न उठाए गए हों, सीमित रहती है। तथापि किसी विनियोग विधेयक में ऐसे किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता, जिसके प्रभावस्वरूप अनुदान की राशि में परिवर्तन हो या वह राशि किसी अन्य मद में व्यय की जाए या भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की किसी राशि में कोई परिवर्तन हो तथा इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि ऐसा संशोधन ग्राह्य है अथवा नहीं। सभा द्वारा पहले ही स्वीकृत मांग को समाप्त करने के लिए विनियोग विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता।

वित्त विधेयक

वित्त विधेयक का उद्देश्य सरकार के कराधान प्रस्तावों को कार्यान्वित करना है और इसे सामान्य बजट प्रस्तुत होने के तुरन्त बाद लोक सभा में पुर:स्थापित किया जाता है। वित्त विधेयक को सभाओं की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों या प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति को नहीं भेजा जाता।

चूंकि वित्त विधेयक में कराधान के प्रस्ताव अंतर्विष्ट होते हैं, अनुदानों की मांगों के स्वीकृत होने और विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद विचार हेतु लिया जाता है। तथापि, नये शुल्कों को लगाने और उनकी वसूली अथवा वर्तमान शुल्कों में किये गये परिवर्तनों के संबंध में विधेयक के कुछ उपबन्ध, विधेयक पेश किए जाने के अगले दिन लागू हो जाते हैं। लोक सभा द्वारा पारित होने के बाद वित्त विधेयक को राज्य सभा को भेज दिया जाता है जहां इस पर सामान्य चर्चा होती है। राज्य सभा में अनुदान मांगों पर मतदान नहीं होता। संसद को वित्त विधेयक इसके पेश होने के 75 दिन के अन्दर पारित करना होता है तथा इस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है।

अनुपूरक/अतिरिक्त अनुदान

संसद की मंजूरी के बिना बजट में संसद द्वारा स्वीकार की गई राशि से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता। जब कभी अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता होती है, संसद के समक्ष एक अनुपूरक प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर उस राशि से अतिरिक्त राशि खर्च की जाती है, जो उसके लिए मंजूर की गई है, तो वित्त/रेल मंत्री द्वारा अतिरिक्त अनुदान की मांग पेश की जाती है। अनुपूरक/अतिरिक्त मांगों संबंधी अनुदानों के संबंध में संसद में जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, वह सामान्य बजट में सम्मिलित किये गये प्राक्कलनों के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया के समान ही होती है। वित्त विधेयक के पारित होने के साथ ही संसद में बजट प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

सभा का विनिश्चय

ऐसा कोई भी मामला, जिस पर सभा के विनिश्चय की आवश्यकता होती है किसी सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर अध्यक्षपीठ द्वारा रखे गये प्रश्न के माध्यम से निर्णीत किया जाता है। वाद-विवाद की समाप्ति पर, अध्यक्षपीठ प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होते हैं, उनको ''हां'' कहने के लिए तथा जो विपक्ष में होते हैं उनको ''ना'' कहने को कहा जाता है। तत्पश्चात्, अध्यक्षपीठ द्वारा यह कहा जाता है, ''मेरे विचार में बहुमत 'पक्ष' में कहने वाले (अथवा 'विपक्ष' में कहने वाले जैसी भी स्थिति हो) का है।'' यदि विनिश्चय के संबंध में अध्यक्षपीठ की राय को चुनौती नहीं दी जाती है तो अध्यक्षपीठ द्वारा दो बार दोहराया जाता है—''हां'' कहने वाले (अथवा ''ना'' कहने वाले, जैसी भी स्थिति हो) का बहुमत है, तद्नुसार सभा के समक्ष प्रश्न पर निर्णय किया जाता है। यदि किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा यह कहते हुए कि ''ना'' कहने वाले (अथवा ''हां'' कहने वाले) का बहुमत है अध्यक्षपीठ की राय को चुनौती दी जाती है, तो अध्यक्षपीठ निदेश देता है कि लॉबियां खाली कर दी जायें। तत्पश्चात्, मतदान के लिए घंटियां बजाई जाती हैं। साढ़े तीन मिनट बीत जाने के बाद अध्यक्षपीठ दूसरी बार प्रश्न करता है और घोषणा करता है कि क्या अध्यक्षपीठ की राय में मतदान ''हां'' वालों के पक्ष में है या ''ना'' करने वालों के पक्ष में। यदि इस प्रकार घोषित राय को पुनः चुनौती दी जाती है तो पीठासीन अधिकारी निदेश देता है कि मतों को मत-विभाजन द्वारा रिकार्ड किया जाए।

मत-विभाजन

मत-विभाजन कराने की तीन पद्धतियां हैं, अर्थात् स्वचालित मतदान यंत्र (एवीआर) का प्रयोग करके या सभा में पर्चियां वितरित करके या सदस्यों द्वारा लॉबियों में जाकर।

स्वचालित मतदान यंत्र के माध्यम से मतदान कराने के मामले में, सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर बैठे हुए अपने विकल्प के अनुसार हां/ना/मतदान में भाग न लेने के प्रयोजन हेतु लगे ''पुश'' बटनों का एक हाथ से प्रयोग करके और साथ-साथ दूसरे हाथ से मत प्रारम्भ स्विच दबाकर अपना मत देते हैं। सूचक बोर्डों पर मतदान के परिणाम प्रकट होने के बाद ऐसा कोई सदस्य जो अध्यक्षपीठ द्वारा उचित समझे गये किसी कारण से बटन दबा कर अपना मत न दे सका हो तो वह अध्यक्षपीठ की अनुमति से अपना मत पर्चियों द्वारा रिकार्ड करवा सकता है। कोई सदस्य गलती से गलत बटन दबा दे तो उसे भी अध्यक्षपीठ द्वारा ऐसी पर्चियों के माध्यम से अपनी गलती सुधारने की अनुमति दी जाती है। मत-विभाजन का अंतिम परिणाम सभा पटल पर तैयार किया जाता है और तत्पश्चात्, अध्यक्षपीठ द्वारा परिणाम घोषित किया जाता है।

जब अध्यक्षपीठ यह निदेश दे कि मतदान पर्चियों द्वारा होगा तो प्रत्येक सदस्य को डिवीजन क्लर्कों द्वारा उसकी सीट पर उसके विकल्प के अनुसार ''हां'' या ''ना'' या ''मतदान में भाग न लेने'' की पर्ची दी जाती है। सदस्यों को इन पर्चियों पर अपनी-अपनी विभाजन संख्या लिखकर तथा उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर करके मतदान करना होता है। सदस्यों द्वारा मत दिये जाने के बाद पटल अधिकारियों द्वारा इन मतों की गिनती की जाती है तथा ''हां'' और ''ना'' और ''मतदान में भाग न लेने'' वालों के योग अध्यक्षपीठ को प्रस्तुत किये जाते हैं। तत्पश्चात्, अध्यक्षपीठ द्वारा मत-विभाजन का परिणाम घोषित किया जाता है।

जब अध्यक्षपीठ यह निर्णय ले कि सदस्य लॉबियों में जाकर अपने मत देंगे तो अध्यक्षपीठ ''हां'' करने वाले सदस्यों को दाहिनी लॉबी और ''ना'' करने वाले सदस्यों को बायीं लॉबी में जाने का निर्देश देता है। मतदान रिकार्ड करने के उदेश्य से ''हां'' करने वाली लॉबी और ''ना'' करने वाली लॉबी में क्रमिक विभाजन संख्या सहित चार-चार बूथों की व्यवस्था की जाती है। लॉबियों में मत

दिये जाने के बाद मत-विभाजन सूचियां पटल पर लाई जाती हैं जहां पटल अधिकारियों द्वारा इन मतों की गिनती की जाती है और ''हां'' और ''ना'' करने वालों का योग अध्यक्षपीठ को प्रस्तुत किया जाता है। पटल पर लाई गई मत-विभाजन सूचियां अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना वापस लॉबियों में नहीं ले जाईं जा सकती हैं। तत्पश्चात्, अध्यक्ष मत-विभाजन के परिणाम की घोषणा करते हैं और इसे कोई भी सदस्य चुनौती नहीं दे सकता है। हालांकि, यह प्रक्रिया अब प्रचलन में नहीं है।

लोक सभा चैम्बर में परिणाम प्रदर्शित करने वाले पैनल

संसदीय वाद-विवाद

लोक सभा में काम-काज हिन्दी या अंग्रेजी में होता है। तथापि, लोक सभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को संविधान में दी गई निम्नलिखित अधिसूचित भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगला, कन्नड़, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू और उर्दू में से किसी भी भाषा में सभा को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। उक्त भाषाओं में से किसी एक में भाषण देने के इच्छुक सदस्य को कम से कम आधा घंटा पहले पटल अधिकारी को नोटिस देना होता है ताकि उसके भाषण का अंग्रेजी और हिंदी में साथ-साथ भाषान्तरण हो सके।

प्रक्रिया नियमों के अनुसार, महासचिव को सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था करनी होती है और यथाशीघ्र उसे प्रकाशित कराना होता है। तद्नुसार, लोक सभा और राज्य सभा में कही गई हर बात हर प्रश्न, टिप्पणी और भाषण को अत्यंत सावधानी से अभिलिखित किया जाता है। तथापि, कतिपय शब्द या अभिव्यक्ति, जिन्हें सभा की कार्यवाही से विशेष रूप से निकाल दिया गया है या पीठासीन अधिकारी ने जिन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं करने का आदेश दिया है, अभिलेख का भाग नहीं बनते। पूरे दिन की बैठक की पूरी कार्यवाही का सम्पादन और संकलन करके उसे उसी दिन सायं तक सदस्यों को वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, दोनों सभाओं की पूरे दिन की कार्यवाही का विवरण संसद की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है। तथापि, ये वाद-विवाद के असंशोधित विवरण होते हैं जो प्रकाशनार्थ नहीं होते। चूंकि आधिकारिक अभिलेख वास्तव में दिये गये भाषणों का यथार्थ पुन:प्रकाशन होना होता है, अत: दिए गए प्रत्येक भाषण, पूछे गये प्रत्येक प्रश्न और किसी सदस्य द्वारा किये गये प्रत्येक व्यवधान की प्रतिलिपि अगले दिन संबंधित सदस्य के पास पुष्टीकरण या अशुद्धियों, यदि कोई हों तो, के शुद्धिकरण के लिए भेजी जाती हैं।

लोक सभा और राज्य सभा के वाद-विवाद, जिन्हें मुद्रित और प्रकाशित किया जाता है, सभा की कार्यवाही का स्थायी आधिकारिक अभिलेख बनते हैं। प्रत्येक सभा की कार्यवाही को दो भागों में विभाजित किया जाता है। भाग-एक में मौखिक, लिखित और अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर होते हैं। भाग-दो में सभा पटल पर रखे गए पत्र, संदेश, चर्चाएं आदि तथा सभा द्वारा किये गये अन्य कार्य होते हैं। लोक सभा वाद-विवाद और कार्यवाही-वृत्तांत अंग्रेजी, हिन्दी और मूल संस्करण (फ्लोर वर्जन) में प्रकाशित होते हैं जब कि राज्य सभा में ये हिंदी और मूल संस्करण में प्रकाशित होते हैं।

बाद में लोक सभा वाद-विवाद के सजिल्द खंड तैयार किये जाते हैं और एक खंड में 10 दिन के वाद-विवाद होते हैं। प्रकाशित वाद-विवादों के खंड और शृंखला प्रत्येक लोक सभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। राज्य सभा में 4 से 5 दिन के वाद-विवादों का एक खंड बनता है।

वाद-विवादों से किसी भी सामग्री के पुन:प्रकाशन का प्रतिलिप्यधिकार, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अंतर्गत लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय में निहित है। वाद-विवादों से किसी भी सामग्री के पुन:प्रकाशन के लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है।

संसदीय सौध स्थित मुख्य समिति कक्ष

6

संसदीय समितियां

अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में संसद द्वारा किया जाने वाला कार्य न केवल विविध प्रकार का होता है बल्कि परिमाण में भी बहुत अधिक होता है। इसलिए बहुत-सा संसदीय कार्य समितियों द्वारा किया जाता है जो वस्तुत: सदन का लघु रूप एवं इसका विस्तार हैं। इन संसदीय समितियों का प्रादुर्भाव संसद के वृहत्तर प्रशासनिक दायित्व को सुकर बनाने वाले उपयोगी साधन के रूप में हुआ है। ये समितियां उन्हें प्रत्यायोजित ऐसे कार्य, जिन्हें सभा स्वयं करने में पूर्णत: सज्जित नहीं है, जैसे किसी मामले के तथ्यों का पता लगाना, साक्षियों का साक्ष्य लेना, साक्ष्य की बारीकी से जांच-पड़ताल कर तर्कसंगत सिफारिशें करना आदि के अतिरिक्त संसद, कार्यपालिका तथा आम जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती हैं। संसद की दोनों सभाओं में समिति संरचना मामूली अंतर को छोड़कर एक जैसी है।

संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं—स्थायी समितियां जिनका निर्वाचन या नियुक्ति प्रतिवर्ष या आवधिक रूप से की जाती है तथा वे स्थायी होती हैं क्योंकि उनका कार्य लगभग अनवरत रूप से चलता रहता है और तदर्थ समितियां जिनकी नियुक्ति आवश्यकतानुसार तदर्थ आधार पर विशेष प्रयोजन हेतु की जाती है तथा जैसे ही वे सौंपे गये कार्य पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं, वे विघटित हो जाती हैं।

स्थायी समितियां

मोटे तौर पर, स्थायी समितियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (एक) वित्तीय समितियां; (दो) विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां; और (तीन) अन्य स्थायी समितियां।

वित्तीय समितियां

स्थायी समितियों में तीन वित्तीय समितियों—प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का विशिष्ट स्थान है। जहां लोक लेखा तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों में राज्य सभा के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है, प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य पूर्णत: लोक सभा से ही लिये जाते हैं। इन समितियों द्वारा रखा जाने वाला नियंत्रण सतत प्रकृति का है। ये समितियां गैर-सरकारी प्रतिनिधि संगठनों तथा संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों और विद्वान व्यक्तियों से प्रश्नावलियों, ज्ञापनों के माध्यम से तथा संगठनों का मौके पर अध्ययन करके और गैर-सरकारी तथा सरकारी साक्षियों से मौखिक पूछ-ताछ करके जानकारी एकत्र करती हैं। साथ ही वे केन्द्र सरकार की अनेक गतिविधियों की भी जांच-पड़ताल करती हैं।

इन समितियों के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा समुचित विचार किया जाये, पर्याप्त प्रक्रियाएं मौजूद हैं। सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति तथा समितियों और सरकार के बीच किन्हीं अनिर्णीत मतभेदों को ''की-गई-कार्यवाही'' प्रतिवेदनों में दर्शाया जाता है जो समय-समय पर सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं।

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

समिति प्रणाली को और अधिक विशेषीकृत तथा विषयोन्मुखी बनाने के लिए अगस्त 1989 में तीन विषय समितियों अर्थात्, कृषि संबंधी समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समिति तथा पर्यावरण और वन संबंधी समिति का गठन किया गया। सरकारी क्रियाकलापों के सम्पूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए अप्रैल 1993 में विभागों से सम्बद्ध 17 स्थायी समितियों की पूर्ण विकसित प्रणाली अस्तित्व में आई। इनमें से प्रत्येक समिति में 45 सदस्य होते हैं जिनमें लोक सभा के 30 सदस्य तथा राज्य सभा के 15 सदस्य होते हैं।

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समिति प्रणाली को जुलाई 2004 में पुनर्गठित किया गया और इन समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। प्रत्येक समिति की सदस्य संख्या 45 से घटाकर 31 कर दी गई। 24 समितियों में से 8 समितियां राज्य सभा सचिवालय द्वारा और 16 समितियां लोक सभा सचिवालय द्वारा सेवित हैं। इनमें से प्रत्येक स्थायी समिति में 31 से अनधिक सदस्य होते हैं—21 सदस्य लोक सभा से और 10 सदस्य राज्य सभा से होते हैं। कोई मंत्री इन समितियों के लिए मनोनीत नहीं किया जाता है।

ये समितियां अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करती हैं; मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करती हैं; सभा में प्रस्तुत मूल दीर्घावधि नीति दस्तावेजों पर विचार करती हैं; राज्य सभा के सभापति, अथवा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा समिति को भेजे गये मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विधेयकों की जांच करती हैं; तथा सदन में पेश किये जाने हेतु उन पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती हैं।

तथापि, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करतीं। ये सामान्यत: उन मामलों पर भी विचार नहीं करतीं जो अन्य संसदीय समितियों के विचाराधीन होते हैं। ये स्थायी समितियां सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण पर भी विचार नहीं करतीं क्योंकि वे अनन्य रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की सिफारिशों को समय से लागू किया जाए, अध्यक्ष द्वारा 1 सितम्बर 2004 को एक नया निदेश 73क जारी किया गया जिसमें उपबंध किया गया है कि संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय के संबंध में सभा में प्रस्तुत किये गये लोक सभा की विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में छह माह में एक बार सभा में वक्तव्य देगा। राज्य सभा के सभापति ने भी 24 सितम्बर 2004 को इसी प्रकार का निदेश जारी किया था।

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

राज्य सभा के अंतर्गत समितियां

- वाणिज्य संबंधी समिति
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति
- गृह कार्य संबंधी समिति
- मानव संसाधन विकास संबंधी समिति
- उद्योग संबंधी समिति
- कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी समिति
- परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति

लोक सभा के अन्तर्गत समितियां

- कृषि संबंधी समिति
- रसायन और उर्वरक संबंधी समिति
- कोयला और इस्पात संबंधी समिति
- रक्षा संबंधी समिति
- ऊर्जा संबंधी समिति
- विदेशी मामलों संबंधी समिति
- वित्त संबंधी समिति
- खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति
- श्रम संबंधी समिति
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति
- रेल संबंधी समिति
- ग्रामीण विकास संबंधी समिति
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति
- शहरी विकास संबंधी समिति
- जल संसाधन संबंधी समिति

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समिति प्रणाली, प्रशासन पर संसदीय निगरानी का परम्परागत तरीके से हटकर किया गया सर्वथा नया प्रयास है। कार्यपालिका के कार्यकरण को दिशा-निर्दिष्ट करने वाली दीर्घकालिक योजनाओं, नीतियों और अंतर्निहित सिद्धांतों पर ध्यान केन्द्रित करने के कार्य पर बल देने से ये समितियां कार्यपालिका को समग्र नीति निर्धारण एवं दीर्घकालिक राष्ट्रीय संदर्श की उपलब्धि के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने की अत्यंत विशेषाधिकृत स्थिति में होती हैं।

अन्य स्थायी समितियां

प्रत्येक सभा में कृत्यों के अनुसार विभाजित अन्य स्थायी समितियां इस प्रकार हैं:—

(एक) जांच करने के लिए समितियां

- *याचिका समिति* विधेयकों तथा सामान्य लोकहित के मामलों से संबंधित याचिकाओं की जांच करती है तथा केन्द्रीय सूची से संबंधित मामलों के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों पर भी विचार करती है; और
- *विशेषाधिकार समिति* सभा अथवा लोक सभा अध्यक्ष/राज्य सभा के सभापति द्वारा भेजे गए विशेषाधिकार के किसी भी प्रश्न की जांच करती है।

(दो) संवीक्षा करने के लिए समितियां

- *सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति* सभा में मंत्रियों द्वारा दिये गये सभी आश्वासनों, वचनों, प्रतिज्ञानों आदि पर नजर रखती है और उनके क्रियान्वित किये जाने तक उनका लेखा-जोखा रखती है;
- *अधीनस्थ विधान संबंधी समिति* इस बात की जांच करती है कि क्या संविधान अथवा संविधियों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अधिकृत अधिकारियों द्वारा विनियमों, नियमों, उप–नियमों, उप-विधियों आदि को बनाने के लिए उचित ढंग से किया जा रहा है और तद्नुसार सदन को सूचित करती है; और
- *सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति* अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सांविधिक अधिसूचनाओं और आदेशों, के अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे गए सभी पत्रों की जांच इस उद्देश्य से करती है कि क्या संविधान, अधिनियम, नियम अथवा विनियम के उन उपबंधों का पूर्ण पालन किया गया है जिनके अंतर्गत पत्र सभा पटल पर रखे गए हैं।

(तीन) सभा के दैनिक कार्य से संबंधित समितियां

- *कार्य मंत्रणा समिति* सभा के समक्ष आने वाली सरकारी और दूसरे कार्यों की सभी मदों के लिए समय-निर्धारण के बारे में सिफारिश करती है;
- लोक सभा की *गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति* गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पुर:स्थापित विधेयकों को वर्गीकृत करती है तथा उनके लिए समय नियत करती है, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा के लिए समय-निर्धारण के बारे में सिफारिश करती है और सभा में गैर-सरकारी सदस्यों के संविधान संशोधन विधेयकों की, उनके पुर:स्थापन से पहले जांच करती है।

  राज्य सभा की ऐसी कोई समिति नहीं है। उस सभा की कार्य मंत्रणा समिति ही गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के प्रक्रम अथवा प्रक्रमों पर चर्चा करने हेतु समय-निर्धारण के बारे में सिफारिश करती है;

- *नियम समिति* सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा नियमों में संशोधन करने अथवा नए नियम बनाने की सिफारिश करती है; और
- लोक सभा की *बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति* सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति संबंधी सभी आवेदन-पत्रों पर विचार करती है।

राज्य सभा की ऐसी कोई समिति नहीं है। सभा स्वयं ही सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति संबंधी आवेदन-पत्रों पर विचार करती है।

(चार) सदस्यों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित समितियां

- *सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति* सभा के कार्यों संबंधी ऐसे मामलों पर विचार करती है जो किसी अन्य संसदीय समिति के यथोचित अधिकार-क्षेत्र में नहीं आते और इस संबंध में लोक सभा के अध्यक्ष/राज्य सभा के सभापति को सलाह देती है; और
- *आवास समिति* सदस्यों के लिए आवास और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती है।

(पांच) कुछ अन्य समितियां

- *अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति,* जिसमें दोनों सभाओं के सदस्य शामिल हैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित उन सभी मामलों पर विचार करती है जो केन्द्रीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं और इस बात पर नजर रखती है कि इन वर्गों से संबंधित संवैधानिक रक्षोपायों का उचित क्रियान्वयन किया जाए; और
- *महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति* में दोनों सभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, यह अन्य बातों के अलावा सभी क्षेत्रों में महिलाओं को प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा और बराबरी का दर्जा दिलाने संबंधी मामलों पर विचार करती है।

(छह) संयुक्त समितियां

- संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अंतर्गत गठित *संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति*, संसद सदस्यों को वेतन, भत्ते और पेंशन के भुगतान को विनियमित करने के लिए नियम बनाने के अतिरिक्त, चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक, निर्वाचन-क्षेत्र और सचिवालय संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु नियम बनाती है।
- *लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति* केन्द्र और राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा नियुक्त समितियों, आयोगों और अन्य निकायों के गठन और स्वरूप की जांच करती है और सिफारिश करती है कि लाभ का कौन-सा पद धारण करने से व्यक्ति संसद की किसी भी सभा का सदस्य बनने के लिए योग्य बना रहता है अथवा अयोग्य हो जाता है।
- *ग्रंथालय समिति जिसमें* दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, संसद के ग्रंथालय से संबंधित मामलों पर विचार करती है।

तदर्थ समितियां

तदर्थ समितियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (एक) ऐसी समितियां, जिन्हें विशिष्ट विषयों पर विचार करने तथा अपना प्रतिवेदन देने हेतु दोनों सभाओं द्वारा अथवा लोक सभा के अध्यक्ष/राज्य सभा के सभापति द्वारा समय-समय पर तत्संबंधी प्रस्ताव पारित करके, गठित किया जाता है (उदाहरण के तौर पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कतिपय सदस्यों के आचरण संबंधी समिति, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप संबंधी समिति, संसद सदस्यों को सुविधाओं और परिलब्धियों संबंधी सुझाव देने संबंधी संयुक्त समिति); और (दो) विधेयकों संबंधी प्रवर अथवा संयुक्त समितियां, जो विशिष्ट विधेयकों पर विचार करने तथा उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। ये समितियां अन्य *तदर्थ* समितियों से भिन्न हैं क्योंकि ये विधेयकों से सम्बद्ध होती हैं और इनमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, *प्रक्रिया संबंधी नियमों* और *अध्यक्ष/सभापति के निदेश* में निर्धारित हैं।

इस समय, निम्नलिखित *तदर्थ* समितियां कार्य कर रही हैं:—

- *रेल अभिसमय समिति* रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और इसके साथ ही सामान्य वित्त इत्यादि की तुलना में रेल वित्त संबंधी अन्य अनुषंगी मामलों की पुनरीक्षा करती है और इसके संबंध में सिफारिशें करती है।

- *संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति* (एमपीलैड स्कीम) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यनिष्पादन और उसके क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की आवधिक रूप से निगरानी तथा पुनरीक्षा करती है और योजना के संबंध में सदस्यों की शिकायतों पर विचार करती है। प्रत्येक सभा की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी पृथक समिति है।

- *आचार समिति* सदस्य के नैतिक और आचार संबंधी व्यवहार की निगरानी करती है, सदस्य के आचार विरुद्ध व्यवहार से संबंधित अथवा उनके संसदीय व्यवहार से संबंधित समिति को भेजी गई प्रत्येक शिकायत की जांच करती है और आचार विरुद्ध व्यवहार के कृत्यों को विनिर्दिष्ट करने वाले नियम भी बनाती है। लोक सभा और राज्य सभा दोनों की अलग-अलग आचार समिति है।

- *संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और संसद सदस्यों के चित्र/प्रतिमाएं लगाने संबंधी समिति* अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय कक्ष अथवा संसद भवन परिसर में लगाए जाने वाले राष्ट्रीय नेताओं/संसद सदस्यों के चित्र/प्रतिमाओं का निर्णय करती है और उनके प्रस्ताव तैयार करती है।

- *संसद भवन परिसर में सुरक्षा संबंधी समिति* संसद भवन परिसर में सुरक्षा संबंधी उपकरण लगाये जाने से संबंधित कार्य की प्रगति की समीक्षा करती है; विचारार्थ/निर्णयार्थ लंबित पड़े सुरक्षा पहलुओं पर विचार करती है और संसद की सुरक्षा संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें भविष्य में संभावित खतरे और सुरक्षा परिदृश्य तथा इस संबंध में उठाये जा रहे कदमों का निरूपण करती है।

- *संसद सदस्यों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों तथा लोक सभा सचिवालय के कार्यालयों के लिए कम्प्यूटरों की व्यवस्था संबंधी समिति* हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वित्तीय हकदारी, आदि सहित कम्प्यूटर उपकरण से संबंधित सभी मामलों पर विचार करती है।

- *संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी समिति* सदस्यों के लिए कैंटीन सेवाओं से संबंधित मामलों पर विचार करती है जिसमें दरों में संशोधन, राजसहायता का स्तर तथा अन्य संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

- संसद भवन परिसर की विरासत के अनुरक्षण और विकास संबंधी संयुक्त समिति का 15 दिसम्बर 2009 को गठन किया गया। यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ संसद भवन परिसर में संरक्षण, जीर्णोद्धार, पुनःस्थापन और अनुरक्षण कार्यों संबंधी नीतियां, दिशा-निर्देश और कार्यक्रम तैयार करती है।

▲ *अध्यक्ष द्वार की ओर से संसद भवन के लॉनों का दृश्य*

संसदीय मंच

चौदहवीं लोक सभा की शुरुआत के बाद भारतीय संसद में अनेक संसदीय मंचों का गठन किया गया है जिनका उद्देश्य सदस्यों के लिए विषय विशेषज्ञों और प्रमुख मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद हेतु मंच तैयार करने के अतिरिक्त सदस्यों को राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट विषयों की सूचना और जानकारी देना है।

ये मंच सदस्यों को महत्वपूर्ण सरोकारों और उनसे जुड़े तथ्यों से अवगत कराते हैं तथा उन्हें अद्यतन जानकारी, तकनीकी ज्ञान एवं अपने देश और दूसरे देशों के विशेषज्ञों से भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं ताकि वे इन विषयों को सदन में कारगर ढंग से उठा सकें। मंच संबंधित मंत्रालयों, विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र संघ, समाचारपत्रों, इंटरनेट आदि से महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र कर तथा इन्हें सदस्यों को परिचालित करके डाटा बेस तैयार करते हैं ताकि वे मंचों की चर्चाओं में सार्थक ढंग से भाग ले सकें एवं विशेषज्ञों अथवा मंत्रालय के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग सकें। तथापि, संसदीय मंच विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों या संबंधित मंत्रालयों/विभागों में न तो हस्तक्षेप करते हैं और न ही उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं।

इस समय पांच संसदीय मंच हैं:—

- जल संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच
- संसदीय युवा मंच
- संसदीय बाल मंच
- जनसंख्या और जन स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच
- भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय मंच

आपदा प्रबंधन संबंधी एक संसदीय मंच के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है और मंच का गठन किया जा रहा है।

प्रत्येक मंच में 31 से अनधिक सदस्य होते हैं–21 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से। लोक सभा का अध्यक्ष इन मंचों का पदेन अध्यक्ष/सह-अध्यक्ष और लोक सभा के उपाध्यक्ष, राज्य सभा के उप-सभापति, विषय से संबंधित मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री तथा विभागों से सम्बद्ध स्थायी समिति के सभापति इन मंचों के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं।

जामुन वृक्षों की शृंखला सहित सुव्यवस्थित ढंग से लगे फिशटेल पाम वृक्ष जिसने संसद परिसर को घनी हरियाली का रूप दिया

जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच के कृत्य हैं:—

- जल से जुड़ी समस्याओं का पता लगाना तथा सरकार/संबंधित संगठनों के विचारार्थ और समुचित कार्यवाही हेतु सुझाव देना/सिफारिश करना;
- संसद सदस्यों को उनके राज्यों/निर्वाचन क्षेत्रों में जल-संरक्षण और जल संसाधनों में वृद्धि करने के कार्य में शामिल करने के तरीकों का पता लगाना;
- जल के संरक्षण और कुशल प्रबंधन हेतु जागरुकता पैदा करने के लिए विचारगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन करना; और
- ऐसे अन्य सम्बद्ध कार्य करना जो वह उचित समझे।

संसदीय युवा मंच, जिसके खेल और युवा विकास; स्वास्थ्य; शिक्षा और *रोजगार संबंधी चार उप-मंच हैं,* के कृत्य हैं:-

- विकास संबंधी कार्यों में तेजी लाने हेतु युवा श्रमशक्ति का उपयोग करने की नीतियों पर केन्द्रित चर्चा करना;
- सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने हेतु युवा शक्ति की संभावनाओं के विषय में जननेताओं में तथा निचले स्तर पर और अधिक जागरुकता लाना;
- युवाओं की आशाओं, आकांक्षाओं, सरोकारों और समस्याओं की बेहतर समझ हेतु युवा प्रतिनिधियों और नेताओं के साथ नियमित आधार पर संवाद करना;
- लोकतांत्रिक संस्थाओं में युवाओं का विश्वास और प्रतिबद्धता सुदृढ़ करने तथा उनमें उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न युवा वर्गों तक संसद की बेहतर पहुंच के तरीकों पर विचार करना; और
- युवा सशक्तीकरण के मामले में सार्वजनिक नीति के पुनर्निर्धारण हेतु विशेषज्ञों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों से परामर्श करना।

संसदीय बाल मंच के कृत्य हैं:-

- बाल-कल्याण संबंधी गंभीर मुद्दों के प्रति सांसदों को सजग करना ताकि वे विकास प्रक्रिया में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करने हेतु यथोचित नेतृत्व प्रदान कर सकें;
- सांसदों को कार्यशालाओं, विचारगोष्ठियों, प्रबोधन कार्यक्रमों, इत्यादि के माध्यम से बालकों के संबंध में विचारों, दृष्टिकोणों, अनुभवों, विशेषज्ञता और व्यवहारों का व्यवस्थित ढंग से आदान-प्रदान करने हेतु मंच प्रदान करना;
- सांसदों को *अन्य बातों के साथ-साथ* स्वयंसेवी क्षेत्र, मीडिया और कार्पोरेट जगत में बालकों के मुद्दों को विशिष्टता प्रदान करने हेतु नागरिक समाज के साथ संवाद के अवसर उपलब्ध कराना और इस प्रकार, इस संबंध में कारगर नीतिक भागीदारी विकसित करना;
- सांसदों को विश्व भर में क्षेत्र विशेष में विकास से सम्बद्ध विशेषज्ञों के प्रतिवेदनों, अध्ययनों, समाचारों और प्रवृत्ति विषयक विश्लेषणों, इत्यादि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के 'यूनिसेफ' जैसे विशेषीकृत अभिकरणों तथा अन्य सदृश बहुपक्षीय अभिकरणों के साथ सुस्थापित ढंग से संवाद कायम करने हेतु जानकारी प्रदान करना; और
- ऐसे अन्य कार्य, परियोजनाएं, नियत कार्य, इत्यादि आरम्भ करना जिन्हें मंच उचित समझे।

जनसंख्या और जन-स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच के कृत्य हैं:—

- जनसंख्या स्थिरीकरण और उससे जुड़े मामलों से संबंधित नीतियों पर केन्द्रित विचार-विमर्श;
- जन-स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और नीति तैयार करना;
- जनसंख्या नियंत्रण और जन-स्वास्थ्य के संबंध में समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से निचले स्तर पर अधिक जागरुकता लाना; और
- जनसंख्या और जन-स्वास्थ्य के मामले में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों के साथ व्यापक वार्ता और चर्चा करना तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, शिक्षाविदों और संबंधित सरकारी अभिकरणों के साथ संवाद करना।

भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय मंच के कृत्य हैं:—

- भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का पता लगाना और भूमंडलीय तापवृद्धि का स्तर कम करने हेतु सरकार/संबंधित संगठनों के विचारार्थ और सूचित कार्यवाही हेतु सुझाव देना/सिफारिश करना;
- संसद सदस्यों को भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन विषय पर कार्य कर रहे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निकायों के विशेषज्ञों से संवाद के अवसर उपलब्ध कराना तथा भूमंडलीय तापवृद्धि का शमन करने की नई तकनीकें विकसित करने के प्रयासों को बढ़ावा देना;
- भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभावों के बारे में सांसदों में जागरुकता उत्पन्न करने हेतु विचारगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन करना;
- भूमंडलीय तापवृद्धि और जलवायु परिवर्तन के निवारण हेतु जनजागृति उत्पन्न करने के लिए सांसदों की सहभागिता के तरीके खोजना; और
- ऐसे अन्य संबद्ध कार्य करना जो वह उचित समझे।

अन्तर-संसदीय संबंध

संसदों के बीच सहयोगपूर्ण संबंधों की स्थापना और उनका विकास राष्ट्रीय संसदों की नियमित गतिविधियों का ही एक भाग है। यद्यपि अन्तर-संसदीय संबंधों को बढ़ावा देना वर्षों से सांसदों के कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है पर हाल ही में वैश्विक वातावरण में राष्ट्रों की एक-दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि के कारण इसे एक नया बल प्राप्त हुआ है। यह अनिवार्य हो गया है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सांसद एक-दूसरे से हाथ मिलाएं और विश्व के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करें और उन्हें अपने देश में तथा विश्व स्तर पर भी शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के अवसर में बदल दें। अतएव, विश्व के अनेक भागों के सांसदों को ऐसे मंच चाहिएं जहां वे विचार-विमर्श करने के लिए मिल सकें और वे अपनी एक जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढ़ सकें। वहां पर न केवल पुरानी और नई संसदों बल्कि विभिन्न राजनैतिक प्रणालियों के अन्तर्गत कार्यरत सांसदों के बीच भी विचार-विनिमय हो सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन समस्याओं पर अन्तर-सरकारी सम्मेलनों में भी विचार-विमर्श होता है लेकिन वे चर्चाएं उस विचार-विमर्श से भिन्न होंगी जो विधायकों के समूह में होता है।

अन्तर-संसदीय संबंधों का महत्व और भी बढ़ जाता है जब विश्व अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा हो। आज जो समस्याएं एक संसद के समक्ष हैं, कल वे दूसरी संसद के समक्ष हो सकती हैं। अतएव, यह आवश्यक है कि विभिन्न संसदों के बीच कोई कड़ी जुड़नी चाहिए। अत: विश्व के विभिन्न भागों के सांसदों ने अनेक मंच, जैसे अन्तर-संसदीय संघ (आईपीयू), राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए), इत्यादि बनाए हैं ताकि संसदों के बीच विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा हो और वे एक जैसी समस्याओं पर विचार-विमर्श करके उनका समाधान निकाल सकें।

भारतीय संसदीय ग्रुप

भारत अन्य संसदों और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय निकायों के साथ संसदीय सम्मेलनों, शिष्टमंडलों, सद्भावना मिशनों, इत्यादि का आदान-प्रदान करके भारतीय संसदीय ग्रुप (आईपीजी) के जरिए सद्भावनापूर्ण और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखता है। यह ग्रुप अंतर-संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भारत शाखा, दोनों के रूप में कार्य करता है।

भारतीय संसदीय ग्रुप एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। इसे संसद सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ावा देने; उनके लिए विदेशी दौरों पर जाने की व्यवस्था करने; और संसद सदस्यों के लिए राजनैतिक, रक्षा संबंधी, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी विषयों पर व्याख्यान/विचारगोष्ठियां आयोजित करने के उदेश्य से स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, आने वाले राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के भाषण भी इस ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामयिक महत्व के संसदीय विषयों पर विचारगोष्ठियां और संगोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं।

आईपीजी की सदस्यता सभी संसद सदस्यों तथा पूर्व संसद संदस्यों के लिए खुली है। लोक सभा अध्यक्ष आईपीजी तथा कार्यकारिणी समिति के *पदेन* अध्यक्ष होते हैं। राज्य सभा के उप-सभापति और लोक सभा के उपाध्यक्ष इस ग्रुप के *पदेन* उपाध्यक्ष होते हैं। लोक सभा के महासचिव आईपीजी और इसकी कार्यकारिणी समिति के *पदेन* महासचिव होते हैं।

भारतीय सांसद लोकतांत्रिक शासन के प्रति सूझबूझ तथा लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलनों, विचारगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लेते रहते हैं। भारत ने 1957, 1975, 1991 और 2007 में क्रमशः पांचवें, इक्कीसवें, सैंतीसवें और तिरपनवें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया था।

भारत, 1949 से अंतर-संसदीय संघ का सक्रिय सदस्य रहा है और उसने 1969 में 57वां तथा 1993 में 89वां सम्मेलन आयोजित किया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय ग्रुप ने 1997 में *राजनीति में पुरुषों और महिलाओं की सहभागिता की ओर* पर एक विशिष्ट आईपीयू सम्मेलन का आयोजन किया था।

भारत राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का भी सदस्य है। यह सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों को आपस में मिलने, पारस्परिक रुचि के मामलों से अवगत होने और उन पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय संसद ने दूसरे, आठवें और बीसवें सम्मेलन का आयोजन क्रमशः 1970-71, 1986 और 2010 में किया था।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात् 'दक्षेस' (सार्क) दक्षिण एशिया के देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। 'सार्क' देशों की संसदों के अध्यक्षों और सांसदों के संघ की स्थापना नवम्बर 1992 में संसदीय कार्य प्रणाली और प्रक्रिया के संबंध में विचारों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करने तथा 'सार्क' के कार्य में सहयोग करने और दक्षिण एशिया के सांसदों के बीच इसके सिद्धान्तों और गतिविधियों के संबंध में ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य के लिए की गयी थी। भारत ने 1995 में पहला सम्मेलन और जुलाई 2011 में पांचवां सम्मेलन आयोजित किया था।

संसदीय मैत्री ग्रुप

अन्य देशों की संसदों के साथ विचारों का अधिक गहन और निरंतर आदान-प्रदान करने तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत की संसद ने 75 देशों के साथ संसदीय मैत्री ग्रुप का गठन किया है। संसदीय मैत्री ग्रुपों का लक्ष्य और उद्देश्य दो देशों के बीच राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध कायम रखना; अंतर-संसदीय संबंधों के सतत विकास, विशेषकर दो संसदों के बीच वार्ता, पारस्परिक विनिमय और सहयोगकारी आयोजन के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करना; संसदीय गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर जानकारी और अनुभव के आदान-प्रदान में सहयोग करना, पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श में भाग लेने के अवसर पर दो देशों के शिष्टमंडलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना; और सदस्य देशों के बीच संबंध बढ़ाना है।

संसद के कार्य निर्वाहक

भारत की संसद में संसद के कार्य निर्वाहकों का एक अलग समूह है जो संसदीय संस्कृति और लोकतांत्रिक वाद-विवाद के समुन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनका बहुत सम्मान किया जाता है और विपक्ष तथा सत्तापक्ष दोनों को उनके कार्यकरण में पूर्ण विश्वास होता है। संसदीय लोकतंत्र की चेतना के वाहक के रूप में वे संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं की स्वस्थ परम्पराओं और परिपाटियों का विकास करने और उन्हें बनाए रखने में सहयोग देते हैं तथा लोकतंत्र की आत्मा और कवच को मजबूत करते हैं।

राज्य सभा का सभापति

भारत का उपराष्ट्रपति, जो कि राज्य सभा का *पदेन* सभापति भी होता है, का निर्वाचन संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों से युक्त एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के जरिए पांच वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह संसद की किसी भी सभा अथवा किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता।

लोक सभा का अध्यक्ष

हमारी संसदीय राज्यव्यवस्था में लोक सभा अध्यक्ष का महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यक्ष का चुनाव लोक सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से सभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। लोक सभा का संवैधानिक प्रमुख और प्रधान प्रवक्ता होने के नाते अध्यक्ष सभा की सामूहिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यक्ष को संविधान और नियमों के अंतर्गत तथा अंतर्निहित रूप से भी व्यापक प्राधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। अध्यक्ष सभा, उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का रक्षक है। अध्यक्ष उन सब उपबंधों का अंतिम विवाचक और व्याख्याता होता है जोकि सभा के कार्यकरण से संबंधित होते हैं। इसके लिए अध्यक्ष को नियमों के अंतर्गत व्यापक अनुशासनात्मक शक्तियां प्रदान की गई हैं। सभा के परिसर के भीतर अध्यक्ष का प्राधिकार सर्वोच्च है और निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होते हैं। विशेष प्रस्ताव लाए बिना अध्यक्ष के आचरण पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष प्रश्नों, प्रस्तावों, संकल्पों, विधेयकों, संशोधनों इत्यादि की सूचनाओं की ग्राह्यता पर निर्णय लेता है और अध्यक्ष की सहमति के बिना कोई भी कार्य सभा के समक्ष नहीं लाया जा सकता। अध्यक्ष सभा के वाद-विवाद और कार्यवाहियों को नियंत्रित करता है और उसे सभा के भीतर व्यवस्था

बनाए रखने का प्रभार दिया गया है। अध्यक्ष, सदस्यों द्वारा नियमों के पालन को सुनिश्चित कराता है और किसी सदस्य को अभद्र आचरण का दोषी पाए जाने पर सभा से बाहर चले जाने का निदेश दे सकता है। अध्यक्षपीठ के प्राधिकार के प्रति जानबूझकर अनादर प्रकट करने अथवा कार्यवाहियों में बाधा पहुंचाने पर वह नाराजगी जाहिर कर उस सदस्य का नाम ले सकता है। अध्यक्ष भारी अव्यवस्था उत्पन्न होने पर सभा की कार्यवाही को स्थगित अथवा निलम्बित कर सकता है।

अध्यक्ष इस प्रश्न पर भी विनिश्चय करता है कि क्या सभा का कोई सदस्य संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार, दल-बदल के आधार पर निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं।

सभा की समस्त समितियां अध्यक्ष के सम्पूर्ण नियंत्रण और निदेश के अंतर्गत कार्य करती हैं। अध्यक्ष उनके सभापतियों का नाम-निर्देशन करता है और ऐसे निर्देश जारी करता है जिन्हें समितियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक समझा जाए। कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति और नियम समिति सीधे अध्यक्ष के सभापतित्व में कार्य करती हैं।

जहां तक कतिपय मामलों में संसद के दोनों सदनों के बीच संबंधों का प्रश्न है, अध्यक्ष को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। अध्यक्ष धन विधेयक को अधिप्रमाणित करता है और धन संबंधी मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष किसी विधायी मामले पर दोनों सभाओं के बीच मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति में बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यद्यपि, अध्यक्ष लोक सभा का एक सदस्य होता है, फिर भी वह केवल उन असाधारण स्थितियों को छोड़कर, जब किसी निर्णय को लेकर बराबर-बराबर मत पड़े हों, सभा में मतदान नहीं करता है।

लोक सभा चैम्बर में अध्यक्ष का आसन

लोक सभा के अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार
(3 जून 2009 से पदासीन)

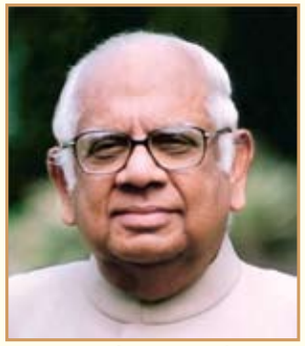

श्री सोमनाथ चटर्जी
(4 जून 2004 — 1 जून 2009)

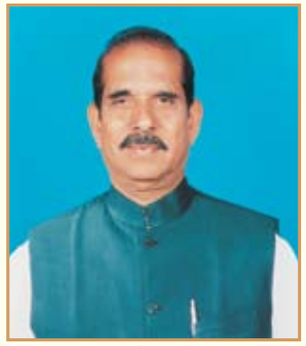

श्री मनोहर जोशी
(10 मई 2002 — 2 जून 2004)

श्री जी.एम.सी. बालयोगी
(22 अक्तूबर 1999 — 3 मार्च 2002,
24 मार्च 1998 — 20 अक्तूबर 1999)

श्री पी.ए. संगमा
(23 मई 1996 — 23 मार्च 1998)

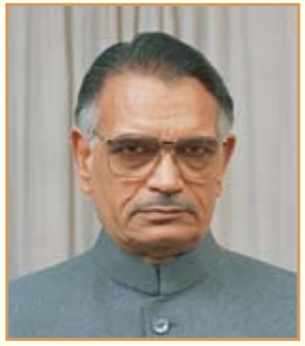

श्री शिवराज वि. पाटील
(10 जुलाई 1991 — 22 मई 1996)

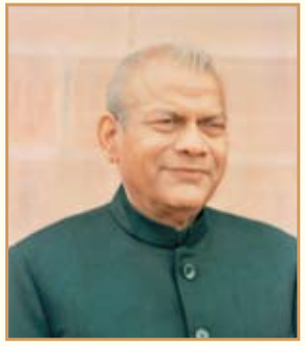

श्री रवि राय
(19 दिसम्बर 1989 — 9 जुलाई 1991)

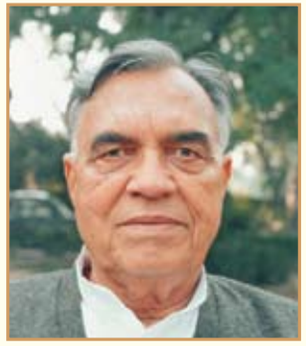

डॉ. बलराम जाखड़
(16 जनवरी 1985 — 18 दिसम्बर 1989,
22 जनवरी 1980 — 15 जनवरी 1985)

श्री के. एस. हेगड़े
(21 जुलाई 1977 — 21 जनवरी 1980)

श्री बली राम भगत
(5 जनवरी 1976 — 25 मार्च 1977)

डॉ. जी.एस. ढिल्लों
(22 मार्च 1971 — 1 दिसम्बर 1975,
8 अगस्त 1969 — 19 मार्च 1971)

डॉ. नीलम संजीव रेड्डी
(26 मार्च 1977 — 13 जुलाई 1977,
17 मार्च 1967 — 19 जुलाई 1969)

सरदार हुकम सिंह
(17 अप्रैल 1962 — 16 मार्च 1967)

श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर
(11 मई 1957 — 16 अप्रैल 1962,
8 मार्च 1956 — 10 मई 1957)

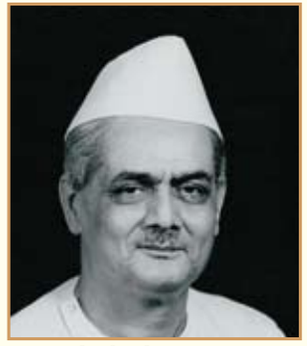

श्री जी. वी. मावलंकर
(15 मई 1952 — 27 फरवरी 1956)

प्रधान मंत्री, लोक सभा में बहुमत दल का नेता होता है। वह लोक सभा में सदन के नेता के रूप में कार्य करता है, सिवाय उस स्थिति के जब वह लोक सभा का सदस्य न हो। इसी प्रकार वरिष्ठतम मंत्री, जो राज्य सभा का सदस्य हो, को प्रधान मंत्री राज्य सभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त करता है।

सदन का नेता एक महत्वपूर्ण संसदीय पदाधिकारी होता है जिसका सभा के कार्यों पर सीधा प्रभाव होता है। वह संसद के किसी सत्र के दौरान किये जाने वाले सरकारी कार्यों नामत: विधेयक, प्रस्ताव और विशिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श से संबंधित कार्यक्रम तैयार करता है। वह कार्य की विभिन्न मदों की परस्पर पूर्ववर्तिता तय करता है ताकि उन्हें आसानी से पारित कराया जा सके। नियमों के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी सभा में सरकारी कार्यों के प्रबंधन और विभिन्न कार्यों पर विचार-विमर्श हेतु दिनों का और समय का आबंटन करने के लिए सदन के नेता से परामर्श करता है। वह सभा आहूत करने और सत्रावसान करने की तारीखों के लिए प्रस्ताव भी करता है।

सदन के नेता की जिम्मेदारी न केवल सरकार के प्रति है बल्कि विपक्ष और सारी सभा के प्रति भी है। वह सभा में सरकार और विपक्षी दलों के बीच सम्पर्क बनाये रखता है। उसका सर्वप्रथम कर्त्तव्य कार्यवाही संचालन में अध्यक्ष की सहायता करना होता है।

सदन के नेता (राज्य सभा)

डॉ. मनमोहन सिंह
(29 मई 2009 से पदासीन,
1 जून 2004 — 18 मई 2009)

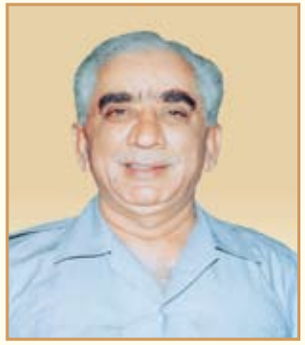

श्री जसवंत सिंह
(अक्तूबर 1999 — मई 2004)

श्री सिकंदर बख्त
(मार्च 1998 — अक्तूबर 1999,
20 मई 1996 — 31 मई 1996)

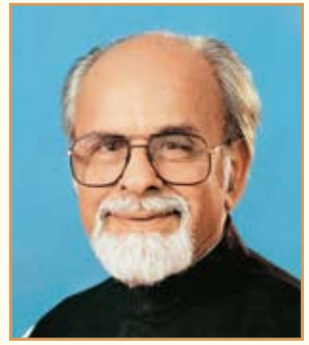

श्री आई.के. गुजराल
(अप्रैल 1997 — मार्च 1998,
जून 1996 — नवंबर 1996)

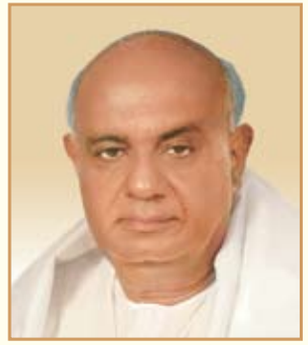

श्री एच.डी. देवगौड़ा
(नवंबर 1996 — अप्रैल 1997)

श्री एस.बी. चव्हाण
(जुलाई 1991 — अप्रैल 1996)

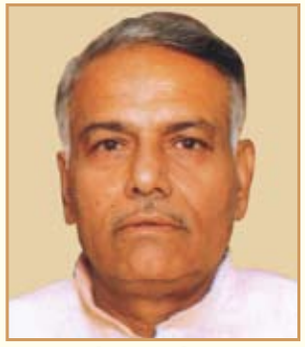

श्री यशवंत सिन्हा
(दिसम्बर 1990 — जून 1991)

श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी
(दिसम्बर 1989 — नवम्बर 1990)

श्री पी. शिवशंकर
(जुलाई 1988 — दिसम्बर 1989)

श्री एन.डी. तिवारी
(अप्रैल 1987 — जून 1988)

सदन के नेता (राज्य सभा)

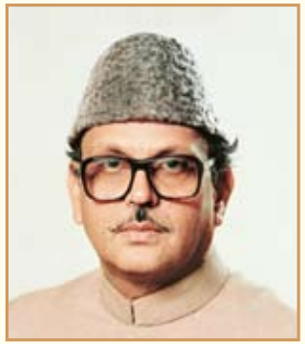

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
(दिसम्बर 1984 — अप्रैल 1987)

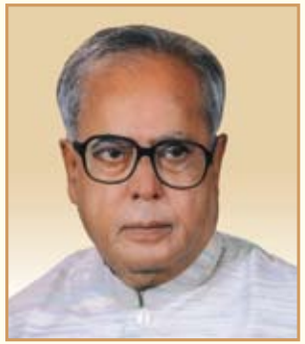

श्री प्रणब मुखर्जी
(अगस्त 1981 — दिसम्बर 1984,
जनवरी 1980 — जुलाई 1981)

श्री के.सी. पंत
(अगस्त 1979 — जनवरी 1980)

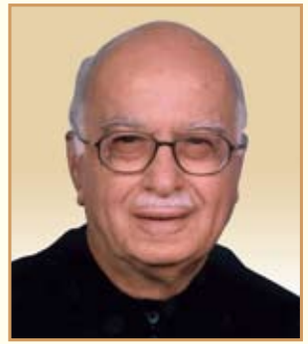

श्री लाल कृष्ण आडवाणी
(मार्च 1977 — अगस्त 1979)

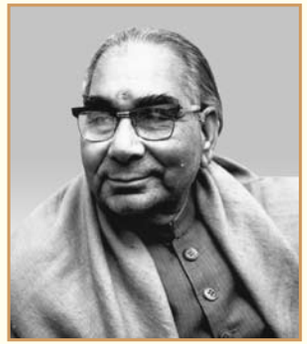

श्री कमलापति त्रिपाठी
(दिसम्बर 1975 — मार्च 1977)

श्री उमा शंकर दीक्षित
(मई 1971 — दिसम्बर 1975)

श्री कोडरदास कालीदास शाह
(नवम्बर 1969 — मई 1971)

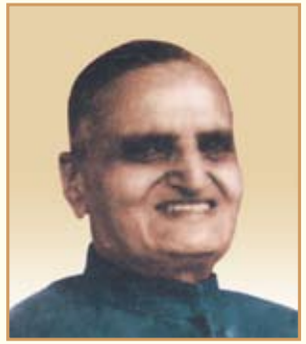

श्री जयसुखलाल हाथी
(नवम्बर 1967 — नवम्बर 1969,
फरवरी 1964 — मार्च 1964)

श्री मोहम्मद अली करीम छागला
(मार्च 1964 — नवम्बर 1967)

श्री वाई.बी. चव्हाण
(अगस्त 1963 — दिसम्बर 1963)

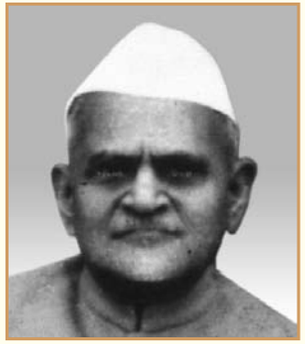

हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम
(फरवरी 1961 — अगस्त 1963)

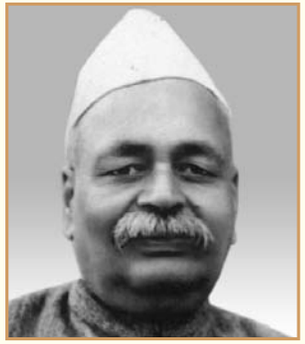

श्री गोविंद बल्लभ पंत
(मार्च 1955 — फरवरी 1961)

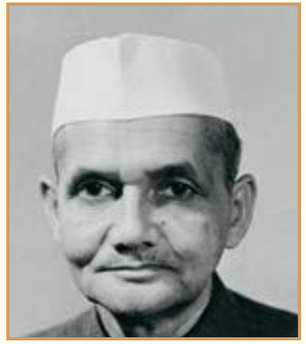

श्री लाल बहादुर शास्त्री
(नवम्बर 1954 — मार्च 1955)

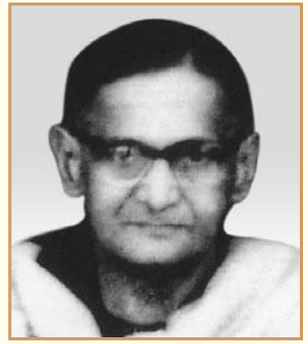

श्री चारू चन्द्र बिश्वास
(फरवरी 1953 — नवम्बर 1954)

श्री एन. गोपालास्वामी आयंगर
(मई 1952 — फरवरी 1953)

सदन के नेता (लोक सभा)

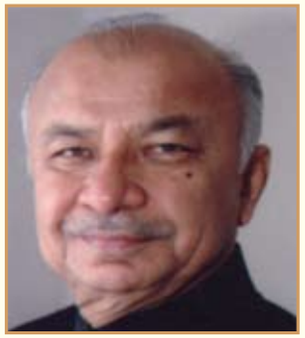

श्री सुशील कुमार शिंदे
(3 अगस्त 2012 से पदासीन)

श्री प्रणब मुखर्जी
(3 जून 2009 से जून 2012
25 मई 2004 — 18 मई 2009)

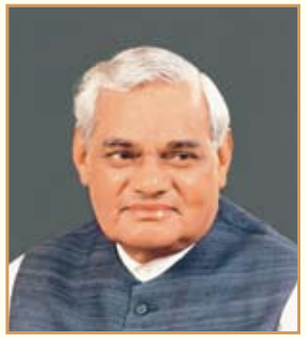

श्री अटल बिहारी वाजपेयी
(13 अक्तूबर 1999 — 6 फरवरी 2004,
19 मार्च 1998 — 26 अप्रैल 1999,
16 मई 1996 — 1 जून 1996)

श्री राम विलास पासवान
(11 जून 1996 — 4 दिसम्बर 1997)

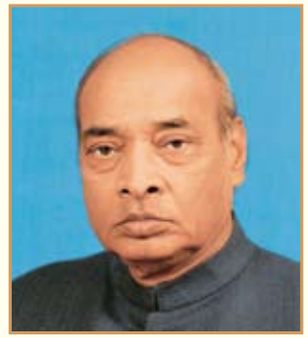

श्री पी.वी. नरसिंह राव
(6 दिसम्बर 1991 — 10 मई 1996)

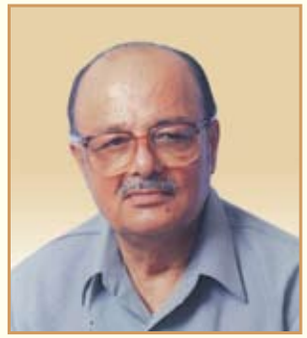

श्री अर्जुन सिंह
(10 जुलाई 1991 — 6 दिसम्बर 1991)

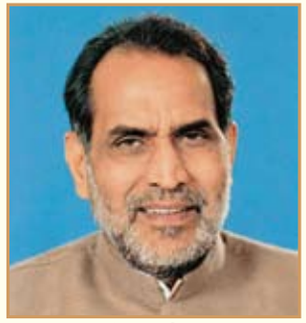

श्री चन्द्रशेखर
(10 नवम्बर 1990 — 13 मार्च 1991)

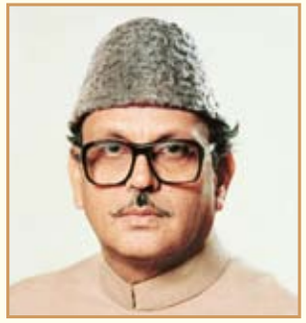

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
(2 दिसम्बर 1989 — 10 नवम्बर 1990)

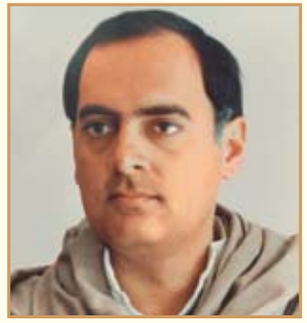

श्री राजीव गांधी
(31 दिसम्बर 1984 — 27 नवम्बर 1989,
31 अक्तूबर 1984 — 31 दिसम्बर 1984)

श्रीमती इन्दिरा गांधी
(10 जनवरी 1980 — 31 अक्तूबर 1984,
15 मार्च 1971 — 18 जनवरी 1977,
14 मार्च 1967 — 27 दिसम्बर 1970)

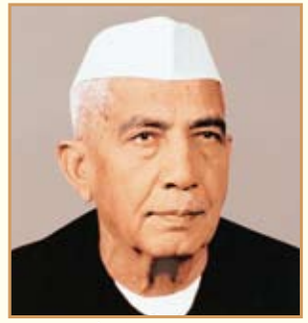

चौधरी चरण सिंह
(28 जुलाई 1979 — 22 अगस्त 1979)

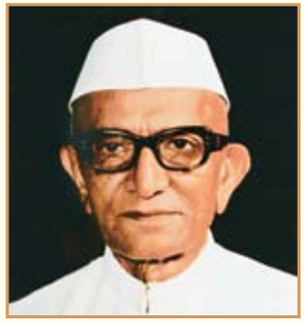

श्री मोरारजी देसाई
(23 मार्च 1977 — 28 जुलाई 1979)

श्री सत्य नारायण सिन्हा
(14 फरवरी 1966 — 3 मार्च 1967)

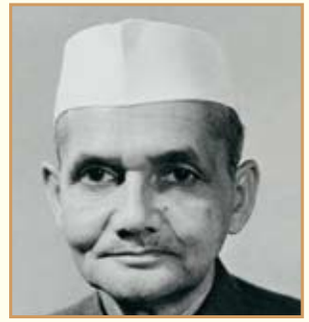

श्री लाल बहादुर शास्त्री
(9 जून 1964 — 11 जनवरी 1966)

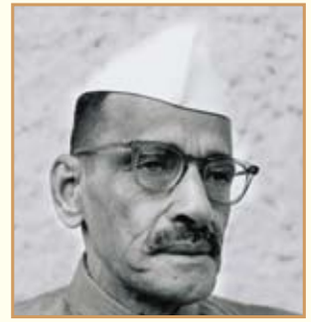

श्री गुलजारी लाल नंदा
(11 जनवरी 1966 — 24 जनवरी 1966,
27 मई 1964 — 9 जून 1964)

पंडित जवाहर लाल नेहरू
(2 अप्रैल 1962 — 27 मई 1964,
5 अप्रैल 1957 — 31 मार्च 1962,
13 मई 1952 — 4 अप्रैल 1957)

विपक्ष का नेता

हमारी संसदीय प्रणाली में लोक सभा तथा राज्य सभा, दोनों में विपक्ष के नेता के पद को औपचारिक मान्यता और सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। लोक सभा में विपक्ष के नेता को छाया प्रधान मंत्री के रूप में माना जाता है जो सरकार के इस्तीफा देने या सदन में लिये गये विश्वास मत में उसके परास्त हो जाने की दशा में आवश्यकता पड़ने पर छाया मंत्रिमंडल के साथ प्रशासन संभाल सके। चूंकि संसदीय प्रणाली परस्पर-सहिष्णुता की प्रक्रिया पर आधारित है, अत: विपक्ष का नेता प्रधान मंत्री को शासन चलाने देता है तथा बदले में उसे विरोध करने की अनुमति होती है। सभा के सुचारू कार्य संचालन में उसकी सक्रिय भूमिका सरकार के समान ही महत्वपूर्ण है।

विपक्ष का नेता अध्यक्षपीठ के बाईं ओर की अग्रिम पंक्ति में बैठता है। उसे औपचारिक अवसरों पर भी कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे नव-निर्वाचित अध्यक्ष को उनके आसन तक ले जाना तथा संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करना। उसे संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 के अंतर्गत वेतन तथा कतिपय अन्य सुख-सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

विपक्ष के नेता (राज्य सभा)(1969 से)

श्री अरुण जेटली
(3 जून 2009 से पदासीन)

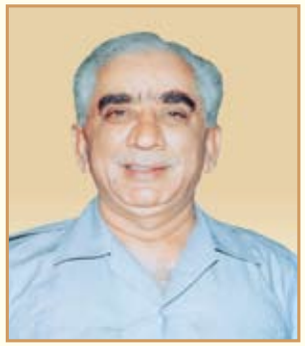

श्री जसवंत सिंह
(5 जुलाई 2004 — 16 मई 2009,
3 जून 2004 — 4 जुलाई 2004)

डॉ. मनमोहन सिंह
(15 जून 2001 — 22 मई 2004,
21 मार्च 1998 — 14 जून 2001)

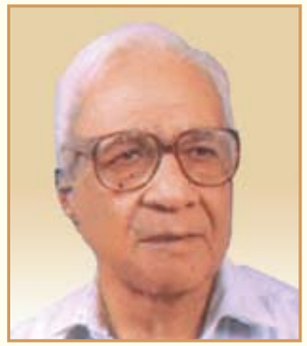

श्री सिकंदर बख्त
(1 जून 1996 — 19 मार्च 1998,
10 अप्रैल 1996 — 15 मई 1996,
7 जुलाई 1992 — 9 अप्रैल 1996)

श्री एस.बी. चव्हाण
(23 मई 1996 — 31 मई 1996)

श्री एस. जयपाल रेड्डी
(22 जुलाई 1991 — 29 जून 1992)

श्री एम.एस. गुरुपदस्वामी
(28 जून 1991 — 21 जुलाई 1991,
मार्च 1971 — अप्रैल 1972)

श्री पी. शिव शंकर
(18 दिसम्बर 1989 — 2 जनवरी 1991)

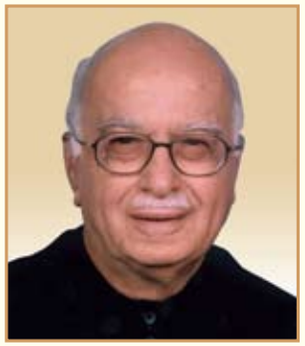

श्री लाल कृष्ण आडवाणी
(21 जनवरी 1980 — 7 अप्रैल 1980)

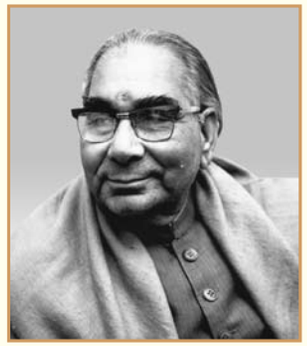

श्री कमलापति त्रिपाठी
(18 अप्रैल 1978 — 8 जनवरी 1980,
23 मार्च 1978 — 2 अप्रैल 1978,
30 मार्च 1977 — 15 फरवरी 1978)

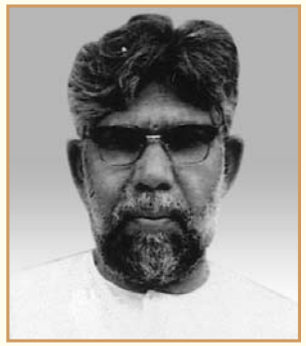

श्री भोला पासवान शास्त्री
(24 फरवरी 1978 — 23 मार्च 1978)

श्री श्याम नंदन मिश्र
(दिसम्बर 1969 — मार्च 1971)

विपक्ष के नेता (लोक सभा)(1969 से)

श्रीमती सुषमा स्वराज
(21 दिसम्बर 2009 से पदासीन)

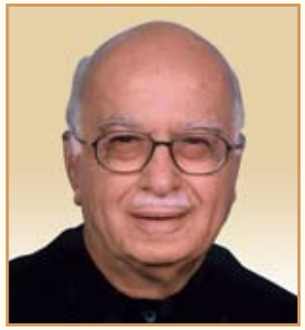

श्री लाल कृष्ण आडवाणी
(22 मई 2009 — 21 दिसम्बर 2009,
22 मई 2004 — 18 मई 2009,
21 जून 1991 — 25 जुलाई 1993,
24 दिसम्बर 1990 — 13 मार्च 1991)

श्रीमती सोनिया गांधी
(13 अक्तूबर 1999 — 6 फरवरी 2004)

श्री शरद पवार
(19 मार्च 1998 — 26 अप्रैल 1999)

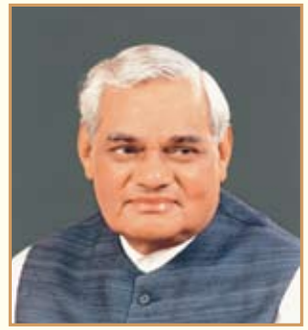

श्री अटल बिहारी वाजपेयी
(1 जून 1996 — 4 दिसम्बर 1997,
26 जुलाई 1993 — 10 मई 1996)

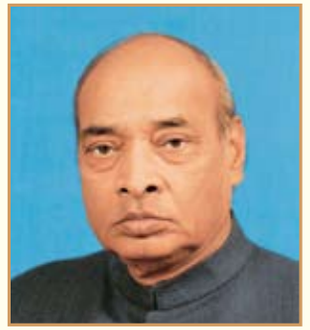

श्री पी.वी. नरसिंह राव
(16 मई 1996 — 1 जून 1996)

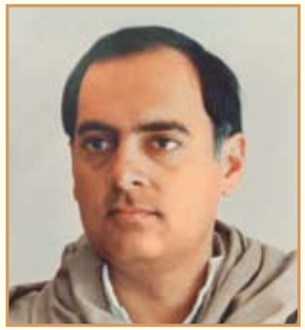

श्री राजीव गांधी
(18 दिसम्बर 1989 — 24 दिसम्बर 1990)

श्री जगजीवन राम
(28 जुलाई 1979 — 22 अगस्त 1979)

श्री वाई.बी. चव्हाण
(10 जुलाई 1979 — 28 जुलाई 1979,
23 मार्च 1977 — 12 अप्रैल 1978)

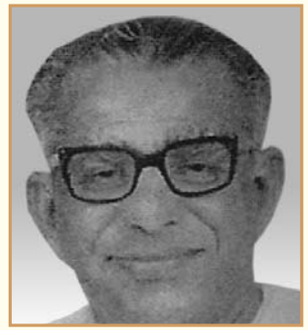

श्री सी.एम. स्टीफन
(12 अप्रैल 1978 — 10 जुलाई 1979)

डॉ. राम सुभग सिंह
(17 दिसम्बर 1969 — 27 दिसम्बर 1970)

उपसभापति का चुनाव राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है और वह राज्य सभा के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति तक अपने पद पर बना रहता/बनी रहती है। जब सभापति का पद रिक्त होता है अथवा जब कभी उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कृत्यों का निष्पादन करता है तो वह राज्य सभा के सभापति के दायित्वों का निर्वहन करता/करती है।

राज्य सभा के उपसभापति

श्री पी. जे. कुरियन
(21 अगस्त 2012 से पदासीन)

श्री के. रहमान खान
(12 मई 2006 — 2 अप्रैल 2012,
22 जुलाई 2004 — 2 अप्रैल 2006)

डॉ. (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला
(9 जुलाई 1998 — 10 जून 2004,
10 जुलाई 1992 — 4 जुलाई 1998,
18 नवम्बर 1988 — 4 जुलाई 1992,
25 जनवरी 1985 — 20 जनवरी 1986)

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
(18 नवम्बर 1986 — 5 नवम्बर 1988)

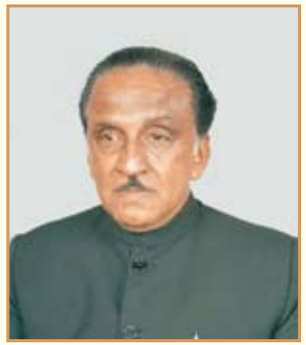

श्री एम.एम. जैकब
(26 फरवरी 1986 — 22 अक्तूबर 1986)

श्री श्याम लाल यादव
(28 अप्रैल 1982 — 29 दिसम्बर 1984,
30 जुलाई 1980 — 2 अप्रैल 1982)

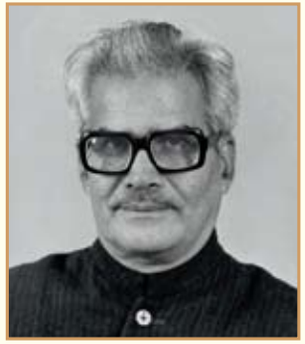

श्री राम निवास मिर्धा
(30 मार्च 1977 — 2 अप्रैल 1980)

श्री गौडे मुराहारी
(26 अप्रैल 1974 — 20 मार्च 1977,
13 अप्रैल 1972 — 2 अप्रैल 1974)

श्री बी.डी. खोबरागडे
(17 दिसम्बर 1969 — 2 अप्रैल 1972)

श्रीमती वायलट अल्वा
(7 अप्रैल 1966 — 16 नवम्बर 1969,
19 अप्रैल 1962 — 2 अप्रैल 1966)

श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव
(25 अप्रैल 1956 — 1 मार्च 1962,
31 मई 1952 — 2 अप्रैल 1956)

लोक सभा का उपाध्यक्ष

लोक सभा के सदस्य अपने में से ही उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। सभा की बैठक की अध्यक्षता के समय उपाध्यक्ष को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो अध्यक्ष को प्राप्त हैं। किसी संसदीय समिति का सदस्य बनने पर उपाध्यक्ष को समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष के विपरीत वह सभा में भाषण दे सकता है, विचार-विमर्श में भाग ले सकता है और सभा के समक्ष किसी भी प्रश्न पर एक सदस्य के रूप में मतदान कर सकता है, परन्तु वह ऐसा तभी कर सकता है जब अध्यक्ष स्वयं सभा की अध्यक्षता कर रहा हो।

सभापति तालिका

अध्यक्ष, सभा के प्रारंभ होने पर अथवा समय-समय पर सभापति तालिका के लिए दस सदस्यों को नाम-निर्देशित करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनमें से एक सदस्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

इसी प्रकार सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सभापति द्वारा उपसभापति तालिका हेतु नाम-निर्देशित छह सदस्यों में से एक सदस्य राज्य सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

सभापति तालिका के सदस्य जब सभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तो उनकी वही शक्तियां होती हैं जो कि पीठासीन अधिकारियों की होती हैं। साथ ही सभापति तालिका के विनिर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती है और न ही उस पर कोई चर्चा या अपील हो सकती है।

सचेतक

संसदीय शासन प्रणाली में संसद में प्रत्येक दल का अपना आंतरिक संगठन होता है और उसके कई अधिकारी होते हैं जिन्हें सचेतक कहा जाता है। ये दल के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। सचेतकों का मुख्य कार्य यह है कि जब भी सभा में कोई महत्वपूर्ण विषय विचाराधीन हो तो वे अपने-अपने दलों के सदस्यों को सभा के आस-पास रखें जिससे कि वे मत-विभाजन की घंटी सुनते ही सभा में आ जायें। सत्रों के दौरान, विभिन्न दलों के सचेतक समय-समय पर अपने सदस्यों को सूचनाएं, जिन्हें 'व्हिप' भी कहा जाता है, भेजते हैं जिनमें उन्हें इस बात से अवगत कराया जाता है कि कब किसी महत्वपूर्ण विषय पर मत-विभाजन होने की संभावना है; उसमें उन्हें यह भी बताया जाता है कि मतदान कब होने की संभावना है और उनसे कहा जाता है कि वे उस समय उपस्थित रहें।

दल के महत्वपूर्ण पदाधिकारी के रूप में संसद में मुख्य सचेतक और दलों तथा समूहों के नेताओं की अहम भूमिका को देखते हुए 'संसद में मान्यताप्राप्त दल और समूह के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1999' पारित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, नेताओं और मुख्य सचेतकों के लिए अतिरिक्त सचिवीय सहायता और टेलीफोन संबंधी सुविधाओं का प्रावधान है।

सरकार का मुख्य सचेतक

लोक सभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक संसदीय कार्य मंत्री होता है। राज्य सभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्य सचेतक होता है। मुख्य सचेतक प्रत्यक्ष रूप से सदन के नेता के प्रति उत्तरदायी है। उसके कर्त्तव्यों में यह भी शामिल है कि सरकार को संसदीय कार्य के संबंध में परामर्श दे और मंत्रियों से उनके विभागों से संबंधित संसदीय कार्य के संबंध में निकट संपर्क बनाए रखे। मुख्य सचेतक की सहायता के लिए एक अथवा दो राज्य मंत्री और कई बार उप मंत्री भी होते हैं।

लोक सभा के उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा
(8 जून 2009 से पदासीन)

सरदार चरणजीत सिंह अटवाल
(9 जून 2004 — 18 मई 2009)

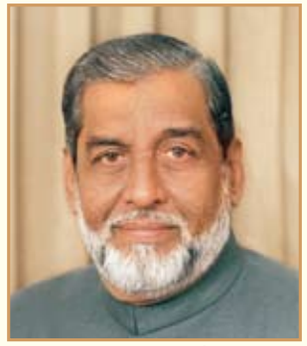

श्री पी.एम. सईद
(27 अक्तूबर 1999 — 6 फरवरी 2004,
17 दिसम्बर 1998 — 26 अप्रैल 1999)

श्री सूरज भान
(12 जुलाई 1996 — 4 दिसम्बर 1997)

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया
(13 अगस्त 1991 — 10 मई 1996)

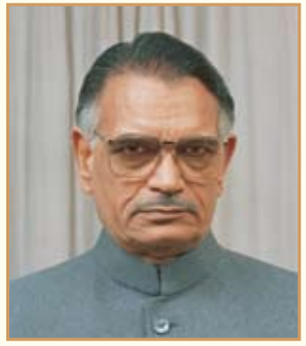

श्री शिवराज वि. पाटील
(19 मार्च 1990 — 13 मार्च 1991)

डॉ. एम. तम्बी दुरई
(22 जनवरी 1985 — 27 नवम्बर 1989)

श्री जी. लक्ष्मणन्
(1 फरवरी 1980 — 31 दिसम्बर 1984)

श्री गौडे मुराहारी
(1 अप्रैल 1977 — 22 अगस्त 1979)

प्रो. जी.जी. स्वैल
(27 मार्च 1971 — 18 जनवरी 1977,
9 दिसम्बर 1969 — 27 दिसम्बर 1970)

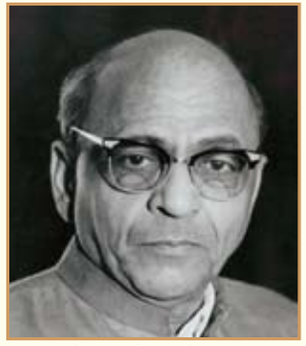

श्री आर.के. खाडिलकर
(28 मार्च 1967 — 1 नवम्बर 1969)

श्री एस.वी. कृष्णामूर्ति राव
(23 अप्रैल 1962 — 3 मार्च 1967)

सरदार हुकम सिंह
(17 मई 1957 — 31 मार्च 1962,
20 मार्च 1956 — 4 अप्रैल 1957)

श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर
(30 मई 1952 — 7 मार्च 1956)

संसद के प्रत्येक सदन का अपना पृथक् सचिवालय है जिसका मुखिया महासचिव है। महासचिव संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके समग्र नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है। पीठासीन अधिकारी के समस्त अधिकारों और कृत्यों से जुड़े सभी मामलों में वह पीठासीन अधिकारी और उसके माध्यम से सभा का सलाहकार होता है। महासचिव संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के नियमों अथवा नजीरों अथवा परिपाटियों के निर्वचन से संबंधित मामले पर पीठासीन अधिकारियों को अपनी विशेषज्ञ सहायता प्रदान करता है। महासचिव सभा के पद्धति और प्रक्रिया संबंधी मामलों में संबंधित सभा के सदस्यों के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। महासचिव होने के नाते वह प्रत्येक सभा के अधीन कार्यरत सभी संसदीय समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है। परंपरानुसार, दोनों सभाओं के महासचिवों को भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। महासचिव का पद केन्द्र सरकार के उच्चतम सिविल सेवक अर्थात् कैबिनेट सचिव के पद के बराबर होता है।

राज्य सभा के सचिव/महासचिव

डॉ. विवेक कुमार अग्निहोत्री
(29 अक्तूबर 2007 से पदासीन)

श्री एन.सी. जोशी
(14 सितम्बर 2007 — 28 अक्तूबर 2007)
[अपर सचिव, महासचिव का कार्यभार संभाले हुए]
[सचिव, 14 नवम्बर 2007 से]

डॉ. योगेन्द्र नारायण
(1 सितम्बर 2002 — 14 सितम्बर 2007)

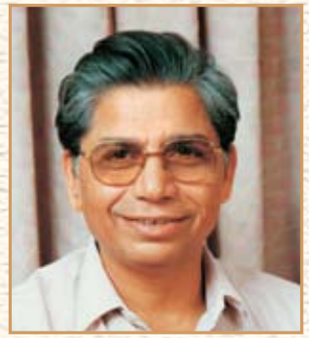

श्री आर.सी. त्रिपाठी
(3 अक्तूबर 1997 — 31 अगस्त 2002)

श्री एस.एस. सोहनी
(25 जुलाई 1997 — 2 अक्तूबर 1997)

श्रीमती वी.एस. रमा देवी
(1 जुलाई 1993 — 25 जुलाई 1997)

श्री सुदर्शन अग्रवाल
(1 मई 1981 — 30 जून 1993)

श्री एस.एस. भालेराव
(1 अप्रैल 1976 — 30 अप्रैल 1981)

श्री बी.एन. बनर्जी
(9 अक्तूबर 1963 — 31 मार्च 1976)

श्री एस.एन. मुखर्जी
(13 मई 1952 — 8 अक्तूबर 1963)

श्री बी.एन. कौल
(अप्रैल-मई 1952)

लोक सभा के सचिव/महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन
(1 अक्तूबर 2010 से पदासीन)

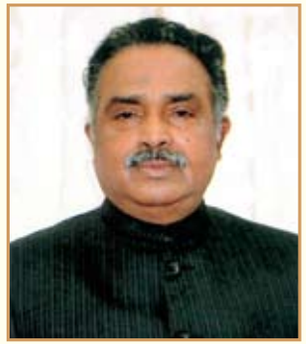

श्री पी.डी.टी. आचारी
(1 अगस्त 2005 — 30 सितम्बर 2010)

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा
(14 जुलाई 1999 — 31 जुलाई 2005)

श्री एस. गोपालन
(15 जुलाई 1996 — 14 जुलाई 1999)

श्री एस.एन. मिश्र
(1 जनवरी 1996 — 15 जुलाई 1996)

डॉ. आर.सी. भारद्वाज
(1 जून 1994 — 31 दिसम्बर 1995)

श्री सी.के. जैन
(1 जनवरी 1992 — 31 मई 1994)

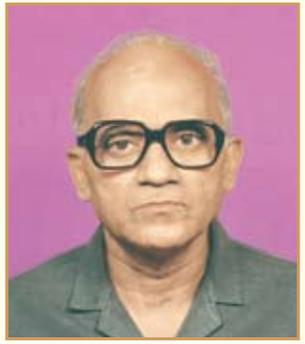

श्री के.सी. रस्तोगी
(27 जुलाई 1990 — 31 दिसम्बर 1991)

डॉ. सुभाष सी. कश्यप
(31 दिसम्बर 1983 — 20 अगस्त 1990)

श्री अवतार सिंह रिखी
(18 जून 1977 — 31 दिसम्बर 1983)

श्री एस.एल. शकधर
(1 सितम्बर 1964 — 18 जून 1977)

श्री एम.एन. कौल
(24 जुलाई 1947 — 1 सितम्बर 1964)

संसद भवन में लॉनों का एक दृश्य

सचिवालय

संविधान में संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक् सचिवालय की व्यवस्था है तथा यह प्रावधान किया गया है कि संसद के किसी सदन के सचिवीय कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को संसद विधि द्वारा विनियमित कर सकती है। कार्यकारी शासन से इन सचिवालयों को स्वतंत्र रखने के लिए लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों को शासित और विनियमित करने वाले मामले उनके भर्ती एवं सेवा शर्त नियमों के अधीन रखे गए हैं। अतः, सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर कार्यपालिका का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है तथा लोक सभा सचिवालय लोक सभा अध्यक्ष एवं राज्य सभा सचिवालय राज्य सभा के सभापति के पूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्रत्येक सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है।

विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद को सेवाएं प्रदान करने का कार्य वास्तव में अत्यंत दुष्कर है। सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को संसद सदस्यों की आवश्यकतानुसार बहुविध सेवाएं प्रदान करनी होती हैं ताकि उन्हें अपने संसदीय कृत्यों के निर्वहन में समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कार्यात्मक आधार पर दोनों सचिवालयों के कार्य अलग-अलग सेवाओं को सौंपे गये हैं।

वर्तमान में लोक सभा सचिवालय में निम्नलिखित सेवाएं हैं:—

- *विधायी, वित्तीय, समिति, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवा:* यह सेवा संसदीय समितियों को सचिवीय सहायता देने के अलावा सभा की कार्यवाही से संबंधित कार्यों का निपटान करती है। यह संसद सदस्यों के वेतन, भत्तों और उनके आवास तथा अन्य सुविधाओं से संबंधित कार्य भी करती है। यह सेवा प्रशासन, प्रोटोकॉल, वेतन और भत्ते, आवास, चिकित्सा, टेलीफोन, स्टॉफ कार सुविधा, हाउस-कीपिंग, कर्मचारियों के सामान्य कल्याण, स्टेशनरी और भंडार, अभिलेखों का अनुरक्षण और अभिलेखागार, विक्रय, प्राप्ति और वितरण से संबंधित कार्य भी करती है।

- *संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा:* यह सेवा संसद सदस्यों को भारत और विदेशों में दिन-प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत कराती है। इसके लिए इसके पास एक अत्याधुनिक और पूरी तरह सुसज्जित ग्रंथालय है तथा यह अपने शोध और संदर्भ प्रभागों के माध्यम से सदस्यों की बौद्धिक जरूरतों को पूरा करती है। ये प्रभाग अन्य बातों के साथ-साथ यथा समय विशिष्ट पत्रिकाएं, पृष्ठाधार टिप्पण, तथ्य पत्र, सूचना बुलेटिन, आवधिक पत्रिकाएं, मोनोग्राफ और अन्य प्रकाशन आदि जारी कर सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों की सामयिक समस्याओं से अवगत कराते हैं। यह सेवा सदस्यों को विधायी मामलों से संबंधित समसामयिक रुचि वाले विभिन्न मुद्दों पर वस्तुनिष्ठ पृष्ठाधार डाटा और सूचना भी प्रदान करती है।

- *शब्दशः रिपोर्टिंग सेवा:* यह सेवा संसदीय कार्यवाही और समितियों की कार्यवाही की तथा भारतीय संसदीय ग्रुप और बीपीएसटी द्वारा आयोजित विचारगोष्ठियों एवं वार्ताओं, व्याख्यानों की शब्दशः रिपोर्टिंग से संबंधित कार्य करती है।
- *निजी सचिव और आशुलिपिक सेवा:* अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संसदीय समितियों के सभापतियों और सचिवालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों, अधिकारियों, शाखाओं इत्यादि को सचिवीय और आशुलिपिकीय सहायता उपलब्ध कराती है।
- *साथ-साथ भाषांतरण सेवा:* लोक सभा और इसकी समितियों की कार्यवाही का साथ-साथ भाषान्तरण करने की जिम्मेदारी इस सेवा की है।
- *मुद्रण और प्रकाशन सेवा:* यह सेवा अपने कार्यकरण के संबद्ध कार्य जिनमें मुद्रण, रोटा प्रिंटिंग और बाइंडरी शामिल हैं, करती है।
- *संपादन तथा अनुवाद सेवा:* यह सेवा वाद-विवाद का संपादन करती है और वाद-विवाद सारांश तैयार करती है तथा वाद-विवाद, प्रतिवेदनों और संसदीय पत्रों का हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करती है।
- *संसद सुरक्षा सेवा:* यह सेवा संसद भवन सम्पदा में सुरक्षा प्रबंधों की देख-रेख करती है और परिसर का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करती है।
- *लिपिक, टंकक, रिकॉर्ड सॉर्टर और दफ्तरी सेवा:* यह सेवा लिपिकीय तथा टंकण कार्य में सहायता प्रदान करती है तथा अभिलेखों की छंटाई और इनके रख-रखाव का कार्य करती है।
- *परिचारक सेवा:* यह सेवा संसदीय पत्रों को एक शाखा/अनुभाग से दूसरी शाखा/अनुभाग तथा संसद सदस्यों और अधिकारियों आदि के निवास स्थानों में वितरित करने का कार्य करती है।
- *लोक सभा टेलीविजन सेवा:* लोक सभा टेलीविजन चैनल से जुड़े सभी कार्यकलाप करती है।

राज्य सभा सचिवालय में भी न्यूनाधिक यही सेवाएं हैं।

संवादशील संसद

जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए—सरकार वाली लोकतंत्र की छवि—संसद के कार्यकरण पर और संसद की छवि जनप्रतिनिधियों पर निर्भर करती है। संसदीय लोकतंत्र का मूल मंत्र संसद और जनता के बीच तारतम्य स्थापित करना है। इसलिए 'संसद का जनता से संवाद स्थापित करना' हमारी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है।

भारतीय संसद बदलती परिस्थितियों तथा जनता की आवश्यकताओं और आंकाक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए विकास की अनवरत प्रक्रिया में है। अतएव, लोगों को यह जानने का अधिकार है कि संसद कैसे कार्य करती है, उनके प्रतिनिधि एक सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह कैसे करते हैं तथा लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने हेतु सरकार किस प्रकार प्रयासरत है। संसद के बारे में सूचना का प्रसार सांसदों के कार्यकरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने तथा एक सुविज्ञ नागरिक समाज तैयार करने में भी सहायता करता है। निर्वाचकों को निर्वाचित प्रतिनिधियों से जोड़ने तथा शासन की सर्वोच्च संस्था में लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए भारतीय संसद द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं।

संसदीय कार्यवाही का टेली-प्रसारण—लोक सभा टेलीविजन चैनल

संसद के कार्यकरण को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने तथा इसे जनता के और निकट लाने के उद्देश्य से संसद ने संसदीय कार्यवाही के टेली-प्रसारण की दिशा में पहला कदम 20 दिसम्बर 1989 को उठाया जब केन्द्रीय कक्ष में एक साथ समवेत दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण का पहली बार दूरदर्शन और रेडियो पर सीधा प्रसारण किया गया। विगत वर्षों में समूचे राष्ट्र में संसद की कार्यवाही के प्रसारण हेतु अनेक महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं।

14 दिसम्बर 2004 में एक बिल्कुल नई पहल करते हुए संसद की दोनों सभाओं की समस्त कार्यवाही के *दूरदर्शन* द्वारा राष्ट्रव्यापी सीधे टेली-प्रसारण के लिए दो पृथक चैनल आरंभ किये गये। इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए 24 जुलाई 2006 से लोक सभा द्वारा मूल्यपरक, रुचिकर और सूचनाप्रद कार्यक्रम के प्रसारण के साथ 24 घंटे प्रसारण करने वाला एक स्वतंत्र चैनल लोक सभा टेलीविजन चैनल (एल.एस.टी.वी.) शुरू किया गया। यह विश्व में अपनी तरह का ऐसा अनूठा चैनल है जो संसद के स्वत्वाधीन और उसके द्वारा ही संचालित है।

एल.एस.टी.वी. लोक सभा की कार्यवाही और संसद की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सीधा प्रसारण करता है। इसके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु सांसदों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने-अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस चैनल पर समसामयिक विषयों के सामान्य रुचि के इंटरऐक्टिव कार्यक्रम भी दिखाये जाते हैं। इसके अलावा, यह चैनल हमारी विरासत, हमारे विश्वासों, परंपराओं, संगीत और नृत्य पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फिल्मों और वृत्तचित्रों का भी प्रसारण करता है।

संसद की वेबसाइट

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र विकास की गति के साथ संसद के विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में इन्टरनेट पर भारत की संसद के होमपेज *http://parliamentofindia.nic.in* पर विस्तृत सूचना डाटाबेस आम जनता को उपलब्ध कराया गया है।

होमपेज के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति *(http://presidentofindia.nic.in)*, लोक सभा *(http://loksabha.nic.in)* और राज्य सभा *(http://rajyasabha.nic.in)* की वेबसाइटों पर तत्काल पहुंचा जा सकता है। लोक सभा और राज्य सभा की वेबसाइटें हिन्दी में भी उपलब्ध हैं (*http://loksabhahindi.nic.in* और *http://rajyasabhahindi.nic.in*)।

लोक सभा होमपेज सदस्यों के जीवनवृत्त, सभा के कार्य, प्रश्न और उत्तर, संसदीय समितियों, विधेयकों और अधिनियमों, संविधान सभा के वाद-विवादों, लोक सभा और राज्य सभा, भारत के संविधान, प्रक्रिया नियमों, अध्यक्ष के निदेश, सदस्यों की निर्देशिका, संसद भवन और संसद ग्रंथालय का वास्तविक अवलोकन और 24 घंटे लोक सभा टी.वी. चैनल वेबकास्ट, इसका कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण वीडियो-क्लिपिंग संबंधी सूचना उपलब्ध कराता है।

संसद भवन परिसर स्थित लोक सभा टेलीविजन चैनल का भू-केन्द्र

संसद भवन में लोक सभा टेलीविजन का कार्यक्रम निर्माण नियंत्रण कक्ष

लोक सभा होमपेज भारत, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधायी निकायों, अन्य संसदों, अंतर-संसदीय संघ, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इत्यादि के साथ सम्पर्क के अलावा प्रधान मंत्री, भारत सरकार के मंत्रालयों, निर्वाचन आयोग तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों के साथ सम्पर्क भी प्रदान करता है।

इंटरनेट पते *http://parliamentofindia.nic.in* पर लोक सभा अध्यक्ष का होमपेज अन्य बातों के साथ-साथ अध्यक्ष की भूमिका, अध्यक्ष का जीवनवृत्त, भाषण और प्रेस विज्ञप्तियां, राजनीतिक और व्यक्तिगत उपलब्धियां और जिन कार्यक्रमों में भाग लिया, के बारे में सूचना प्रदान करता है। पूर्ववर्ती अध्यक्षों के जीवनवृत्त और उनके कार्यकाल की जानकारी भी इस खंड में उपलब्ध है।

इंटरनेट पते *http://parliamentmuseum.org/indextry.html* पर संसद संग्रहालय की इंटरऐक्टिव वेबसाइट, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होमपेज से भी जुड़ी हुई है, संग्रहालय के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने, देशभक्ति गीत सुनने, वीडियो क्लिपिंग देखने, दांडी मार्च की आभासी वास्तविकता और 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 'नियति से मिलन' भाषण का एनिमैट्रोनिक्स विधा द्वारा सजीव प्रदर्शन देखने की सुविधा प्रदान करता है। इस वेबसाइट को देखने वाले भारत में संसदीय लोकतंत्र पर प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और संसदीय संग्रहालय से प्रश्न कर सकते हैं और उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पिक्चर पोस्ट कार्ड चुनने तथा उन्हें ई-मेल करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

लोक सभा के होम पेज का एक दृश्य

लोक सभा अध्यक्ष के होम पेज का एक दृश्य

संसद ग्रंथालय

संसद ग्रंथालय अपने लगभग 12.5 लाख के वर्तमान संकलन, जिसमें पुस्तकें, प्रतिवेदन, सरकारी प्रकाशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रकाशन, वाद-विवाद, राजपत्र और अन्य अभिलेख एवं 86 भारतीय और विदेशी समाचार पत्र तथा 472 हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं की नियमित आवधिक पत्र-पत्रिकाएं शामिल हैं, के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथालय है। ग्रंथालय के लिए पुस्तकों और प्रकाशनों का चयन और अर्जन मानव कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों से किया जाता है और सदस्यों की विधायी आवश्यकताओं से संबंधित पुस्तकों को विशेष महत्व दिया जाता है।

संसद ग्रंथालय में कला, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य-कला विषयों सहित राजनीति, विधि और इतिहास संबंधी दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है। वर्ष 1671 में प्रकाशित बर्नियर कृत *हिस्ट्री ऑफ लेट रिवोल्यूशन ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर* नामक पुस्तक संसद ग्रंथालय में उपलब्ध सर्वाधिक पुरानी पुस्तकों में से है। संसद ग्रंथालय में एक अन्य महत्वपूर्ण दुर्लभ दस्तावेज भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी में) है जो संविधान निर्माताओं द्वारा हस्ताक्षरित होने के कारण बड़ी मूल्यवान है। इन्हें राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के सहयोग से गेट्टी कन्जर्वेशन इंस्टिट्यूट, यूएसए द्वारा विकसित किए गए दो विशेष धानियों में संरक्षित किया गया है।

संसदीय ग्रंथालय के परिचालन फलक का एक दृश्य

महात्मा गांधी द्वारा रचित तथा उनके बारे में अंग्रेजी, हिन्दी और विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई पुस्तकें उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक पृथक *गांधी साहित्य* अनुभाग 9 अगस्त 1978 को खोला गया था। इसी प्रकार, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तथा उन पर अंग्रेजी, हिन्दी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों को अलग से *नेहरू साहित्य* अनुभाग में उपयुक्त रूप से संग्रहीत किया गया है। ग्रंथालय में विभिन्न भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का एक पृथक खंड भी बनाया गया है।

संसद ग्रंथालय पुस्तकें, प्रतिवेदन, वाद-विवाद तथा अन्य दस्तावेज जारी/उपलब्ध कराके, तत्स्थानिक संदर्भ सेवा प्रदान करके और विभिन्न विषयों एवं ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों की संदर्भ-सूची तैयार करके संसद सदस्यों व अन्य प्रयोक्ताओं की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करता है। हाल ही में संसद ग्रंथालय सुविधा प्रयोक्ताओं का दायरा बढ़ाकर संसद सदस्यों के अतिरिक्त इसमें लोक सभा और राज्य सभा की प्रेस दीर्घाओं के लिए मान्यताप्राप्त प्रेस संवाददाताओं, पत्रकारों और भारत तथा विदेशों के *अधिकृत* शोधार्थियों, भारत सरकार, राज्य सरकार, उपक्रमों और सांविधानिक निकायों के अधिकारियों को भी शामिल कर लिया गया है।

बाल कक्ष

21 अगस्त 2007 को संसदीय ज्ञानपीठ में एक 'बाल कक्ष' की स्थापना की गई ताकि छात्र एवं युवा, विशेषकर जो समाज के वंचित वर्गों से संबंधित हैं, यहां की सुविधा का लाभ ले सकें। 'बाल कक्ष' में 2000 से अधिक पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचारपत्रों, विश्व-कोश तथा ई-साहित्य अर्थात् सी.डी. और डी.वी.डी. का संग्रह है। यहां होने वाली चित्रकला प्रतियोगिताएं, कथावर्णन, कथाचित्रण, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा कठपुतली के खेल (पपेट शो) जैसे आयोजनों से यह 'बाल कक्ष' अंतर्संवादी गतिविधियों का केन्द्र बन गया है।

बाल कक्ष का एक दृश्य

प्रेस तथा जनसम्पर्क

संसद, सरकार और जनता का परस्पर संवाद प्रेस और अन्य जनप्रचार माध्यम से होता है। वस्तुत: यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संसदीय कार्यवाहियों की जानकारी जनता तक पहुंचायी जाए। प्रेस को संसद के साथ अपने संबंधों में कुछेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं और सामान्यतया जहां तक सभा की कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग की बात है, प्रेस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। तथापि, संसद को नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है और यदि आवश्यक हुआ तो इसके वाद-विवाद या कार्यवाही के प्रकाशन का निषेध करने और आदेश का उल्लंघन करने पर दंडित करने का अधिकार है।

लोक सभा सचिवालय का प्रेस तथा जनसम्पर्क प्रभाग प्रेस और विभिन्न सरकारी प्रचार संगठनों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है और लोक सभा तथा इसकी समितियों द्वारा किये गए कार्य के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए मीडिया से संपर्क करता है। संसद समाचार जुटाने वाले जनप्रचार माध्यमों के संवाददाताओं को संसद भवन और संसदीय ज्ञानपीठ में प्रेस कक्ष सहित कई सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

लोक सभा अध्यक्ष द्वारा प्रति वर्ष एक प्रेस सलाहकार समिति नामनिर्देशित की जाती है जिसके सदस्य मीडिया के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं। यह समिति संसद की कार्यवाही की रिपोर्टिंग हेतु मीडिया प्रतिनिधियों को पास जारी करने, आदि मामलों पर विचार करती है। यह प्रभाग संसदीय कृत्यों और कार्यकलापों पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी करता है तथा लोक सभा अध्यक्ष एवं समिति के सभापतियों की प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करता है। इस प्रभाग द्वारा संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण के बारे में सूचना के व्यापक प्रसार के उद्देश्य से आगंतुक विशिष्टजनों को महत्वपूर्ण संसदीय कार्यकलापों और संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचना फोल्डर वितरित किये जाते हैं।

सूचना का अधिकार

प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए भारत की संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया। यह अधिनियम नागरिकों को लोक प्राधिकारी से सूचना मांगने की शक्ति प्रदान करता है और इस प्रकार सरकार और इसके अधिकारियों को और अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी बनाता है। यह अधिनियम सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय से जवाब देने का प्रावधान करता है जिससे पारदर्शिता की अभिनव व्यवस्था कायम हो सके। इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों द्वारा स्वत: तत्परता दिखाकर नियम बनाने और सूचना प्रकोष्ठ स्थापित करने तथा केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने जैसे उपाय किए गए। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में संबंधित सचिवालयों द्वारा अपीलीय प्राधिकारी की भी नियुक्ति की गई है।

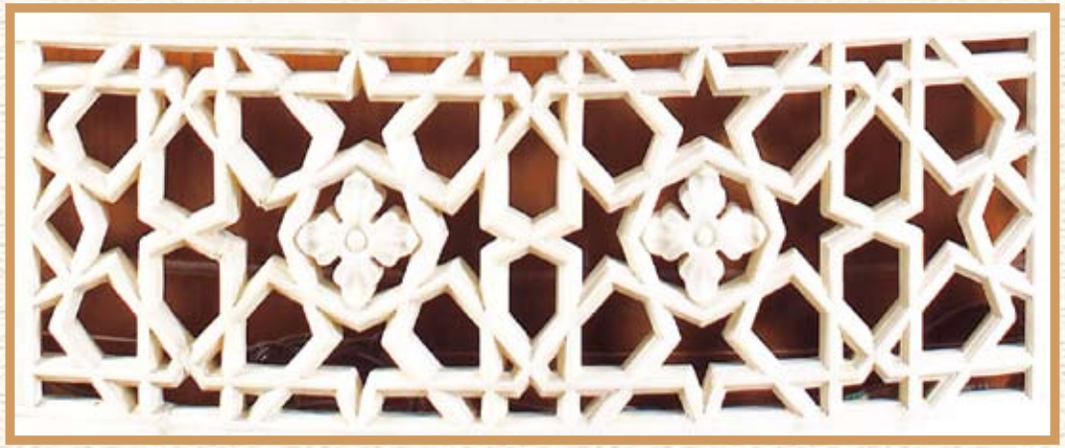

संसदीय संग्रहालय

संसदीय संग्रहालय

भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 14 अगस्त 2006 को संसदीय ज्ञानपीठ में एक अत्याधुनिक व उच्च तकनीक से लैस संसदीय संग्रहालय की स्थापना की गई। सम्पूर्ण विश्व से हजारों आगंतुकों को आकर्षित करने वाले इस संग्रहालय में भारत की लोकतांत्रिक विरासत का काल-चित्रण, ध्वनि और प्रकाश वीडियो-सिंक्रोनाइजेशन और वृहत् पटल-संव्यवहारात्मक कम्प्यूटर मल्टी-मीडिया तथा बहुपटलीय विहंगम दृश्यांकन एवं वास्तविक सादृश्य एवं सजीव रेखा-चित्रण के माध्यम से किया जाता है। इनमें भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक और संसदीय विरासत की कहानी, पुरातन काल में अपनी जड़ें जमाए लोकतंत्र के विभिन्न आयाम, भारत का स्वतंत्रता-संग्राम और हमारे देश में संसदीय संस्थाओं की विकास यात्रा और कार्यकरण आगंतुकों के समक्ष जीवंत हो उठते हैं और उन्हें भावनात्मक रूप से यथार्थ से जोड़ देते हैं।

संग्रहालय में पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत पाठ्य तथा दृश्यपरक सूचना बैंक की सुविधा वाला एक संसाधन केन्द्र भी है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 19 दिसम्बर 2007 को एक इंटरऐक्टिव वेबसाइट भी शुरू की गई।

संसदीय संग्रहालय के प्रवेश हाल का एक दृश्य

1921 में अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी को दर्शाता संसदीय संग्रहालय का एक प्रदर्श

सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को दर्शाता हुआ संसदीय संग्रहालय का एक प्रदर्श

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो के माध्यम से भारतीय संसद के अध्ययन दौरे पर आईं मिस्र की महिला राजनेता माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार से 28 अप्रैल, 2010 को भेंट करते हुए

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो के माध्यम से भारतीय संसद के अध्ययन दौरे पर आए हारवर्ड कैनेडी स्कूल, बोस्टन, यूएसए के वूमन लीडरशिप बोर्ड के सदस्य माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार से 14 मार्च, 2011 को भेंट करते हुए

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो

विधानमंडलों की सफलता के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि विधानमंडल सदस्यों के प्रबोधन और संसदीय स्टाफ के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। विश्वभर की संसदों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। भारत में सांस्थानिक प्रशिक्षण प्रबंध की आवश्यकता बहुत पहले महसूस कर ली गई थी और इसीलिए वर्ष 1976 में लोकतांत्रिक प्रणाली के संचालन के लिए जिम्मेवार सभी लोगों अर्थात् विधायकों, नीति-निर्माताओं, प्रशासकों और विभिन्न स्तरों पर अन्य अलग-अलग प्राधिकारियों को संसदीय संस्थानों, प्रक्रियाओं और कार्य–प्रणालियों के विभिन्न क्षेत्रों में सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, प्रबोधन तथा समस्या-समाधान व व्यवहारोन्मुख अध्ययन के संस्थागत अवसर उपलब्ध कराने के लिए संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो की स्थापना की गई।

यह ब्यूरो शुरू से ही संसदीय प्रक्रिया और पद्धति के क्षेत्र में विविध कार्यक्रम और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित करता रहा है। इसके कार्यकलापों में सांसदों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम और विचार-गोष्ठी तथा संसद और भारत के राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त ब्यूरो द्वारा विभिन्न अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के परिवीक्षार्थियों और अधिकारियों और भारत सरकार के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए परिबोधन पाठ्यक्रम तथा मीडियाकर्मियों, सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, विद्वानों, विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों के लिए अध्ययन दौरों का आयोजन किया जाता है।

ब्यूरो विदेशों के संसदीय सरकारी अधिकारियों के लिए दो नियमित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात् संसदीय प्रशिक्षु कार्यक्रम और विधायी प्रारूपण में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। ब्यूरो विदेशों के पीठासीन अधिकारियों, सांसदों और संसदीय अधिकारियों के लिए अनुरोध किये जाने पर अध्ययन दौरे/संयोजन कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

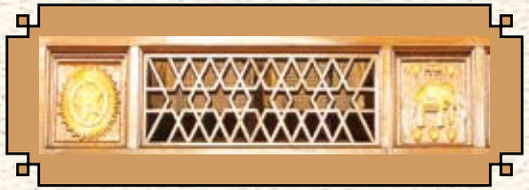

अगस्त 2005 में संसद सदस्यों के लिए सामयिक रुचि के विषयों पर एक व्याख्यानमाला शुरू की गई जिसका उद्देश्य चर्चाधीन विषय के विभिन्न आयामों को समझने में सदस्यों की सहायता करना था। इसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों और सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित भारत तथा विदेशों के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को संसद सदस्यों के समक्ष अपने विचार रखने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो लोक सभा सचिवालय द्वारा स्थापित प्रो. हीरेन मुखर्जी स्मारक वार्षिक संसदीय व्याख्यान का आयोजन भी करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन ने 11 अगस्त 2008 को *सामाजिक न्याय की मांग* विषय पर संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में उद्घाटन व्याख्यान दिया था। नोबेल पुरस्कार विजेता तथा बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक और प्रबंध निदेशक, प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने 9 दिसम्बर 2009 को *सामाजिक कारोबार: नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सृजित करने की दिशा में एक कदम* विषय पर द्वितीय प्रो. हीरेन मुखर्जी स्मारक वार्षिक संसदीय व्याख्यान दिया था। तीसरा व्याख्यान कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और विधि के प्रोफेसर तथा अमरीका की काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स में वरिष्ठ फैलो प्रो. जगदीश भगवती ने 2 दिसम्बर 2010 को *भारतीय सुधार: कल और आज* विषय पर दिया।

जनवरी 2008 में प्रारंभ किया गया लोक सभा प्रशिक्षु कार्यक्रम उत्कृष्ट अकादमिक और पाठ्यक्रमोत्तर उपलब्धियां हासिल करने वाले युवक-युवतियों को सामान्यतया देश में संसदीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यकरण तथा विशेष रूप से देश में संसदीय पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस एकवर्षीय कार्यक्रम में मान्यताप्राप्त भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों के पांच युवा स्नातकोत्तर छात्रों को भारत के संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। चयनित प्रशिक्षुओं को मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। लोक सभा प्रशिक्षु कार्यक्रम का समन्वय संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो करता है।

बी.पी.एस.टी. के मुख्य व्याख्यान कक्ष का एक दृश्य

संसद परिसर

नई दिल्ली के मध्य स्थित संसद परिसर में तीन मुख्य भवन हैं–संसद भवन, संसदीय ज्ञानपीठ और संसदीय सौध।

संसद भवन

संसद भवन देश की सबसे शानदार इमारतों में से है। इसमें वास्तुकला के भव्यतम नमूनों की शृंखला है। संसद के दोनों सदन–लोक सभा तथा राज्य सभा–इसी भवन में स्थित हैं।

संसद भवन की रूपरेखा प्रसिद्ध वास्तुविद सर हर्बर्ट बेकर द्वारा तैयार की गई थी जबकि सर एडविन लुटियन ने नई दिल्ली के निर्माण की योजना बनाकर उसे कार्यान्वित किया था। संसद भवन का शिलान्यास राजकुलमान्य दि ड्यूक ऑफ कनॉट ने 12 फरवरी 1921 को किया था। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, लार्ड इर्विन द्वारा किया गया था। इस ऐतिहासिक अवसर पर ब्रिटिश सम्राट ने एक प्रेरणादायक संदेश के साथ इस भवन के गोलाकार ढांचे के महत्व का इस प्रकार उल्लेख किया:

''यह वृत्त इस बात का प्रतीक है कि एकता से भी बढ़कर कुछ है। प्राचीन काल से ही यह स्थायित्व का प्रतीक भी रहा है और कवि ने प्रकाशवृत्त में अनन्त के सच्चे प्रतीक को देखा है। अत: ईश्वर करे कि हम तथा हमारे उत्तरवर्ती इन दोनों संकल्पनाओं को यथासम्भव फलीभूत होते देखें। इस नयनाभिराम और मनमोहक भवन (काउंसिल हाउस) के बारे में हम प्रार्थना करें कि यह शताब्दियों तक और अनन्त काल तक, समय की धारा के साथ आगे बढ़ते हुए, सुदृढ़ बना रहे तथा यहां प्रत्येक जाति, वर्ग और वर्ण के लोग एकजुट होकर भारत के उज्ज्वल भविष्य का उच्च संकल्प लें।''

संसद भवन एक विशाल गोलाकार इमारत है जिसका व्यास 560 फुट है। इसकी परिधि 1/3 मील है और यह लगभग छह एकड़ क्षेत्र में बनी हुई है। प्रथम तल पर खुले बरामदे के किनारे-किनारे हल्के भूरे रंग के पत्थरों के 144 स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तम्भ सत्ताइस फुट ऊंचा है जो कि भवन को अद्वितीय गरिमा और सौंदर्य प्रदान करते हैं। समूची संसद भवन संपदा के चारों ओर लाल बलुआ पत्थर की सुन्दर दीवार है अथवा लोहे की ग्रिल सहित लोहे के द्वार लगे हुए हैं। संसद भवन के 12 द्वार हैं जिनमें संसद मार्ग पर द्वार संख्या 1 इस भवन का मुख्य द्वार है।

इस भवन के निर्माण में छह वर्ष लगे और इसकी निर्माण लागत 83 लाख रुपये थी। यह इमारत स्वदेशी सामान से बनाई गई थी और इसका निर्माण भारतीय श्रमिकों ने ही किया था। इन सबके साथ-साथ इसकी निर्माण कला पर भारतीय परम्परा की गहरी छाप है। भवन के अन्दर तथा

बाहर के फव्वारों की बनावट दीवारों तथा खिड़कियों पर बने हुए भारतीय प्रतीकों ''*छज्जों*'' तथा संगमरमर की नाना प्रकार की ''*जालियां*'' हमें प्राचीन भवनों तथा स्मारकों की शिल्पकारी का स्मरण कराती हैं। भारतीय कला के प्राचीन नमूनों के साथ आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का सामंजस्य भी इस भवन में हुआ है जैसे ध्वनि व्यवस्था, वातानुकूलन, साथ-साथ भाषान्तरण तथा स्वचालित मतदान प्रणाली, आदि।

इस भवन के केन्द्र में स्थित केन्द्रीय कक्ष इसका मुख्य आकर्षण है जो विशाल वृत्ताकार इमारत है। इसके इर्द-गिर्द तीन कक्ष (चैम्बर) हैं—लोक सभा, राज्य सभा तथा तत्कालीन ग्रंथालय कक्ष (भूतपूर्व चैम्बर ऑफ प्रिन्सेज) और उनके बीच में औद्यानिक स्थल हैं। इन तीनों कक्षों को आवृत करती एक चार मंजिली वृत्ताकार इमारत है जिसमें मंत्रियों, संसदीय समितियों के सभापतियों, विभिन्न राजनैतिक दलों, प्रेस संवाददाताओं, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों के महत्वपूर्ण कार्यालयों तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय स्थित हैं। इस भवन में तीन समिति कक्ष भी हैं जिनमें संसदीय समितियों की बैठकें होती हैं।

संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष की ओर जाने वाले एक मार्ग का दृश्य

दीर्घा से केन्द्रीय कक्ष का एक दृश्य

केन्द्रीय कक्ष

केन्द्रीय कक्ष गोलाकार है। इसके गुम्बद का व्यास 98 फुट और ऊंचाई 118 फुट है। कहा जाता है कि यह संसार के भव्यतम गुम्बदों में से एक है।

केन्द्रीय कक्ष का ऐतिहासिक महत्व है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता का हस्तान्तरण इस कक्ष में किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण भी इसी कक्ष में हुआ था।

प्रारम्भ में केन्द्रीय कक्ष का प्रयोग पूर्व केन्द्रीय विधान सभा तथा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पुस्तकालय के रूप में किया जाता था। 1946 में इसका नवीकरण करके इसे संविधान सभा का कक्ष बना दिया गया। भारत का संविधान बनाने के लिए इसमें संविधान सभा की बैठकें 9 दिसम्बर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक हुईं।

इस समय केन्द्रीय कक्ष को दोनों सभाओं की संयुक्त बैठकें करने के काम में लाया जाता है। लोक सभा के लिये प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम सत्र के प्रारम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति केन्द्रीय कक्ष में अभिभाषण देते हैं। जब सभाओं के सत्र होते हैं, उन दिनों सदस्य आपस में अनौपचारिक चर्चा व बातचीत के लिए केन्द्रीय कक्ष का प्रयोग करते हैं। केन्द्रीय कक्ष का प्रयोग राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह, विदेशों के गणमान्य राज्य प्रमुखों द्वारा संसद सदस्यों के सम्मुख भाषण देने जैसे विशिष्ट अवसरों पर भी किया जाता है।

केन्द्रीय कक्ष में चित्र

इसके ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसे अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं, जिनका राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान रहा है, के चित्र केन्द्रीय कक्ष में लगाए गए हैं। केन्द्रीय कक्ष में मंच के ऊपर राष्ट्रपति महात्मा गांधी का चित्र लगा है।

दीवारों तथा मंच के दोनों ओर की महराबों पर लगे स्वर्णिम चौखटों में सर्वश्री सी. राजगोपालाचारी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, देशबंधु चितरंजन दास, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, मोरारजी देसाई, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, श्रीमती सरोजिनी नायडू, चौधरी चरण सिंह, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. राममनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, दादाभाई नौरोजी और स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर के चित्र लगे हुए हैं।

केन्द्रीय कक्ष की दीवारों पर बारह सुनहरे चिह्न भी हैं जो अविभाजित भारत के बारह प्रान्तों के परिचायक हैं। केन्द्रीय कक्ष के चारों ओर छह लॉबियां (प्रकोष्ठ) हैं जो उपयुक्त रूप से आवृत्त और सुसज्जित हैं। एक लाउन्ज केवल महिला सदस्यों के उपयोग के लिए आरक्षित है, एक लाउन्ज चिकित्सा प्रथमोपचार के लिए और एक लोक सभा की सभापति तालिका के सदस्यों के लिए है।

केन्द्रीय कक्ष की प्रथम मंजिल पर छह दीर्घाएं (गैलरियां) हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के समय मंच के दाहिने ओर की दो दीर्घाओं में प्रेस संवाददाता बैठते हैं, मंच के सामने की अलग दीर्घा विशिष्ट दर्शकों के लिए है और अन्य तीन दीर्घाओं में दोनों सभाओं के सदस्यों के अतिथिगण बैठते हैं।

राज्य सभा चैम्बर

राज्य सभा चैम्बर घोड़े की नाल की भांति अर्द्ध-गोलाकार है। राज्य सभा के सभापति का आसन चबूतरे के बिल्कुल मध्य में ऊंचे स्थान पर स्थापित है। सभापति के आसन के ठीक ऊपर *धर्मचक्र प्रवर्तनाय* लिखा है। सभापति के आसन पर 'हैवन्स लाइट अवर गाइड', जैसे आदर्श वाक्य भी लिखे हैं।

राज्य सभा चैम्बर में 250 सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था है। इस चैम्बर में सीटों को छह खण्डों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खण्ड में सात पंक्तियां हैं। सभापति के आसन के दायीं ओर की सीटों पर सत्तापक्ष के सदस्य बैठते हैं और बायीं ओर की सीटों पर विपक्षी दल अथवा समूह के सदस्य बैठते हैं। राज्य सभा का उप-सभापति, सभापति के आसन के बायीं ओर सामने की पंक्ति की प्रथम सीट पर बैठते हैं। राज्य सभा चैम्बर के ऊपर की ओर तथा सभापति के आसन के सामने डॉ. एस. राधाकृष्णन का चित्र लगा हुआ है, जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के पहले उप-राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति थे।

चैम्बर के बीचों-बीच सभापति के आसन के ठीक आगे निचले स्थान पर महासचिव का आसन है जहां से वह सभा का सम्पूर्ण दृश्य देख सकते हैं।

चैम्बर और इसके साथ लगी लॉबियों के फर्श, गलीचों, साज-सज्जा, सोफों के गद्दों और पर्दों का गहरा लाल रंग राज्य सभा को लोक सभा के हरे रंग से भिन्नता प्रदान करता है।

राज्य सभा चैम्बर का एक दृश्य

लोक सभा चैम्बर

लोक सभा का चैम्बर अर्द्ध-गोलाकार है। इसका क्षेत्रफल 4800 वर्गफुट है। अध्यक्ष का आसन एक ऊंचे मंच पर अर्द्धवृत्त के दोनों छोरों को मिलाने वाले व्यास के मध्य में है। अध्यक्ष के आसन के ठीक ऊपर, एक काष्ठ पट है जिसका डिजाइन मूल रूप से प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था, और उस पर संस्कृत में *धर्मचक्र प्रवर्तनाय* लिखा हुआ है जिसका अर्थ है 'धर्मचक्र के प्रवर्तन के लिए'। यह नीति वाक्य बिजली की रोशनी से आलोकित रहता है। चैम्बर में 550 सदस्य बैठ सकते हैं। आसन छह खंडों में बंटे हुए हैं और प्रत्येक में ग्यारह पंक्तियां हैं। अध्यक्ष के आसन के दाहिनी ओर वाले पहले खंड तथा बायीं ओर वाले छठे खंड में 97 स्थान हैं। शेष चार खंडों में प्रत्येक में 89 स्थान हैं। चैम्बर में राज्य सभा की सदस्यता वाले मंत्रियों सहित सभा के प्रत्येक सदस्य के लिये स्थान नियत है। अध्यक्षपीठ के दाहिनी ओर के स्थान सत्ता पक्ष के सदस्यों के बैठने के लिये हैं। अध्यक्षपीठ के बायीं ओर के स्थानों का प्रयोग विपक्षी दल/गुटों के सदस्यों के बैठने के लिये होता है। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के बायीं ओर सामने की पंक्ति में प्रथम स्थान पर बैठते हैं।

लोक सभा चैम्बर के ऊपर की ओर अध्यक्ष के आसन के सामने काष्ठ शिल्प पर केन्द्रीय विधान सभा के प्रथम निर्वाचित प्रेसिडेंट (स्पीकर) तथा इस प्रतिष्ठित पद को सुशोभित करने वाले पहले भारतीय श्री विट्ठलभाई जे. पटेल का चित्र लगा हुआ है। चैम्बर के प्रांगण में अध्यक्षपीठ के ठीक नीचे सभा के महासचिव का आसन है। उनके सामने सभा पटल है जिस पर मंत्रियों द्वारा औपचारिक रूप से पत्र रखे जाते हैं। सभा के अधिकारी तथा लोक सभा सचिवालय के रिपोर्टर इसी मेज के चारों ओर बैठते हैं।

चैम्बर तथा इसके साथ लगी लॉबियों के फर्श, गलीचों, साज-सज्जा, सोफों के गद्दों और पर्दों आदि सभी का रंग हरा है।

लोक सभा चैम्बर का एक दृश्य

लॉबियां और दीर्घाएं

प्रत्येक चैम्बर के साथ सटे दो आवृत्त गलियारे हैं जिन्हें भीतरी तथा बाह्य लॉबी कहा जाता है। ये लॉबियां भली-भांति सुसज्जित हैं और यहां सदस्यों को आपस में अनौपचारिक विचार-विमर्श करने के लिए आरामदेह स्थान उपलब्ध है। प्रत्येक चैम्बर की पहली मंजिल पर विभिन्न दीर्घाएं सार्वजनिक दीर्घा, विशिष्ट दर्शक दीर्घा, राजनयिक दीर्घा, प्रेस दीर्घा बनी हुई हैं।

राज्य सभा लॉबी का एक दृश्य

लोक सभा लॉबी का एक दृश्य

संसद भवन परिसर में प्रतिमाएं और आवक्ष प्रतिमाएं

संसद भवन परिसर हमारे संसदीय लोकतंत्र के विकास का साक्षी रहा है। संसद भवन परिसर में भारतीय इतिहास के निम्नलिखित महापुरुषों की प्रतिमाएं और आवक्ष प्रतिमाएं लगी हैं जिन्होंने राष्ट्र हित में अत्यधिक योगदान दिया है:

- महात्मा गांधी
- चन्द्रगुप्त मौर्य
- पंडित मोतीलाल नेहरू
- श्री गोपाल कृष्ण गोखले
- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
- श्री यशवंतराव बलवंतराव चव्हाण
- पंडित जवाहरलाल नेहरू
- पंडित गोविन्द बल्लभ पंत
- बाबू जगजीवन राम
- पंडित रवि शंकर शुक्ल
- श्रीमती इंदिरा गांधी
- मौलाना अबुल कलाम आजाद
- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
- श्री के. कामराज
- प्रो. एन.जी. रंगा
- सरदार वल्लभभाई पटेल
- श्री बिरसा मुण्डा
- आंध्र केसरी टंगटूरि प्रकाशम
- लोकनायक जयप्रकाश नारायण
- श्री एस. सत्यमूर्ति
- लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई
- श्री पसुम्पोन मुत्तुरामलिन्गा तेवर
- श्री कांजीवरम नटराजन अन्नादुरै
- महात्मा बसवेश्वरा
- छत्रपति शिवाजी महाराज
- शहीद हेमू कालानी
- महाराजा रणजीत सिंह
- चौधरी देवी लाल
- महात्मा ज्योतिराव फुले
- आचार्य नरेन्द्र देव
- कामरेड श्रीपाद अमृत डांगे
- कामरेड ए.के. गोपालन
- शहीद दुर्गा मल्ल
- गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर
- स्वामी विवेकानंद
- श्री अरविन्द
- देवी अहिल्याबाई होल्कर
- श्री विट्ठलभाई जे. पटेल
- कामरेड इन्द्रजीत गुप्त
- कामरेड भूपेश गुप्त
- श्री एम.जी. रामचन्द्रन
- श्री मुरासोली मारन
- महाराणा प्रताप
- कित्तूर रानी चेन्नम्मा
- शहीद भगत सिंह
- राजर्षि छत्रपति साहूजी महाराज

चित्रकारी

संसद भवन के भूमि तल पर बाहरी वृत्ताकार गलियारे की दीवारों पर अनेक चित्र सुशोभित हैं जो वैदिक युग से लेकर ब्रिटिश काल तक, जिसका कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ अन्त हो गया था, के भारत के दीर्घकालिक और उतार-चढ़ाव पूर्ण इतिहास के दृश्यों को चित्रित करते हैं। लोगों को अतीत की महान सभ्यताओं और साम्राज्यों का और साथ ही उन महान शासकों, वीरों और संतों का, जिन्होंने अपने कार्यों तथा उपदेश से इस भूमि को गौरवान्वित किया, स्मरण करते हुए आधुनिक भारत के वास्तुकारों ने यही उचित समझा कि लोकतंत्र के आधुनिक मन्दिर—संसद भवन को इस देश के इतिहास की महान घटनाओं को दर्शाने वाले 58 चित्रों से सुसज्जित किया जाए।

बुद्ध धर्मचक्र चलाते हुए (धर्मचक्र प्रवर्तनाय)। इसमें सारनाथ में बुद्ध के प्रथम पांच शिष्य और धर्मचक्र का चिन्ह जिसमें उसके दोनों ओर बारहसिंगों को दिखाया गया है, भी अंकित हैं।

जनता द्वारा गोपाल को सम्राट निर्वाचित किया जाना (नौवीं शताब्दी ईस्वी)

गुरु नानक देव जी (1469-1539 ईस्वी)। गुरु गोबिन्द सिंह जी (1666-1708 ईस्वी)

दरबार के एक दृश्य में अकबर, टोडरमल, तानसेन और अबुल फजल, फैज़ी तथा अब्दुर रहीम खान-ए-खाना (16वीं शताब्दी ईस्वी)

छत्रपति शिवाजी (1627–1680 ईसा पश्चात्) एवं स्वामी समर्थ रामदास (17वीं शताब्दी ईस्वी)

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा तांत्या टोपे, दोनों साथ-साथ घोड़ों पर सवार (19वीं शताब्दी ईस्वी)

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर (1861–1941 ईस्वी)

दांडी मार्च (1930 ईस्वी)

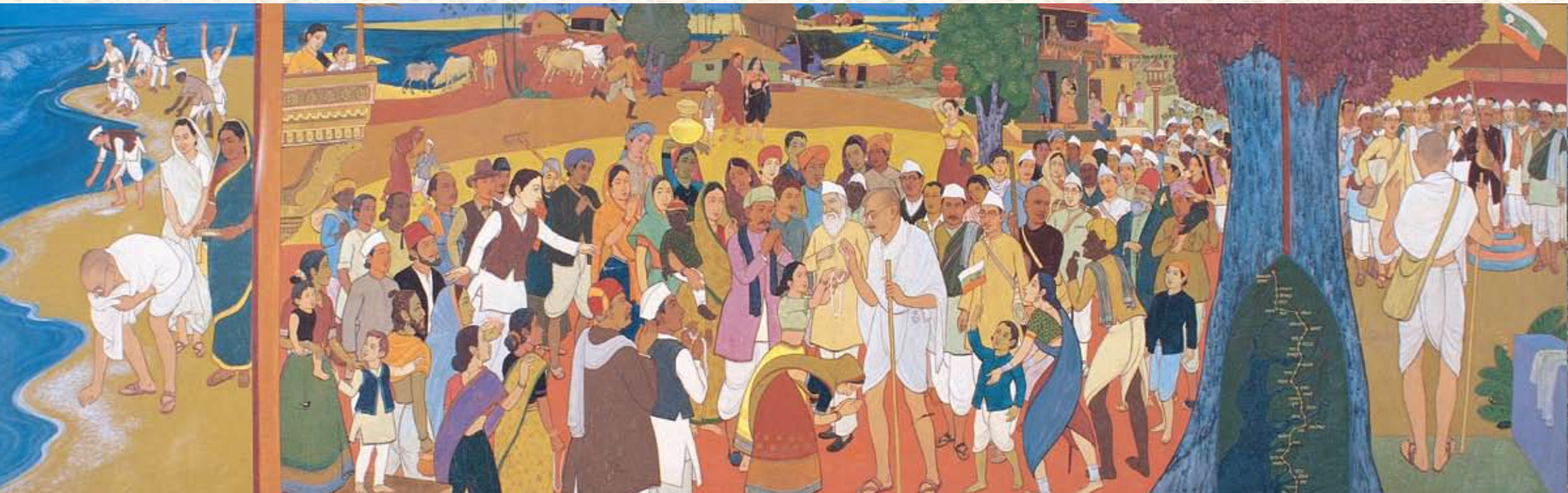

आजाद हिन्द फौज तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (1897-1945 ईस्वी)

लालकिले पर ध्वजारोहण

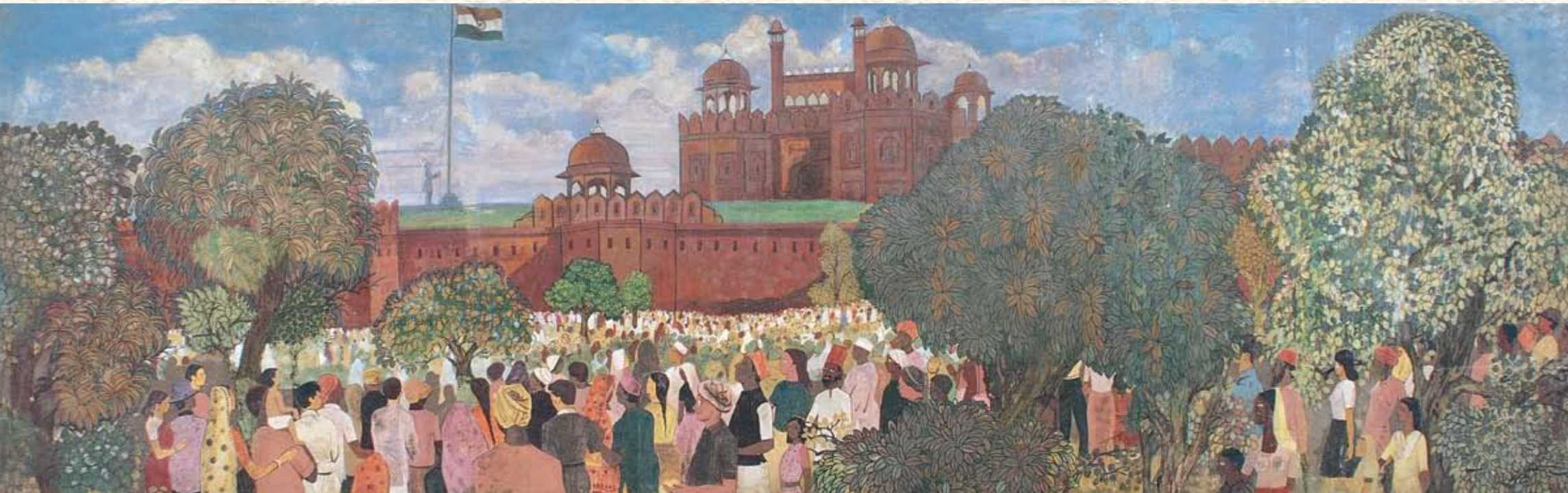

भित्तिलेख

संसद भवन में अनेक सूक्तियां अंकित हैं जो दोनों सभाओं के कार्य में पथ-प्रदर्शन करती हैं और किसी भी आगन्तुक का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता।

भवन के मुख्य द्वार पर एक संस्कृत उद्धरण अंकित है जो हमें राष्ट्र की प्रभुता का स्मरण कराता है जिसका कि मूर्त प्रतीक संसद है। द्वार संख्या 1 पर निम्न शब्द अंकित हैं:

लो ३ कद्वारमपावा ३ र्णू ३३
पश्येम त्वां वयं वैरा ३३३३३
(हुं ३ आ) ३३ ज्या ३ यो अ
आ ३२१११ इति । *(छांदो २/२४/८)*

इसका हिन्दी अनुवाद यह है:

''द्वार खोल दो, लोगों के हित,
और दिखा दो झांकी।
जिससे अहो-प्राप्ति हो जाए,
सार्वभौम प्रभुता की।''

(छांदो २/२४/८)

भवन में प्रवेश करने के बाद दाहिनी ओर लिफ्ट संख्या 1 के पास आपको लोक सभा की धनुषाकार बाह्य लॉबी दिखाई देगी। इस लॉबी के ठीक मध्य से एक द्वार आंतरिक लॉबी को जाता है और इसके सामने एक द्वार केन्द्रीय कक्ष को जाता है जहां दर्शकों को दो भित्तिलेख दिखाई देंगे।

आंतरिक लॉबी के द्वार पर द्वार संख्या 1 वाला भित्तिलेख ही दोहराया गया है। मुड़ते ही केन्द्रीय कक्ष के मार्ग के गुम्बद पर अरबी का वह उद्धरण दिखाई देता है जिसका अर्थ यह है कि लोग स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। वह उद्धरण इस प्रकार है:

इन्नलाहो ला युगय्यरो मा बिकौमिन्।
हत्ता युगय्यरो वा बिन नफसे हुम।।

एक उर्दू कवि ने इस विचार को इस प्रकार व्यक्त किया है:

''खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली,
न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का।''

लोक सभा चैम्बर के भीतर अध्यक्ष के आसन के ऊपर यह शब्द अंकित है:

धर्मचक्र-प्रवर्तनाय

''धर्मपरायणता के चक्रावर्तन के लिए''

संसद भवन के गुम्बद पर भित्तिलेख का एक दृश्य

अतीत काल से ही भारत के शासक धर्म के मार्ग को ही आदर्श मानकर उस पर चलते रहे हैं और उसी मार्ग का प्रतीक धर्मचक्र भारत के राष्ट्र-ध्वज तथा राज-चिह्न पर सुशोभित है।

जब हम संसद भवन के द्वार संख्या 1 से केन्द्रीय कक्ष की ओर बढ़ते हैं तो उस कक्ष के द्वार के ऊपर अंकित पंचतंत्र के निम्नलिखित संस्कृत श्लोक की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है:

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।।

(पंचतंत्र ५/३८)

हिन्दी में इस श्लोक का अर्थ है:

''यह निज, यह पर, सोचना,
संकुचित विचार है।
उदारचरितों के लिए
अखिल विश्व परिवार है।''

(पंचतंत्र ५/३८)

अन्य सूक्तियां जिनमें से कुछ स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं, लिफ्टों के निकट गुम्बदों पर अंकित हैं। भवन की पहली मंजिल से ये लेख स्पष्टतया दिखायी देते हैं।

लिफ्ट संख्या 1 के निकटवर्ती गुम्बद पर महाभारत का यह श्लोक अंकित है:

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा,
वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्।
धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति,
सत्यं न तद्यच्छलमभ्युपैति।।

(महाभारत ५/३५/५८)

संसद भवन के गुम्बद पर भित्तिलेख का एक अन्य दृश्य

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है:

''वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न हों,
वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्मानुसार न बोलें,
जहां सत्य न हो वह धर्म नहीं है,
जिसमें छल हो वह सत्य नहीं है।''

(महाभारत ५/३५/५८)

यह सूक्ति तथा लिफ्ट संख्या 2 के निकटवर्ती गुम्बद का भित्तिलेख दो शाश्वत गुणों—सत्य तथा धर्म, पर जोर देते हैं जिनका सभा को पालन करना चाहिए।

लिफ्ट संख्या 2 के निकटवर्ती गुम्बद पर यह सूक्ति अंकित है:

सभा वा न प्रवेष्टव्या,
वक्तव्यं वा समंञ्जसम्।
अब्रुवन् विब्रुवन वापि,
नरो भवति किल्विषी।।

(मनु ८/१३)

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है:

''कोई व्यक्ति या तो सभा में प्रवेश ही न करे अथवा यदि वह ऐसा करे तो उसे वहां धर्मानुसार बोलना चाहिए, क्योंकि न बोलने वाला अथवा असत्य बोलने वाला मनुष्य दोनों ही समान रूप से पाप के भागी होते हैं।''

(मनु ८/१३)

लिफ्ट संख्या 3 के निकटवर्ती गुम्बद पर संस्कृत में यह सूक्ति अंकित है:

न हीदृशं संवननं,
त्रिषु लोकेषु विद्यते।
दया मैत्री च भूतेषु,
दानं च मधुरा च वाक्।।

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है:

''प्राणियों पर दया और उनसे मैत्री भाव, दानशीलता तथा मधुर वाणी, इन सबका सामंजस्य तीनों लोकों में एक व्यक्ति में नहीं मिलता।''

लिफ्ट संख्या 4 के निकटवर्ती गुम्बद के संस्कृत के भित्तिलेख में भी अच्छे शासक के गुणों का वर्णन है। भित्तिलेख इस प्रकार है:

सर्वदा, स्यान्नृपः प्राज्ञः,
स्वमते न कदाचन।
सभ्याधिकारिप्रकृति,
सभासत्सुमते स्थितः।।

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है:

''शासक सदा बुद्धिमान होना चाहिए, परन्तु उसे स्वेच्छाचारी कदापि नहीं होना चाहिए, उसे सब बातों में मंत्रियों की सलाह लेनी चाहिए, सभा में बैठना चाहिए और शुभ मंत्रणानुसार चलना चाहिए।''

अन्त में लिफ्ट संख्या 5 के निकटवर्ती गुम्बद पर फारसी का यह भित्तिलेख है:

बरी रूवाके जेबर्जद नविश्ता अन्द बेर्ज,
जुज निकोई-ए-अहले करम नख्वाहद मान्द।।

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है:

''इस गौरवपूर्ण मरकत-मणि समान भवन में यह स्वर्णाक्षर अंकित हैं। दानशीलों के शुभ कर्मों के अतिरिक्त और कोई वस्तु शाश्वत् नहीं रहेगी।''

संसदीय सौध

स्वतंत्रता के बाद संसद की गतिविधियों में कई गुना वृद्धि हो जाने के कारण संसद भवन में उपलब्ध स्थान, संसदीय कार्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की तुलना में बहुत ही कम था। इस बात पर विचार करते हुए कि मुख्य संसद भवन में कोई विस्तार अथवा फेर-बदल करने से इस भवन की अद्‌भुत वास्तुकला का स्वरूप तथा संरचना प्रभावित होगी, संसद भवन के उत्तर में एक नए भवन पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी (संसदीय सौध) का निर्माण किया गया जिसका डिजाइन मुख्य वास्तुविद (चीफ आर्किटेक्ट), श्री जे.एम. बेंजामिन और वरिष्ठ वास्तुविद (सीनियर आर्किटेक्ट), श्री के.आर. जानी ने तैयार किया था। इस भवन का शिलान्यास 3 अगस्त, 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि द्वारा किया गया। औपचारिक रूप से इस भवन का उद्‌घाटन 24 अक्तूबर, 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया।

संसदीय सौध का डिजाइन मितव्ययिता, सादगी तथा कृत्यात्मक उपयोगिता पर बल देते हुए संसद के दोनों सदनों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। इस भवन में परम्परा तथा आधुनिकता के बीच के अन्तर को समाप्त करने और सौन्दर्य के प्रति एक नई भावना जागृत करने का प्रयास किया गया है तथा यह बौद्ध चैत्य मेहराबों की याद दिलाने वाली पच्चीकारी से युक्त जाली की सुन्दर मुहार द्वारा शांति का संदेश देता है। इस भवन में, जिसके मध्य में सात मंजिला ब्लॉक और अंतिम तल आयताकार ब्लॉक है तथा सामने एवं पीछे की ओर तीन-तीन मंजिले ब्लॉक हैं, विधानमंडल के लिए किसी भवन में अपेक्षित संकुल (कॉम्प्लेक्स) प्रावधान किए गए हैं। यहां पारम्परिक भारतीय पद्धति में लाल तथा सफेद बलुआ पत्थर से बना तथा जलाशययुक्त घास के मैदान से सजा एक प्लाजा है जो इस भवन के लिए चौकी (पोडियम) का रूप लेता है। पच्चीकारीयुक्त जाली के सामने पतले-पतले दोहरी ऊंचाई वाले स्वछन्द आरसीसी निर्मित स्तंभ जो कि उक्त चौकी पर एक प्रक्षिप्त छत को थामे हुए हैं, समूचे भवन को एक वैभवपूर्ण स्वरूप प्रदान करते हैं। भवन के मुहार पर लगे सिरैमिक तथा अग्नीष्टका टायल इस भवन को एक स्थायी छवि के साथ-साथ मनोहर रंगछटा तथा स्वरूप प्रदान करते हैं जिससे इसके रखरखाव की आवश्यकता न्यूनतम रहती है।

संसदीय सौध 9.8 एकड़ क्षेत्र वाले भू-भाग पर अवस्थित है जिसके फर्श का क्षेत्रफल 35400 वर्ग मीटर है। निर्माण के समय इस परियोजना की कुल लागत लगभग 3.7 करोड़ रुपये थी।

➤ संसदीय सौध

संसदीय सौध का भूमि-तल कृत्यात्मक दृष्टि से इस भवन का सर्वाधिक सुविधाजनक क्षेत्र है और इसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए एक आदर्श स्थल स्वीकारा गया है। निम्नतल की एक दीवार को विख्यात चित्रकार श्री जतिन दास द्वारा निर्मित चित्र ''भारत—मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक'' से सजाया गया है। इसी तरह भूमितल की एक दीवार श्री वी.एस. कुलकर्णी द्वारा निर्मित चित्र ''सत्ता का हस्तांतरण'' से सजी है।

भूमितल के पिछले खण्ड में तीन समिति कक्ष और एक मुख्य समिति कक्ष हैं जो एक वर्गाकार निमज्जित प्रांगण के आस-पास स्थित हैं। यह मध्यवर्ती प्रांगण जिसके ऊपर पच्चीकारीयुक्त जाली का पर्दा है, पौधों से सजाया गया है तथा इसमें हरियाणा स्लेट और नदियों में पाए जाने वाले पत्थर बिछाए गए हैं। शीशे के शंकुओं तथा पच्चीकारीयुक्त जाली से चारों ओर पड़ने वाला विसरित प्रकाश चारों ओर एक मनोरम वातावरण उत्पन्न करता है। ताल के चारों ओर बने खुले विश्राम स्थल में संसद-सदस्यों, सम्मेलनों में आए प्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा मीडिया के लिए बैठने के आरामदेह स्थान उपलब्ध हैं।

संसदीय सौध में मध्यवर्ती सीढ़ियों का आकर्षक चित्र

संसदीय ज्ञानपीठ

मई 2002 तक संसद ग्रंथालय संसद भवन में ही था। समय के साथ-साथ ग्रंथालय सेवा का विस्तार हुआ और अब इसे लार्डिस सेवा के नाम से जाना जाता है। संसद ग्रंथालय और इससे संबद्ध सेवाओं के लिए संसद भवन में जो जगह थी वह पुस्तकों के बढ़ते संग्रह की दृष्टि से बहुत ही कम पड़ रही थी। इसके अतिरिक्त, इस बात की मांग बढ़ती जा रही थी कि संसद सदस्यों के लिए अधिक से अधिक प्रभावी, कुशल तथा आधुनिक शोध, संदर्भ और सूचना सेवा उपलब्ध करायी जाए। इसी मांग को पूरा करने के लिए इस संसदीय ज्ञानपीठ की योजना बनायी गयी। इसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी द्वारा 15 अगस्त 1987 को किया गया था तथा *भूमि पूजन* तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष श्री शिवराज वि.पाटील द्वारा 17 अप्रैल 1994 को किया गया। पूरी तरह से वातानुकूलित इस विशाल भवन की अवधारणा प्रख्यात वास्तुविद, राज रेवल द्वारा प्रस्तुत की गयी और इसका निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। इस इमारत का कुल कवर्ड एरिया 60,460 वर्ग मीटर है और इसके निर्माण में 200 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसका उद्घाटन 7 मई 2002 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, श्री के.आर. नारायणन द्वारा किया गया।

बाह्य रूप से संसदीय ज्ञानपीठ संसद भवन जैसा है और इसमें उसी तरह के लाल और बिस्कुटी रंग का बलुआ पत्थर प्रयुक्त किया गया है। इसकी सामान्य ऊंचाई संसद भवन के पोडियम के बराबर तथा वृत्ताकार स्तम्भ शृंखला से नीचे रखी गयी है। इस भवन की छत पर राष्ट्रपति भवन की पत्थर की इमारत के वर्तमान गुम्बदों के अनुरूप निम्न प्रोफाइल वाले कई बबल गुम्बद हैं जो इस्पात के ढांचे पर स्थित हैं।

संसदीय ज्ञानपीठ का मुख्य प्रवेश द्वार सीधे संसद भवन के द्वारों में से एक से जुड़ा है। यह द्वार एक प्रांगण की ओर खुलता है जो एक स्टेनलेस स्टील के घेरे पर स्थित हल्की गोलाकार छत से ढकी है जिसमें से छन-छन कर प्रकाश आता है इस इमारत के केन्द्रीय भाग के निर्माण में प्रकाश परावर्तक, अत्याधुनिक इमारती कांच और स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है। इसमें चार पंखुड़ियां हैं। इन पंखुड़ियों को बहुत ही नाजुक टेंशन-रॉडों से बांधा गया है। कांच के इस गुम्बद के ऊपरी भाग में एक गोलाकार प्रतीक है जो अशोक चक्र का प्रतीक है।

सभी सुविधाओं से युक्त संसदीय ज्ञानपीठ में दो निम्नतल हैं और जमीन से ऊपर दो तल हैं। इस भवन में संसद ग्रंथालय, सदस्यों के लिए अध्ययन कक्ष, बाल कक्ष, उच्च तकनीकयुक्त संसदीय संग्रहालय, संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो, लोक सभा टेलीविजन चैनल का हाई डेफिनीशन स्टूडियो, कम्प्यूटर केन्द्र, मीडिया केन्द्र, प्रेस ब्रीफिंग रूम, प्रेस तथा जनसंपर्क सेवा, संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार, शोध और संदर्भ प्रभाग, दृश्य-श्रव्य एकक, माइक्रोफिल्मिंग यूनिट और लोक सभा सचिवालय की अनेक शाखाएं हैं। इस भवन में 1025 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक सभागार, सम्मेलन और समिति कक्ष, भोज कक्ष इत्यादि भी हैं।

संसदीय सौध का विस्तार

संसदीय कार्यकलापों में कई गुना वृद्धि के कारण हुई जगह की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से संसदीय सौध भवन का विस्तार किया जा रहा है। भारत के उप-राष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी और तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष, श्री सोमनाथ चटर्जी ने 5 मई 2009 को प्रस्तावित विस्तार कार्य का शिलान्यास किया। प्रस्तावित भवन में आठ समिति कक्ष, सेमिनार हॉल, बहुउपयोगी दृश्य–श्रव्य प्रकार्य प्रणालियां, संसदीय समितियों के सभापतियों तथा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय के कार्यालय होंगे। इसकी अभिकल्पना और निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इस भवन में पर्यावरण–अनुकूल व्यवस्थाएं जैसे सौर ऊर्जा पैनल और वर्षा जल संचयन प्रणाली भी रहेगी।

संसदीय ज्ञानपीठ का वी.आई.पी. प्रवेश द्वार